राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के उपघटक "शहरी बेघरों के लिए आश्रय योजना" (scheme for shelter for urban homeless-SUH) के अन्तर्गत नगरीय निकायों से प्राप्त आश्रय निर्माण/उच्चीकरण (अपग्रेडेशन) के प्रस्तावों की स्वीकृति हेतु सचिव नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में शासनादेश संख्या– 833/69–1–14 –14(104)/2013 दिनांक 23 मई 2014 के द्वारा गठित "राज्य परियोजना स्वीकृति समिति" की दिनांक 12.03.2015 को सूडा सभागार में अपराहन 04:00 बजे आयोजित "छठीं" बैठक का कार्यवृत्त

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के उपघटक शहरी बेघरों के लिए आश्रय योजना हेतु उल्लिखित शासनादेश के माध्यम से गठित राज्य परियोजना स्वीकृति समिति की बैठक सचिव नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 12.03.2015 को आयोजित हुई, जिसमें समिति के सदस्यों और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन/सूडा के निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया:–

1. श्री अनिल कुमार सिंह, अपर निदेशक, सूडा।
2. श्री ए0के0 सिंह, अपर निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय।
3. श्री जितेन्द्र प्रताप सिंह, संयुक्त निदेशक, सूडा, लखनऊ।
4. श्री लाल प्रताप सिंह, वित्त नियंत्रक, सूडा, उ0प्र0।
5. श्री यतीन्द्र मोहन, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
6. श्री कृपा शंकर शुक्ला, अनुसचिव, आवास एवं शहरी गरीबी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. श्री अरूण कुमार, क्षेत्रीय प्रमुख, हडको, लखनऊ, प्रतिनिधि भारत सरकार।
8. श्री आर0के0 श्रीवास्तव, डीजीएम हडको, लखनऊ।
9. श्री अजन्ता दास, सीनियर रिसर्च आफिसर, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
10. श्री हरि राम, मुख्य अभियन्ता, सूडा/स्थानीय निकाय निदेशालय, लखनऊ।
11. श्री पी0के0 दास, परियोजना अधिकारी, डूडा– चन्दौली।
12. श्री ए0के0 पाण्डेय, सहायक अभियन्ता, डूडा– रामपुर।
13. श्री कुलदीप गौतम, रेजीडेन्ट इंजीनियर, यूनिट–54सी एण्ड डी एस, रामपुर।
14. श्री ए0के0 राय, महाप्रबन्धक सीएण्ड डीएस0।
15. निधि बाजपेयी, परियोजना अधिकारी, कानपुर नगर।
16. अरूणाभा पाण्डेय, परियोजना अधिकारी, संत कबीर नगर।
17. हरिराम सिंह यादव, परियोजना अधिकारी, डूडा– आजमगढ़।
18. इबरार अहमद, सहायक परियोजना अधिकारी, डूडा– बांदा।
19. जगन्नाथ पटेल, सीनियर रेजीडेंट इंजीनियर, यूनिट–15 सी0एण्ड डी0एस0, बांदा।
20. एम0पी0 सिंह, परियोजना प्रबंधक, सी0एण्ड डी0एस0 यूनिट–11, कानपुर।
21. एल0 के0 राजपूत, परियोजना प्रबंधक, सी0एण्ड डी0एस0 यूनिट–16, बिजनौर।
22. श्री धन प्रकाश, सहायक परियोजना अधिकारी, बिजनौर।
23. श्री पदमाकर ओझा, परियोजना प्रबन्धक, सी0एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
24. प्रेमा सिंह, क्रियेटिव व्यूस प्राइवेट लिमिटेड, हाथरस।
25. श्री प्रदीप कुमार सिंह, आर्किटेक्ट, सी0एण्ड डी0एस0।
26. श्री प्रदीप कुमार चौरसिया, परियोजना प्रबंधक, सी0एण्ड डी0एस0, संत कबीर नगर।
27. श्री अनूप बाजपेयी, परियोजना अधिकारी, डूडा– कानपुर देहात।
28. श्री सुशील कुमार, नगर पंचायत, अकबरपुर, कानपुर–देहात।
29. श्री डी0एस0 यादव, परियोजना प्रबंधक, सी0एण्ड डी0एस0 यूनिट–3
30. श्री अम्बिकेश्वर राय, परियोजना प्रबंधक, यूनिट–26 सी0एण्ड डी0एस0 लखनऊ।
31. मो0 इकराम, आर्किटेक्ट, श्रीजन स्टूडियो।
32. श्री उमेश कुमार सिंह, डूडा लखनऊ।
33. श्री के0के0 पटेल, सीनियर रेजीडेंट इंजीनियर, सी0एण्ड डी0एस0, जल निगम, लखनऊ।

34. श्री डी०के० राय, अधिशासी अधिकारी/सिटी प्रोजेक्ट आफिसर, लोनी– गाजियाबाद।
35. श्री सन्तोष कुमार मिश्रा, सिटी प्रोजेक्ट आफिसर/अधिशासी अधिकारी, बलिया।
36. श्री सुनील यादव, कंसल्टेंट, एस०पी० स्ट्रक्चर, लखनऊ।
37. श्री पंकज रस्तोगी, नगर पालिका परिषद, दादरी, गौतमबुद्धनगर।
38. श्री एस०सी० चौरसिया, डूडा कासगंज।
39. श्री बी०एम० वर्मा, प्रोजेक्ट मैनेजर, सी०एण्ड डी०एस० यूनिट–38 जल निगम, सोनभद्र।
40. श्री एम०बी० सिंह, प्रोजेक्ट मैनेजर, सी०एण्ड डी०एस० यूनिट–38 जल निगम, कानपुर।
41. श्री रवि कान्त यादव, प्रोजेक्ट मैनेजर, आर्किटेक्चर, डिजाइन क्रिएशन।
42. श्री आई०पी० कनौजिया, परियोजना निदेशक, सूडा, उ०प्र०।
43. श्री आर०पी० गुप्ता, अधिशासी अभियन्ता, सूडा, लखनऊ।
44. श्री मो० तैयब, परामर्शी, सूडा, लखनऊ।
45. श्री वी०एन० त्रिपाठी, सहायक परियोजना अधिकारी, सूडा, उ०प्र०।
46. श्री विवेक श्रीवास्तव, एम०आई०एस०, सूडा, लखनऊ।
47. श्री के० एन० शुक्ला, लिपिक, सूडा।

एजेन्डा बिन्दु संख्या–1

2. परियोजना स्वीकृति समिति की बैठक में सर्वप्रथम संयुक्त निदेशक सूडा द्वारा राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के उपघटक "शहरी बेघरों के लिए आश्रय योजना (Scheme for shelter for urban homeless-SUH)" के सम्बन्ध में अवगत कराया गया। उक्त के साथ यह भी अवगत कराया गया कि ''शहरी बेघरों के लिए आश्रय'' योजना के सम्बन्ध में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल रिट याचिका सं०– 55/2003 एवं 572/2003 ई०आर० कुमार व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में सघन समीक्षा की जा रही है। प्रकरण में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा त्वरित गति से कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में कड़े निर्देश दिये गये हैं, जिसके दृष्टिगत इस योजना पर विशेष ध्यान देते हुए तेजी से कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता है, ताकि मा० सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का ससमय अनुपालन हो सके तथा शहरी बेघरों को आधार भूत सुविधाओं सहित आश्रय उपलब्ध कराया जा सके।

एजेन्डा बिन्दु संख्या–2

3. कार्यालय ज्ञाप संख्या– 2984/241/NULM/तीन/2001(SUH) दिनांक– 26.11.2014 के द्वारा राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के उपघटक शहरी बेघरों के लिए आश्रय योजनान्तर्गत जनपदों/शहरों से प्राप्त होने वाले प्रस्तावों के अप्रेजल हेतु गठित ''एप्रेजल समिति'' द्वारा परीक्षणोपरान्त राज्य परियोजना स्वीकृति समिति के समक्ष विचार विमर्श एवं स्वीकृति हेतु निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये:–

(धनराशि रू० लाख में)

क्र. सं.	शहर का नाम	प्रस्तावित शेल्टर होम का प्रकार	प्रस्तावित शहरी बेघरों की संख्या	प्रस्तावित निर्माण लागत	परीक्षणोपरान्त स्वीकृति निर्माण लागत	निर्माणोपरान्त प्रस्तावित संचालन व्यवस्था लागत 5 वर्षो हेतु	प्रस्तावित कुल लागत	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	लखनऊ							
	i) लक्ष्मण मेला मैदान	उच्चीकरण	50	10.73	14.82	30.00	44.82	G+2
	ii) चकबस्त रोड	उच्चीकरण	35	08.25	13.47	30.00	43.47	G+1
	iii) डालीगंज	उच्चीकरण	40	22.38	26.22	30.00	56.22	G+1
	iv) जियामऊ	उच्चीकरण	50	22.30	26.17	30.00	56.17	G+1
	योग	4 उच्चीकरण	175	63.66	80.68	120.00	200.68	

क्र. सं.	शहर का नाम	प्रस्तावित शेल्टर होम का प्रकार	प्रस्तावित शहरी बेघरों की संख्या	प्रस्तावित निर्माण लागत	परीक्षणोपरान्त स्वीकृति निर्माण लागत	निर्माणोपरान्त प्रस्तावित संचालन व्यवस्था लागत 5 वर्षों हेतु	प्रस्तावित कुल लागत	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	मुगलसराय–चन्दौली	नया निर्माण	50	129.43	130.58	29.97	160.55	G+1
3	बागपत	नया निर्माण	50	157.13	121.49	29.97	151.46	G+3
4	आजमगढ़	नया निर्माण	100	173.33	167.56	29.94	197.50	G+2
5	लोनी–गाजियाबाद	नया निर्माण	100	157.94	161.57	29.94	191.51	G+2
6	कौशाम्बी	नया निर्माण	50	132.12	129.19	29.97	159.16	G+1
7	गौतमबुद्ध नगर दादरी	नया निर्माण	100	279.66	227.31	29.94	257.25	G+3
8	बलिया	नया निर्माण	56	139.11	157.78	30.00	187.78	G+3
9	बिजनौर	नया निर्माण	50	138.38	115.92	29.94	145.86	G+2
10	गाजीपुर	नया निर्माण	75	169.39	163.30	29.97	193.27	G+1
11	खलीलाबाद – संत कबीर नगर–	नया निर्माण	100	280.90	228.77	30.00	258.77	G+1
12	बांदा	नया निर्माण	50	172.00	193.49	29.94	223.43	G.F
13	कासगंज	नया निर्माण	50	128.32	97.30	30.00	127.30	G+2
14	अकबरपुर–माती (कानपुर देहात)	नया निर्माण	60	146.45	148.68	30.00	178.68	G+2
15	कानपुर नगर शिवली रोड पहाड़पुर लाला लाजपत राय	 नया निर्माण नया निर्माण नया निर्माण	 60 60 60	 142.20 107.94 136.45	 142.20 105.17 142.64	 30.00 30.00 30.00	 172.20 135.17 172.64	 G+2 G+2 G+2
	योग	3 नया निर्माण	180	386.59	390.01	90.00	480.01	
16	हाथरस	नया निर्माण	100	196.20	164.76	30.00	194.76	G+1
17	रॉबर्ट्सगंज– सोनभद्र	नया निर्माण	50	116.48	108.16	29.22	137.38	G+2
18	आगरा	नया निर्माण	75	105.32	105.19	29.97	135.16	G+2
19	रामपुर	नया निर्माण	70	169.70	157.43	29.94	187.37	G+2

उपरोक्त प्रस्तावों पर सम्बन्धित नगर निकायों एवं कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 के प्रतिनिधियों द्वारा राज्य परियोजना स्वीकृति समिति के सम्मुख विचार विमर्श एवं स्वीकृति हेतु निम्नानुसार विस्तृत प्रस्तुतीकरण किया गया:–

3.1 लखनऊ

लखनऊ नगर हेतु उच्चीकरण किये जाने के चार प्रस्तावों में उच्चीकरण निर्माण कार्य एवं संचालन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। जनगणना 2011 के अनुसार लखनऊ शहर की जनसंख्या 28.15 लाख है। लखनऊ उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी होने एवं व्यवसाय का मुख्य केन्द्र होने के कारण आस-पास के जनपदों से बेरोजगार एवं निर्धन व्यक्ति रोजगार आदि की तलाश में बड़ी संख्या में लखनऊ आते हैं जिनके पास रात में सोने के लिए कोई स्थान नहीं होता है, जिसके कारण वे पुलों के नीचे व फुटपाथों आदि सार्वजनिक स्थलों पर रात गुजारते हैं। नगर प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित शेल्टर होम लक्ष्मण मेला मैदान-50, चकबस्त रोड- 35, डालीगंज-40, एवं जियामऊ में 50 शहरी बेघरों को स्थाई आश्रय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उच्चीकृत किये जाने का प्रस्ताव निम्नानुसार है:-

3.1.1 लक्ष्मण मेला मैदान-

3.1.1.1 उक्त लक्ष्मण मेला मैदान स्थित उच्चीकृत किया जाने वाला शेल्टर होम गोमती तट, निशातगंज पुल के निकट स्थित है तथा वर्तमान में नगर निगम द्वारा संचालित किया जा रहा है, जिसमें वर्तमान में लगभग 35 शहरी बेघरों को आश्रय की सुविधा दिये जाने की व्यवस्था है। उक्त शेल्टर होम को योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार 50 शहरी बेघरों की क्षमता हेतु उच्चीकृत किये जाने का प्रस्ताव है।

3.1.1.2 अवगत कराया गया कि 50 शहरी बेघरों हेतु उच्चीकृत परियोजना लागत रू0 44.82 लाख है, जिसमें निर्माण कार्य हेतु रू0 14.82 तथा 5 वर्षों के संचालन व्यवस्था हेतु रू0 30.00 लाख प्रस्तावित किया गया है।

3.1.1.3 उक्त शेल्टर होम के नजदीक निशातगंज मुख्य व्यवसायिक केन्द्र है, जहां काफी संख्या में शहरी बेघर रोजगार हेतु आते हैं। शेल्टर होम से बादशाह नगर रेलवे स्टेशन की दूरी लगभग 01 किमी0 है, तथा समीप ही लेबर अड्डा एवं पराग डेरी स्थित है, जिसमे काफी संख्या में मजदूर आदि रोजगार आदि हेतु आते हैं।

3.1.1.4 लखनऊ द्वारा प्रस्तुत किये गये उल्लिखित प्रस्ताव लक्ष्मण मेला मैदान के सम्बन्ध में परीक्षण समिति द्वारा अवगत कराया गया कि लक्ष्मण मेला मैदान, लखनऊ हेतु प्रस्तावित प्रस्ताव में प्रति शहरी बेघर हेतु क्षेत्रफल का मानक पूर्ण है। प्राप्त इस्टीमेट पी0डब्लू0डी0 दर अनुसूची (एस.ओ.आर.), (डी.एस.आर.) एवं नॉन शेड्यूल्ड आइटम में बाजार दरों के आधार पर गठित किया गया है, जिसमें वित्तीय नियमों का पालन कार्यदायी संस्था द्वारा किया जाना अपरिहार्य होगा।

3.1.1.5 शहरी बेघरों के पूर्व निर्मित आश्रय को उच्चीकृत किये जाने हेतु प्राप्त उक्त प्रस्ताव में तकनीकी (Estimate) प्राक्लन लेआउट एवं निर्मित की जाने वाली भौतिक सुविधाओं एवं सेवाओं, प्रस्तावित आश्रय का लोकेशन, डिजाइन, आवश्यकता का आंकलन संचालन एवं प्रबन्धन प्रकार एवं व्यवस्थाएं, आश्रय में रखे जाने वाले अभिलेख एवं लिंकेजेज विद इनटाइटिलमेंटस का संक्षिप्त में उल्लेख किया गया है तथा उच्चीकरण किये जाने वाले शेल्टर होम का फोटोग्राफ्स भी प्रस्तुत किया गया है।

3.1.1.6 उक्त प्रेषित डी0पी0आर0 में योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार सुचारू रूप से आश्रय मे रहने वालों हेतु नियमावली तथा अनुश्रवण एवं प्रबंधन व्यवस्था (आश्रय हेतु शेल्टर प्रबन्धन समिति के गठन एवं उत्तरदायित्व आदि) का उल्लेख नहीं है। उक्त के साथ ही प्रस्ताव में निर्मित किये जाने वाले भवन में उपलब्ध करायी जाने वाली भौतिक सुविधाओं के हस्तगत किये जाने के विवरण एवं संचालन व्यवस्था आदि का उल्लेख नहीं किया गया है।

3.1.1.7 प्रस्ताव में निर्माण कार्य की विस्तृत कार्ययोजना एवं बार चार्ट प्रस्तुत नहीं किया गया है।

3.1.1.8 प्रस्ताव में संचालन हेतु प्रस्तावित धनराशि के विवरण सक्षम स्तर से हस्ताक्षरित नहीं है।

3.1.1.9 नगर आयुक्त नगर निगम लखनऊ के पत्रांक– मेगो/पी0डी0/डूडा/15 दिनांक– 08.01.15 द्वारा भूमि आवंटन के सम्बन्ध में उल्लिखित है कि "लक्ष्मण मेला मैदान" स्थित शेल्टर होम जो कि नगर निगम के स्वामित्व में है" के साथ ही संचालन के सम्बन्ध में स्पष्ट उल्लेख है कि "5 वर्षों के उपरान्त भी नगर निगम अपने ससाधनों से शेल्टर होम का संचालन करायेगा।

3.1.1.10 राज्य परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा आपसी विचार विमर्श उपरान्त लखनऊ के लक्ष्मण मेला मैदान से प्राप्त 01 नये शेल्टर होम के निर्माण, एवं 5 वर्षों के संचालन हेतु निम्नलिखित शर्तो के अनुसार स्वीकृत प्रदान की गयी:–

(क). निर्माण कार्य हेतु निर्माण लागत धनराशि रू0 14.82 लाख योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार तीन किश्तो (40%, 40% एवं 20%) में अवमुक्त किये जाने पर विचार कर निर्णय हेतु संस्तुति इस आधार पर की जाती है कि प्रथम किश्त अवमुक्त के 15 दिवसों के अन्दर निर्माण की समय सारणी एवं विस्तृत कार्य योजना बार चार्ट सहित कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 को नगर निगम/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई के माध्यम से राज्य शहरी आजीविका मिशन निदेशालय, सूडा उ0प्र0 को उपलब्ध कराना अपरिहार्य होगा। द्वितीय किश्त संतोषजनक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति के साथ ही 70% उपभोग की गयी धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने पर की जायेगी।

(ख) संचालन व्यवस्था हेतु धनराशि शेल्टर होम का निर्माण पूर्ण होकर हस्तगत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के उपरान्त अवमुक्त किया जायेगा।

(ग) शेल्टर होम निर्माण कार्य पूर्ण होने से पूर्व नगर निगम/शहर मिशन प्रबंधन इकाई को, उक्त प्रस्ताव के परिपेक्ष्य में आश्रय में रहने वालों हेतु नियमावली तथा अनुश्रवण एवं प्रबंधन व्यवस्था (आश्रय हेतु शेल्टर प्रबन्धन समिति के गठन एवं उत्तरदायित्व आदि) का विवरण के साथ ही प्रस्ताव में निर्मित किये जाने वाले भवन एवं उपलब्ध करायी जाने वाली भौतिक सुविधाओं के हस्तगत किये जाने का दिशा निर्देशों के अनुसार विवरण एवं संचालन व्यवस्था हेतु प्रस्तावित धनराशि के विवरण पर सक्षम स्तर से हस्ताक्षरोपरान्त उपलब्ध कराया जाना अपरिहार्य होगा जिसके उपरान्त ही संचालन व्यवस्था हेतु धनराशि अवमुक्त किया जायेगा।

उक्त शर्तों के अनुपालन किये जाने की शर्त के साथ लखनऊ नगर स्थित लक्ष्मण मेला मैदान में पूर्व संचालित शेल्टर होम को उच्चीकृत किये जाने के परियोजना की स्वीकृति पर विचार कर स्वीकृत प्रदान की गयी।

3.1.2 चकबस्त रोड

3.1.2.1 उक्त चकबस्त रोड स्थित उच्चीकृत किया जाने वाला शेल्टर होम कैसरबाग रोडवेज बस स्टेशन से 100 मी0 की दूरी एवं तहसील तथा कचहरी के सामने स्थित है तथा वर्तमान में नगर निगम द्वारा संचालित किया जा रहा है, जिसमें वर्तमान में लगभग 35 शहरी बेघरों को आश्रय की सुविधा दिये जाने की व्यवस्था है। उक्त शेल्टर होम को योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार 35 शहरी बेघरों की क्षमता हेतु उच्चीकृत किये जाने का प्रस्ताव है।

3.1.2.2 अवगत कराया गया कि 35 शहरी बेघरों हेतु उच्चीकृत परियोजना लागत रू0 43.47 लाख है, जिसमें निर्माण कार्य हेतु रू0 13.47 तथा 5 वर्षों के संचालन व्यवस्था हेतु रू0 30.00 लाख प्रस्तावित किया गया है।

3.1.2.3 उक्त शेल्टर होम के नजदीक अमीनाबाद मुख्य व्यवसायिक केन्द्र है, जहां काफी संख्या में शहरी बेघर रोजगार हेतु आते हैं। शेल्टर होम से लगभग 200 मी0 की दूरी बलरामपुर अस्पताल भी है, जहां पर काफी संख्या में मजदूर आदि रोजगार, चिकित्सा एवं मुकदमों की पैरवी आदि हेतु आते हैं।

3.1.2.4 लखनऊ द्वारा प्रस्तुत किये गये उल्लिखित प्रस्ताव चकबस्त रोड के सम्बन्ध में परीक्षण समिति द्वारा अवगत कराया गया कि चकबस्त रोड, लखनऊ हेतु प्रस्तावित प्रस्ताव में प्रति शहरी बेघर हेतु क्षेत्रफल का मानक पूर्ण है। प्राप्त इस्टीमेट पी0डब्लू0डी0 दर अनुसूची (एस.ओ.आर.), (डी.एस.आर.) एवं नॉन शेड्यूल्ड आइटम में बाजार दरों के आधार पर गठित किया गया है, जिसमें वित्तीय नियमों का पालन कार्यदायी संस्था द्वारा किया जाना अपरिहार्य होगा।

3.1.2.5 शहरी बेघरों के पूर्व निर्मित आश्रय को उच्चीकृत किये जाने हेतु प्राप्त उक्त प्रस्ताव में तकनीकी (Estimate) प्राक्कलन लेआउट एवं निर्मित की जाने वाली भौतिक सुविधाओं एवं सेवाओं, प्रस्तावित आश्रय का लोकेशन, डिजाइन, आवश्यकता का आंकलन संचालन एवं प्रबन्धन प्रकार एवं व्यवस्थाएं, आश्रय में रखे जाने वाले अभिलेख एवं लिंकेजेज विद इनटाइटिलमेंटस का संक्षिप्त में उल्लेख किया गया है तथा उच्चीकरण किये जाने वाले शेल्टर होम का फोटोग्राफ्स भी प्रस्तुत किया गया है।

3.1.2.6 उक्त प्रेषित डी0पी0आर0 में योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार सुचारू रूप से आश्रय में रहने वालों हेतु नियमावली तथा अनुश्रवण एवं प्रबंधन व्यवस्था (आश्रय हेतु शेल्टर प्रबन्धन समिति के गठन एवं उत्तरदायित्व आदि) का उल्लेख नहीं है। उक्त के साथ ही प्रस्ताव में निर्मित किये जाने वाले भवन में उपलब्ध करायी जाने वाली भौतिक सुविधाओं के हस्तगत किये जाने के विवरण एवं संचालन व्यवस्था आदि का उल्लेख नहीं किया गया है।

3.1.2.7 प्रस्ताव में निर्माण कार्य की विस्तृत कार्ययोजना एवं बार चार्ट प्रस्तुत नहीं किया गया है।

3.1.2.8 प्रस्ताव में संचालन हेतु प्रस्तावित धनराशि के विवरण सक्षम स्तर से हस्ताक्षरित नहीं है।

3.1.2.9 नगर आयुक्त नगर निगम लखनऊ के पत्रांक– मेमो/पी0डी0/डूडा/15 दिनांक– 08.01.15 द्वारा भूमि आवंटन के सम्बन्ध में उल्लिखित है कि "चकबस्त रोड स्थित शेल्टर होम जो कि नगर निगम के स्वामित्व में है" के साथ ही संचालन के सम्बन्ध में स्पष्ट उल्लेख है कि "5 वर्षों के उपरान्त भी नगर निगम अपने संसाधनों से शेल्टर होम का संचालन करायेगा।

3.1.2.10 अवगत कराया गया कि गाइडलाइन में 50 अथवा 100 शहरी बेघरों हेतु आश्रय निर्माण/उच्चीकृत किये जाने का उल्लेख है तथा संचालन व्यवस्था हेतु स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि 50 शहरी बेघरों के शेल्टर हेतु रू0 6.00 लाख प्रतिवर्ष की दर से 5 वर्षों हेतु 30.00 लाख अनुमन्य किये जाने का प्रावधान है तथा अभी तक स्वीकृति समिति द्वारा 50 शहरी बेघरों से कम की क्षमता वाले शेलटर्स की कोई भी परियोजना स्वीकृत नहीं की गई है। इस प्रकार उच्चीकृत के प्रस्ताव पर गाइडलाइन के परिपेक्ष्य में निर्णय किया जाना समीचीन होगा।

3.1.2.11 राज्य परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा आपसी विचार विमर्श उपरान्त लखनऊ के चकबस्त रोड से प्राप्त 01 नये शेल्टर होम के निर्माण, एवं 5 वर्षो के संचालन के सम्बन्ध में भारत सरकार का प्रकरण सन्दर्भित का मार्ग निर्देश प्राप्त किये जाने के निर्देश दिये गये। भारत सरकार से निर्देश प्राप्त होने के उपरान्त ही इस परियोजना पर निर्णय लिये जाने का निर्णय लिया गया।

3.1.3 डालीगंज

3.1.3.1 उक्त डालीगंज स्थित उच्चीकृत किया जाने वाला शेल्टर होम मुख्य गल्ला व्यवसायिक केन्द्र डालीगंज में संचालित है तथा वर्तमान में नगर निगम द्वारा संचालित किया जा रहा है, जिसमे वर्तमान में लगभग 25 शहरी बेघरों को आश्रय की सुविधा दिये जाने की व्यवस्था है। उक्त शेल्टर होम को योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार 40 शहरी बेघरों की क्षमता हेतु उच्चीकृत किये जाने का प्रस्ताव है।

3.1.3.2 अवगत कराया गया कि 40 शहरी बेघरों हेतु उच्चीकृत परियोजना लागत रू0 56.22 लाख है, जिसमें निर्माण कार्य हेतु रू0 26.22 तथा 5 वर्षों के संचालन व्यवस्था हेतु रू0 30.00 लाख प्रस्तावित किया गया है।

3.1.3.3 उक्त शेल्टर होम डालीगंज रेलवे स्टेशन के समीप लगभग 400 मी0 की दूरी पर स्थित है तथा डालीगंज सब्जी मार्केट एवं अन्य व्यवसायिक केन्द्र के नजदीक है, जहां काफी संख्या में शहरी बेघर रोजगार आदि हेतु आते हैं। शेल्टर होम के पास में लेबर अड्डा भी है, जहां काफी संख्या में मजदूर आदि रोजगार आदि हेतु आते हैं।

3.1.3.4 लखनऊ द्वारा प्रस्तुत किये गये उल्लिखित प्रस्ताव के सम्बन्ध में परीक्षण समिति द्वारा अवगत कराया गया कि डालीगंज, लखनऊ हेतु प्रस्तावित प्रस्ताव में प्रति शहरी बेघर हेतु क्षेत्रफल का मानक पूर्ण है। प्राप्त इस्टीमेट पी0डब्लू0डी0 दर अनुसूची (एस.ओ.आर.), (डी.एस.आर.) एवं नॉन शेड्यूल्ड आइटम में बाजार दरों के आधार पर गठित किया गया है, जिसमें वित्तीय नियमों का पालन कार्यदायी संस्था द्वारा किया जाना अपरिहार्य होगा।

3.1.3.5 शहरी बेघरों के पूर्व निर्मित आश्रय को उच्चीकृत किये जाने हेतु प्राप्त उक्त प्रस्ताव में तकनीकी (Estimate) प्राक्लन लेआउट एवं निर्मित की जाने वाली भौतिक सुविधाओं एवं सेवाओं, प्रस्तावित आश्रय का लोकेशन, डिजाइन, आवश्यकता का आंकलन संचालन एवं प्रबन्धन प्रकार एवं व्यवस्थाएं, आश्रय में रखे जाने वाले अभिलेख एवं लिंकेजेज विद इनटाइटिलमेंटस का संक्षिप्त में उल्लेख किया गया है तथा उच्चीकरण किये जाने वाले शेल्टर होम का फोटोग्राफ्स भी प्रस्तुत किया गया है।

3.1.3.6 उक्त प्रेषित डी0पी0आर0 में योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार सुचारू रूप से आश्रय में रहने वालों हेतु नियमावली तथा अनुश्रवण एवं प्रबंधन व्यवस्था (आश्रय हेतु शेल्टर प्रबन्धन समिति के गठन एवं उत्तरदायित्व आदि) का उल्लेख नहीं है। उक्त के साथ ही प्रस्ताव में निर्मित किये जाने वाले भवन में उपलब्ध करायी जाने वाली भौतिक सुविधाओं के हस्तगत किये जाने के विवरण एवं संचालन व्यवस्था आदि का उल्लेख नहीं किया गया है।

3.1.3.7 प्रस्ताव में निर्माण कार्य की विस्तृत कार्ययोजना एवं वार चार्ट प्रस्तुत नहीं किया गया है।

3.1.3.8 प्रस्ताव में संचालन हेतु प्रस्तावित धनराशि के विवरण सक्षम स्तर से हस्ताक्षरित नहीं है।

3.1.3.9 नगर आयुक्त नगर निगम लखनऊ के पत्रांक– मेमो/पी0डी0/डूडा/15 दिनांक– 08.01.15 द्वारा भूमि आवंटन के सम्बन्ध में उल्लिखित है कि "डालीगंज स्थित शेल्टर जो कि नगर निगम के स्वामित्व में है" के साथ ही संचालन के सम्बन्ध में स्पष्ट उल्लेख है कि "5 वर्षों के उपरान्त भी नगर निगम अपने संसाधनों से शेल्टर होम का संचालन करायेगा।

3.1.3.10 अवगत कराया गया कि गाइडलाइन में 50 अथवा 100 शहरी बेघरों हेतु आश्रय निर्माण/उच्चीकृत किये जाने का उल्लेख है तथा संचालन व्यवस्था हेतु स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि 50 शहरी बेघरों के शेल्टर हेतु रू0 6.00 लाख प्रतिवर्ष की दर से 5 वर्षों हेतु 30.00 लाख अनुमन्य किये जाने का प्रावधान है तथा अभी तक स्वीकृति समिति द्वारा 50 शहरी बेघरों से कम की क्षमता वाले शेलटर्स की कोई भी परियोजना स्वीकृत नही की गई है। इस प्रकार उच्चीकृत के प्रस्ताव पर गाइडलाइन के परिपेक्ष्य में निर्णय किया जाना समीचीन होगा।

3.1.3.11 राज्य परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा आपसी विचार विमर्श उपरान्त लखनऊ के चकबस्त रोड से प्राप्त 01 नये शेल्टर होम के उच्चीकरण निर्माण, एवं 5 वर्षों के संचालन के सम्बन्ध में भारत सरकार का प्रकरण सन्दर्भित का मार्ग निर्देश प्राप्त किये जाने के निर्देश दिये गये। भारत सरकार से निर्देश प्राप्त होने के उपरान्त ही इस परियोजना पर निर्णय लिये जाने का निर्णय लिया गया।

3.1.4 जियामऊ

3.1.4.1 उक्त जियामऊ स्थित उच्चीकृत किया जाने वाला शेल्टर होम कैंसर अस्पताल एवं बालू अड्डा चौराहे पर स्थित है। शेल्टर होम के नजदीक ही लेबर अड्डा होने के कारण मजदूरों का जमावड़ा लगता है। वर्तमान में उक्त शेल्टर होम का संचालन नगर निगम द्वारा किया जा रहा है, जिसमें वर्तमान में लगभग 35 शहरी बेघरों को आश्रय की सुविधा दिये जाने की व्यवस्था है। उक्त शेल्टर होम को योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार 50 शहरी बेघरों की क्षमता हेतु उच्चीकृत किये जाने का प्रस्ताव है।

3.1.4.2 50 शहरी बेघरों हेतु उच्चीकृत परियोजना लागत रू0 56.17 लाख है, जिसमें निर्माण कार्य हेतु रू0 26.17 तथा 5 वर्षों के संचालन व्यवस्था हेतु रू0 30.00 लाख प्रस्तावित किया गया है।

3.1.4.3 उक्त शेल्टर होम तक आवागमन के सार्वजनिक सुविधायें उपलब्ध हैं तथा शेल्टर होम तक आसानी से पैदल, टैम्पो, बस आदि के द्वारा भी पहुंचा जा सकता है।

3.1.4.4 लखनऊ द्वारा प्रस्तुत किये गये उल्लिखित प्रस्ताव जियामऊ के सम्बन्ध में परीक्षण समिति द्वारा अवगत कराया गया कि जियामऊ, लखनऊ हेतु प्रस्तावित उच्चीकरण के प्रस्ताव में प्रति शहरी बेघर हेतु क्षेत्रफल का मानक पूर्ण है। प्राप्त इस्टीमेट पी0डब्लू0डी0 दर अनुसूची (एस. ओ.आर.), (डी.एस.आर.) एवं नॉन शेड्यूल्ड आइटम में बाजार दरों के आधार पर गठित किया गया है, जिसमें वित्तीय नियमों का पालन कार्यदायी संस्था द्वारा किया जाना अपरिहार्य होगा।

3.1.4.5 शहरी बेघरों के पूर्व निर्मित आश्रय को उच्चीकृत किये जाने हेतु प्राप्त उक्त प्रस्ताव में तकनीकी (Estimate) प्राक्लन लेआउट एवं निर्मित की जाने वाली भौतिक सुविधाओं एवं सेवाओं, प्रस्तावित आश्रय का लोकेशन, डिजाइन, आवश्यकता का आंकलन संचालन एवं प्रबन्धन प्रकार एवं व्यवस्थाएं, आश्रय में रखे जाने वाले अभिलेख एवं लिंकेजेज विद इनटाइटिलमेंटस का संक्षिप्त में उल्लेख किया गया है तथा उच्चीकरण किये जाने वाले शेल्टर होम का फोटोग्राफ्स भी प्रस्तुत किया गया है।

3.1.4.6 उक्त प्रेषित डी0पी0आर0 में योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार सुचारू रूप से आश्रय में रहने वालों हेतु नियमावली तथा अनुश्रवण एवं प्रबंधन व्यवस्था (आश्रय हेतु शेल्टर प्रबन्धन समिति के गठन एवं उत्तरदायित्व आदि) का उल्लेख नहीं है। उक्त के साथ ही प्रस्ताव में निर्मित किये जाने वाले भवन में उपलब्ध करायी जाने वाली भौतिक सुविधाओं के हस्तागत किये जाने के विवरण एवं संचालन व्यवस्था आदि का उल्लेख नहीं किया गया है।

3.1.4.7 प्रस्ताव में निर्माण कार्य की विस्तृत कार्ययोजना एवं बार चार्ट प्रस्तुत नहीं किया गया है।

3.1.4.8 प्रस्ताव में संचालन हेतु प्रस्तावित धनराशि के विवरण सक्षम स्तर से हस्ताक्षरित नहीं है।

3.1.4.9 नगर आयुक्त नगर निगम लखनऊ के पत्रांक- मेमो/पी0डी0/डूडा/15 दिनांक- 08.01.15 द्वारा भूमि आवंटन के सम्बन्ध में उल्लिखित है कि "डालीगंज स्थित शेल्टर जो कि नगर निगम के स्वामित्व में है" के साथ ही संचालन के सम्बन्ध में स्पष्ट उल्लेख है कि "5 वर्षों के उपरान्त भी नगर निगम अपने संसाधनों से शेल्टर होम का संचालन करायेगा।

3.1.4.10 राज्य परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा आपसी विचार विमर्श उपरान्त लखनऊ के जियामऊ से प्राप्त 01 नये शेल्टर होम के निर्माण, एवं 5 वर्षों के संचालन हेतु निम्नलिखित शर्तों के अनुसार स्वीकृत प्रदान की गयी:–

(क). निर्माण कार्य हेतु निर्माण लागत धनराशि रू0 26.17 लाख योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार तीन किश्तों (40%, 40% एवं 20%) में अवमुक्त किये जाने पर विचार कर निर्णय हेतु संस्तुति इस आधार पर की जाती है कि प्रथम किश्त अवमुक्त के 15 दिवसों के अन्दर निर्माण की समय सारणी एवं विस्तृत कार्य योजना बार चार्ट सहित कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 को नगर निगम/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई के माध्यम से राज्य शहरी आजीविका मिशन निदेशालय, सूडा उ0प्र0 को उपलब्ध कराना अपरिहार्य होगा। द्वितीय किश्त संतोषजनक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति के साथ ही 70% उपभोग की गयी धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने पर की जायेगी।

(ख). संचालन व्यवस्था हेतु धनराशि शेल्टर होम का निर्माण पूर्ण होकर हस्तगत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के उपरान्त अवमुक्त किया जायेगा।

(ग). शेल्टर होम निर्माण कार्य पूर्ण होने से पूर्व नगर निगम/शहर मिशन प्रबंधन इकाई को, उक्त प्रस्ताव के परिपेक्ष्य में आश्रय में रहने वालों हेतु नियमावली तथा अनुश्रवण एवं प्रबंधन व्यवस्था (आश्रय हेतु शेल्टर प्रबन्धन समिति के गठन एवं उत्तरदायित्व आदि) का विवरण के साथ ही प्रस्ताव में निर्मित किये जाने वाले भवन एवं उपलब्ध करायी जाने वाली भौतिक सुविधाओं के हस्तगत किये जाने का दिशा निर्देशों के अनुसार विवरण एवं संचालन व्यवस्था हेतु प्रस्तावित धनराशि के विवरण पर सक्षम स्तर से हस्ताक्षरोपरान्त उपलब्ध कराया जाना अपरिहार्य होगा जिसके उपरान्त ही संचालन व्यवस्था हेतु धनराशि अवमुक्त किया जायेगा।

उक्त शर्तों के अनुपालन किये जाने की शर्त के साथ लखनऊ नगर स्थित जियामऊ में पूर्व से संचालित शेल्टर होम को उच्चीकृत किये जाने के परियोजना की स्वीकृति पर विचार कर स्वीकृत प्रदान की गयी।

3.2.5 मुगलसराय–चन्दौली

3.2.5.1 मुगलसराय– नगरीय निकाय, जनपद–चन्दौली के प्रस्तुतीकरण में अवगत कराया गया कि मुगलसराय की जनसंख्या 1.09 लाख है।

3.2.5.2 अवगत कराया गया कि 50 शहरी बेघरों हेतु उच्चीकृत परियोजना लागत रू0 160.55 लाख है, जिसमें निर्माण कार्य हेतु रू0 130.58 तथा 5 वर्षों के संचालन व्यवस्था हेतु रू0 29.97 लाख प्रस्तावित किया गया है।

3.2.5.3 नगर निकाय प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित शेल्टर होम अलीनगर, मुगलसराय में प्रस्तावित किया गया है क्योंकि उक्त निकाय में उत्तर पूर्व एशिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है।

3.2.5.4 निकाय में बढ़ते शहरीकरण एवं रेलवे का महत्वपूर्ण स्टेशन होने के दृष्टिगत काफी संख्या में आस–पास के क्षेत्रों से लोग रोजगार एवं अन्य कार्यों हेतु आते हैं, जिन्हें आश्रय की समस्या होती है।

3.2.5.5 शहरी बेघरों को आश्रय सुविधा दिये जाने हेतु प्रस्तावित आश्रय रेलवे स्टेशन एवं बस स्टेशन से 2 किमी0 की दूरी पर बनाये जाने का प्रस्ताव है।

3.2.5.6 शेल्टर होम के प्रस्तावित स्थल के समीप ही लेबर अड्डा है, जिसमें काफी संख्या में मजदूरों को आश्रय की समस्या होती है। प्रस्तावित स्थल से आवागमन की सुविधा उपलब्ध है।

3.2.5.7 प्रस्तावित शेल्टर होम का प्रस्ताव गाइडलाइन के अनुरूप तैयार किया गया है, जिसमें लोकेशन, प्रति शहरी बेघर स्थल का मानक एवं अन्य सुविधायें मानकों के अनुरूप है।

3.2.5.8 परीक्षण समिति द्वारा अवगत कराया गया कि मुगलसराय हेतु प्रस्तावित प्रस्ताव में प्रति शहरी बेघर हेतु क्षेत्रफल का मानक पूर्ण है। प्राप्त इस्टीमेट पी0डब्लू0डी0 दर अनुसूची (एस.ओ.आर.), (डी.एस.आर.) एवं नॉन शेड्यूल्ड आइटम में बाजार दरों के आधार पर गठित किया गया है, जिसमें वित्तीय नियमों का पालन कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 द्वारा किया जाना अपरिहार्य होगा।

3.2.5.9 शहरी बेघरों के आश्रय हेतु प्राप्त उक्त प्रस्ताव में तकनीकी (Estimate) प्राक्कलन लेआउट के साथ प्रस्तावित आश्रय के लोकेशन का मैप डिजाइन एवं लिंकेजेज विद इनटाइटिलमेंटस का उल्लेख किया गया है।

3.2.5.10 प्रेषित डी0पी0आर0 में योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार सुचारू रूप से संचालन रणनीति एवं व्यवस्था, आश्रय में रखे जाने वाले अभिलेखों का विवरण, आश्रय में रहने वालों हेतु नियमावली तथा अनुश्रवण एवं प्रबंधन व्यवस्था (आश्रय हेतु शेल्टर प्रबन्धन समिति के गठन एवं उत्तरदायित्व आदि) का उल्लेख नहीं है। उक्त के साथ ही प्रस्ताव में निर्मित किये जाने वाले भवन में उपलब्ध करायी जाने वाली भौतिक सुविधाओं के हस्तगत किये जाने के विवरण एवं संचालन व्यवस्था आदि का उल्लेख नहीं किया गया है।

3.2.5.11 प्रस्ताव के साथ कब्जा प्राप्त स्थल का फोटोग्राफ संलग्न नहीं किया गया है। निर्माण कार्य की विस्तृत कार्ययोजना एवं वार चार्ट भी प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया है।

3.2.5.12 प्रस्ताव में निर्मित किये जाने वाले शेल्टर होम के 5 वर्षों उपरान्त नगरीय निकाय द्वारा अपने संसाधनों से संचालन किये जाने का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है।

3.2.5.13 संचालन व्यवस्था हेतु प्रस्तावित व्यय विवरण सक्षम स्तर से हस्ताक्षरित नहीं है।

3.2.5.14 **राज्य परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा आपसी विचार विमर्श उपरान्त नगरीय निकाय मुगलसराय–चन्दौली से प्राप्त 01 नये शेल्टर होम के निर्माण, एवं 5 वर्षों के संचालन हेतु निम्नलिखित शर्तों के अनुसार स्वीकृत प्रदान की गयी:–**

(क). निर्माण कार्य हेतु निर्माण लागत धनराशि रू0 130.58 लाख योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार तीन किश्तों (40%, 40% एवं 20%) में अवमुक्त किये जाने पर विचार कर निर्णय हेतु संस्तुति इस आधार पर की जाती है कि प्रथम किश्त अवमुक्त के 15 दिवसों के अन्दर निर्माण की समय सारणी एवं विस्तृत कार्य योजना वार चार्ट सहित कार्यदायी संस्था सी0एण्ड

डी0एस0 को नगर निकाय/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई के माध्यम से राज्य शहरी आजीविका मिशन निदेशालय, सूडा उ0प्र0 को उपलब्ध कराना अपरिहार्य होगा। द्वितीय किश्त संतोषजनक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति के साथ ही 70% उपभोग की गयी धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने पर की जायेगी।

(ख). संचालन व्यवस्था हेतु धनराशि शेल्टर होम का निर्माण पूर्ण होकर हस्तगत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के उपरान्त अवमुक्त किया जायेगा।

(ग). शेल्टर होम निर्माण कार्य पूर्ण होने से पूर्व नगर निकाय/शहर मिशन प्रबंधन इकाई को, उक्त प्रस्ताव के परिपेक्ष्य में सुचारू रूप से संचालन रणनीति एवं व्यवस्था, आश्रय में रखे जाने वाले अभिलेखों का विवरण, आश्रय में रहने वालों हेतु नियमावली तथा अनुश्रवण एवं प्रबंधन व्यवस्था (आश्रय हेतु शेल्टर प्रबन्धन समिति के गठन एवं उत्तरदायित्व आदि) के साथ ही प्रस्ताव में निर्मित किये जाने वाले भवन एवं उक्त आश्रय में उपलब्ध करायी जाने वाली भौतिक सुविधाओं के हस्तगत किये जाने के विवरण एवं संचालन व्यवस्था आदि का दिशा निर्देशों के अनुसार विस्तृत विवरण के साथ ही संचालन व्यवस्था हेतु प्रस्तावित धनराशि के विवरण पर सक्षम स्तर से हस्ताक्षरोपरान्त उपलब्ध कराया जाना अपरिहार्य होगा जिसके उपरान्त ही संचालन व्यवस्था हेतु धनराशि अवमुक्त किया जायेगा।

(घ) नगर निकाय/शहर मिशन प्रबंधन इकाई द्वारा प्रस्तावित आश्रय निर्माण के 5 वर्षो उपरान्त अपने संसाधनों से संचालन किये जाने के सम्बन्ध में स्पष्ट प्रमाण पत्र उपलब्ध जायेगा।

उक्त शर्तों के अनुपालन किये जाने की शर्त के साथ राज्य परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा मुगलसराय– चन्दौली निकाय हेतु प्रस्तावित प्रस्ताव पर विचार कर स्वीकृत प्रदान की गयी।

3.3.6 बागपत

3.3.6.1 बागपत नगरीय निकाय प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश स्थित बागपत आस–पास के क्षेत्रों का मुख्य व्यवसायिक केन्द्र है, जहां आस–पास के गांवों से काफी संख्या में लोग रोजगार आदि कार्यों हेतु आते हैं, जिन्हें विभिन्न खुले स्थानों में आश्रय लेना पड़ता है।

3.3.6.2 अवगत कराया गया कि 50 शहरी बेघरों हेतु उच्चीकृत परियोजना लागत रू0 151.46 लाख है, जिसमें निर्माण कार्य हेतु रू0 121.49 तथा 5 वर्षों के संचालन व्यवस्था हेतु रू0 29.97 लाख प्रस्तावित किया गया है।

3.3.6.3 बागपत नगर में कई विख्यात मन्दिरों के होने के कारण श्रद्धालुओं का नगर में निरन्तर आना जाना लगा रहता है, तथा उनको आश्रय की समस्या होती है।

3.3.6.4 प्रस्तावित स्थल के आस–पास बस स्टॉप एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के चबूतरों आदि पर काफी संख्या में रिक्शा चालक, श्रमिक आदि आश्रय लेते हैं।

3.3.6.5 अवगत कराया गया कि प्रस्तावित शेल्टर होम का संचालन नगर पालिका परिषद बागपत द्वारा शेल्टर प्रबन्धन समिति का गठन कर किया जायेगा।

3.3.6.6 परीक्षण समिति द्वारा अवगत कराया गया कि योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित प्रस्ताव में प्रति शहरी बेघर हेतु क्षेत्रफल का मानक पूर्ण है। प्राप्त इस्टीमेट पी0डब्लू0डी0 दर अनुसूची (एस.ओ.आर.), (डी.एस.आर.) एवं नॉन शेड्यूल्ड आइटम में बाजार दरों के आधार पर गठित किया गया है, जिसमें वित्तीय नियमों का पालन कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 द्वारा किया जाना अपरिहार्य होगा।

3.3.6.7 शहरी बेघरों के आश्रय हेतु प्राप्त उक्त प्रस्ताव में तकनीकी (Estimate) प्राक्कलन लेआउट के साथ प्रस्तावित आश्रय का डिजाइन एवं निर्मित की जाने वाली भौतिक सुविधाओं एवं सेवायोजन के साथ ही, इनटाइटिलमेंटस लिंकेजेज के विवरण का उल्लेख किया गया है।

3.3.6.8 प्रेषित डी0पी0आर0 में योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार सुचारू रूप से शहर प्रोफाइल, संचालन रणनीति एवं व्यवस्था, आश्रय में रखे जाने वाले अभिलेखों का विवरण, आश्रय में रहने वालों हेतु नियमावली तथा अनुश्रवण एवं प्रबंधन व्यवस्था (आश्रय हेतु शेल्टर प्रबन्धन समिति के गठन एवं उत्तरदायित्व आदि) का उल्लेख नहीं है। उक्त के साथ ही प्रस्ताव में निर्मित किये जाने वाले भवन में उपलब्ध करायी जाने वाली भौतिक सुविधाओं के हस्तगत किये जाने के विवरण एवं संचालन व्यवस्था आदि का उल्लेख नहीं किया गया है।

3.3.6.9 प्रस्ताव में प्रस्तावित स्थल के आवंटन के सम्बन्ध में अधिशासी अधिकारी एवं अध्यक्ष नगर पालिका परिषद के पत्रांक–255/एस0यू0एच0 भूमि प्रस्ताव/2014–15 दिनांक 01.12.2014 के द्वारा अवगत कराया गया है कि नगर पालिका परिषद बागपत में टेलीफोन एक्सचेन्ज के निकट पानी की टंकी के परिसर में 18X08 भूमि उपलब्ध है जो विवादग्रस्त नहीं है। नगर पालिका परिषद बागपत द्वारा उक्त भूमि में एस0यू0एच0 के अन्तर्गत आश्रय निर्माण हेतु 18 X08 भूमि प्रदान की जाती है।

3.3.6.10 प्रस्ताव में निर्मित किये जाने वाले शेल्टर होम के 5 वर्षों उपरान्त नगरीय निकाय द्वारा अपने संसाधनों से संचालन किये जाने का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है।

3.3.6.11 प्रस्तावित शेल्टर होम के ग्राउण्ड फ्लोर पर निर्मित किये जाने वाले भवन में दी जाने वाली सुविधाओं के प्रस्तुत किये गये डिजाइन में कम स्थल में अत्यधिक सुविधाओं के होने के

दृष्टिगत राज्य परियोजना स्वीकृत समिति के कतिपय सदस्यों द्वारा असहमति व्यक्त किया गया।

3.3.6.12 राज्य परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा आपसी विचार विमर्श उपरान्त नगरीय निकाय बागपत से प्राप्त 01 नये शेल्टर होम के निर्माण, एवं 5 वर्षों के संचालन के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि निकाय में उपर्युक्त स्थल की तलाश कर संशोधित डिजाइन के साथ प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय। नये स्थल पर भूमि न मिलने पर स्पष्ट कारणों सहित संशोधित डिजाइन के साथ योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार इंगित कमियों का निराकरण कर पुन संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाय।

3.4.7 आजमगढ़

3.4.7.1 आजमगढ़ के प्रस्तुतीकरण में निकाय प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि आजमगढ नगरीय निकाय की जनसंख्या 110983 है। "शहरी बेघरों के आश्रय" हेतु नगरीय निकाय में 100 व्यक्तियों के लिए नये आश्रय निर्माण का प्रस्ताव है।

3.4.7.2 अवगत कराया गया कि 100 शहरी बेघरों हेतु उच्चीकृत परियोजना लागत रू0 197.50 लाख है, जिसमें निर्माण कार्य हेतु रू0 167.56 तथा 5 वर्षों के संचालन व्यवस्था हेतु रू0 29.94 लाख प्रस्तावित किया गया है।

3.4.7.3 प्रस्ताव के सम्बन्ध में नगरीय निकाय प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित स्थल हरारा की चुंगी जो शहरी बेघरों हेतु उपयुक्त एवं मानकों के अनुरूप है।

3.4.7.4 परीक्षण समिति द्वारा अवगत कराया गया कि योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित प्रस्ताव में प्रति शहरी बेघर हेतु क्षेत्रफल का मानक पूर्ण है। प्राप्त इस्टीमेट पी0डब्लू0डी0 दर अनुसूची (एस.ओ.आर.), (डी.एस.आर.) एवं नॉन शेड्यूल्ड आइटम में बाजार दरों के आधार पर गठित किया गया है, जिसमें वित्तीय नियमों का पालन कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 द्वारा किया जाना अपरिहार्य होगा।

3.4.7.5 शहरी बेघरों के आश्रय हेतु प्राप्त उक्त प्रस्ताव में तकनीकी (Estimate) प्राक्कलन लेआउट के साथ प्रस्तावित आश्रय का डिजाइन एवं निर्मित की जाने वाली भौतिक सुविधाओं एवं सेवाओं के साथ ही, इनटाइटिलमेंटस लिंकेजेज के विवरण का उल्लेख किया गया है।

3.4.7.6 उक्त प्रेषित डी0पी0आर0 में योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार सुचारू रूप से संचालन रणनीति एवं व्यवस्था, आश्रय में रखे जाने वाले अभिलेखों का विवरण, आश्रय में रहने वालों हेतु नियमावली तथा अनुश्रवण एवं प्रबंधन व्यवस्था (आश्रय हेतु शेल्टर प्रबन्धन समिति के गठन एवं उत्तरदायित्व आदि) का उल्लेख नहीं है। उक्त के साथ ही प्रस्ताव में निर्मित किये जाने वाले भवन में उपलब्ध करायी जाने वाली भौतिक सुविधाओं के हस्तगत किये जाने के विवरण एवं संचालन व्यवस्था आदि का उल्लेख नहीं किया गया है।

3.4.7.7 प्रस्ताव में कब्जा प्राप्त स्थल का फोटोग्राफ संलग्न नहीं किया गया है। निर्माण कार्य की विस्तृत कार्ययोजना एवं बार चार्ट भी प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया है।

3.4.7.8 प्रस्ताव में निर्मित किये जाने वाले शेल्टर होम के 5 वर्षों उपरान्त नगरीय निकाय द्वारा अपने संसाधनों से संचालन किये जाने के सम्बन्ध में स्पष्ट प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। उक्त स्पष्ट प्रमाण पत्र निकाय को उपलब्ध कराना अपरिहार्य होगा।

3.4.7.9 कब्जा प्राप्त स्थल का फोटो ग्राफ उपलब्ध करा दिया गया है जो डी0पी0आर0 में संलग्न है।

3.4.7.10 प्रस्तावित शेल्टर होम हेतु भूमि आवंटन के सम्बन्ध में प्रमुख अधीक्षक जिला मण्डलीय चिकित्सालय आजमगढ़ के पत्रांक–जि0चि0आ0/2014–15/1104 दिनांक 24.12.2014 द्वारा अवगत कराया गया है कि "एस0यू0एच0 केन्द्र हेतु मण्डलीय जिला चिकित्सालय परिषद आजमगढ़ में भूमि उपलब्ध करायी जाती है।"

3.4.7.11 राज्य परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा आपसी विचार विमर्श उपरान्त नगरीय निकाय आजमगढ़ से प्राप्त 01 नये शेल्टर होम के निर्माण, एवं 5 वर्षों के संचालन हेतु निम्नलिखित शर्तों के अनुसार स्वीकृत प्रदान की गयी:–

(क). निर्माण कार्य हेतु निर्माण लागत धनराशि रू0 167.56 लाख योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार तीन किश्तों (40%, 40% एवं 20%) में अवमुक्त किये जाने पर विचार कर निर्णय हेतु संस्तुति इस आधार पर की जाती है कि प्रथम किश्त अवमुक्त के 15 दिवसों के अन्दर निर्माण की समय सारणी एवं विस्तृत कार्य योजना, बार चार्ट कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 को नगर निकाय/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई के माध्यम से राज्य शहरी आजीविका मिशन निदेशालय, सूडा उ0प्र0 को उपलब्ध कराना अपरिहार्य होगा। द्वितीय

किश्त संतोषजनक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति के साथ ही 70% उपभोग की गयी धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने पर की जायेगी।

(ख). संचालन व्यवस्था हेतु धनराशि शेल्टर होम का निर्माण पूर्ण होकर हस्तगत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के उपरान्त अवमुक्त किया जायेगा।

(ग). शेल्टर होम निर्माण कार्य पूर्ण होने से पूर्व नगर निकाय/शहर मिशन प्रबंधन इकाई को, उक्त प्रस्ताव के परिपेक्ष्य में संचालन रणनीति एवं व्यवस्था, आश्रय में रखे जाने वाले अभिलेखों का विवरण, आश्रय में रहने वालों हेतु नियमावली तथा अनुश्रवण एवं प्रबंधन व्यवस्था (आश्रय हेतु शेल्टर प्रबन्धन समिति के गठन एवं उत्तरदायित्व आदि) के साथ ही प्रस्ताव में निर्मित किये जाने वाले भवन एवं उपलब्ध करायी जाने वाली भौतिक सुविधाओं के हस्तगत किये जाने के विवरण एवं संचालन व्यवस्था आदि का दिशा निर्देशों के अनुसार विस्तृत विवरण के साथ ही संचालन व्यवस्था हेतु प्रस्तावित धनराशि के विवरण पर सक्षम स्तर से हस्ताक्षरोपरान्त उपलब्ध कराया जाना अपरिहार्य होगा जिसके उपरान्त ही संचालन व्यवस्था हेतु धनराशि अवमुक्त किया जायेगा।

(घ) नगर निकाय द्वारा प्रस्तावित आश्रय निर्माण के 5 वर्षो उपरान्त अपने संसाधनों से संचालन किये जाने के सम्बन्ध में स्पष्ट प्रमाण पत्र तत्काल उपलब्ध कराया जायेगा।

उक्त शर्तों के अनुपालन किये जाने की शर्त के साथ राज्य परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा आजमगढ़ निकाय हेतु प्रस्तावित प्रस्ताव पर विचार कर स्वीकृत प्रदान की गयी।

3.5.8 लोनी–गाजियाबाद

3.5.8.1 नगर पालिका परिषद लोनी गाजियाबाद हेतु प्रस्तावित आश्रय निर्माण के सम्बन्ध में महाप्रबन्धक सी0एण्ड डी0एस0 द्वारा प्रस्तुतीकरण में अवगत कराया गया कि लोनी नगरीय निकाय की जनसंख्या 516082 लाख है। लोनी में प्रस्तावित शेल्टर बस अड्डा एवं लोनी–बागपत चौराहे के पास प्रस्तावित है।

3.5.8.2 अवगत कराया गया कि 100 शहरी बेघरों हेतु उच्चीकृत परियोजना लागत रू0 191.51 लाख है, जिसमें निर्माण कार्य हेतु रू0 161.57 तथा 5 वर्षों के संचालन व्यवस्था हेतु रू0 29.94 लाख प्रस्तावित किया गया है।

3.5.8.3 प्रस्तुतीकरण में अवगत कराया गया कि प्रस्तावित स्थल के करीब ही अस्पताल एवं प्राइवेट क्लीनिक्स भी हैं। इन स्थलों पर काफी संख्या में लोग इलाज एवं श्रमिक रोजगार हेतु आते हैं तथा बस अड्डा एवं आस पास के फुटपाथ पर आश्रय लेते हैं। जिसके दृष्टिगत प्रस्तावित स्थल आश्रय हेतु उपयोगी है।

3.5.8.4 प्रस्तावित शेल्टर होम 100 व्यक्तियों की क्षमता के अनुसार है। जिसमें सभी प्रकार के शहरी बेघरों (पुरूषों, महिलाओं, परिवार एवं बीमार आदि व्यक्तियों) हेतु प्रस्तावित किया गया है।

3.5.8.5 नगर निकाय प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित शेल्टर होम में सभी आवश्यक सुविधायें जैसे– बेडिंग, पेयजल, बिजली, किचेन, शौचालय, मनोरंजन हेतु कॉमन कक्ष फस्ट एड बॉक्स आदि सभी सुविधायें एवं सेवायें योजना के दिशा निर्देशों के अनुरूप उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित किया गया है।

3.5.8.6 नगरीय निकाय प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया प्रस्तावित स्थल का क्षेत्रफल 7840.00 वर्गमीटर है, जिसमें तलों पर 1189.83 वर्गमीटर के क्षेत्रफल में शेल्टर होम G+2 का निर्माण प्रस्तावित किया गया है।

3.5.8.7 परीक्षण समिति द्वारा अवगत कराया गया कि योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित प्रस्ताव में प्रति शहरी बेघर हेतु क्षेत्रफल का मानक पूर्ण है। प्राप्त इस्टीमेट पी0डब्लू0डी0 दर अनुसूची (एस.ओ.आर.), (डी.एस.आर.) एवं नॉन शेड्यूल्ड आइटम में बाजार दरों के आधार पर गठित किया गया है, जिसमें वित्तीय नियमों का पालन कार्यदायी संस्था द्वारा किया जाना अपरिहार्य होगा।

3.5.8.8 शहरी बेघरों के आश्रय हेतु प्राप्त उक्त प्रस्ताव में तकनीकी (Estimate) प्राक्कलन लेआउट के साथ प्रस्तावित आश्रय हेतु शहर की प्रोफाइल, विवरण, लोकेशन का डिजाइन, लिंकेजेज विद इनटाइटिलमेंटस एवं आश्रय में उपलब्ध करायी जाने वाली सेवाओं के विवरण का उल्लेख किया गया है।

3.5.8.9 उक्त प्रेषित डी0पी0आर0 में योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार सुचारू रूप से संचालन रणनीति एवं व्यवस्था, आश्रय में रखे जाने वाले अभिलेखों का विवरण, आश्रय में रहने व...ों हेतु नियमावली तथा अनुश्रवण एवं प्रबंधन व्यवस्था (आश्रय हेतु शेल्टर प्रबन्धन समिति के गठन एवं उत्तरदायित्व आदि) का उल्लेख नहीं है। उक्त के साथ ही प्रस्ताव में निर्मित किये जाने वाले भवन में उपलब्ध करायी जाने वाली भौतिक सुविधाओं के हस्तगत किये जाने के विवरण एवं संचालन व्यवस्था आदि का उल्लेख नहीं किया गया है।

3.5.8.10 प्रस्ताव में कब्जा प्राप्त स्थल का फोटोग्राफ संलग्न नहीं किया गया है। निर्माण कार्य की विस्तृत कार्ययोजना एवं बार चार्ट भी प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया है।

3.5.8.11 प्रस्ताव के फार्म– जे0 एवं संचालन व्यवस्था हेतु 5 वर्षो हेतु रू0 29.94 लाख के प्रस्तावित धनराशि के विवरण सक्षम स्तर से हस्ताक्षरित नहीं है।

3.5.8.12 अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद लोनी के पत्र स0–844/न0पा0प0/भूमि प्रस्ताव/ 2014–15 दिनांक 26.11.2014 द्वारा अवगत कराया गया है कि निकाय के सीमान्तर्गत स्थित भूमि जो कि लोनी रेलवे स्टेशन से 500 मी0 दूरी पर मेन गाजियाबाद रोड पर लोनी चकबन्दी क्षेत्र के बाहर है जिसके खसरा नम्बर क्रमशः 1505, 1506, 1507, 1508 व 1509 है एवं क्षेत्रफल क्रमशः 0.24 हेक्टेयर, 0.152 हेक्टेयर, 0.076 हेक्टेयर, 0.190 हेक्टेयर, एवं 0.126 हेक्टेयर एवं कुल क्षेत्रफल 0.7840 हेक्टेयर (7840.00 वर्गमी0) जो कि राजस्व अभिलेखों में बंजर उल्लिखित है। उक्त भूमि आश्रय स्थल के निर्माण हेतु दी जाती है।

3.5.8.13 अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद लोनी के पत्रांक–842/न0पा0प0/भूमि प्रस्ताव/ 2014–15 दिनांक 26.11.2014 द्वारा प्रस्तावित शेल्टर के 5 वर्ष उपरान्त संचालन व्यवस्था के सम्बन्ध में उल्लिखित है कि संचालन एवं रख–रखाव का समस्त कार्य नगर पालिका परिषद लोनी के द्वारा स्वयं कराया जायेगा।

3.5.8.14 **राज्य परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा आपसी विचार विमर्श उपरान्त नगरीय निकाय लोनी–गाजियाबाद से प्राप्त 01 नये शेल्टर होम के निर्माण, एवं 5 वर्षो के संचालन हेतु निम्नलिखित शर्तों के अनुसार स्वीकृत प्रदान की गयीः–**

(क). निर्माण कार्य हेतु निर्माण लागत धनराशि रू0 161.57 लाख योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार तीन किश्तों (40%, 40% एवं 20%) में अवमुक्त किये जाने पर विचार कर निर्णय हेतु संस्तुति इस आधार पर की जाती है कि प्रथम किश्त अवमुक्त के 15 दिवसों के अन्दर निर्माण की समय सारणी एवं विस्तृत कार्य योजना, वार चार्ट एवं फार्म–जे पर सक्षम स्तर से हस्ताक्षरोपरान्त कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 को नगर निकाय/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई के माध्यम से राज्य शहरी आजीविका मिशन निदेशालय, सूडा उ0प्र0 को उपलब्ध कराना अपरिहार्य होगा। द्वितीय किश्त संतोषजनक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति के साथ ही 70% उपभोग की गयी धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने पर की जायेगी।

(ख). संचालन व्यवस्था हेतु धनराशि शेल्टर होम का निर्माण पूर्ण होकर हस्तगत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के उपरान्त अवमुक्त किया जायेगा।

(ग). शेल्टर होम निर्माण कार्य पूर्ण होने से पूर्व नगर निकाय/शहर मिशन प्रबंधन इकाई को, उक्त प्रस्ताव के परिपेक्ष्य में सुचारू रूप से संचालन रणनीति एवं व्यवस्था, आश्रय में रखे जाने वाले अभिलेखों का विवरण, आश्रय में रहने वालों हेतु नियमावली तथा अनुश्रवण एवं प्रबंधन व्यवस्था (आश्रय हेतु शेल्टर प्रबन्धन समिति के गठन एवं उत्तरदायित्व आदि) का उल्लेख नहीं है। उक्त के साथ ही प्रस्ताव में निर्मित किये जाने वाले भवन में उपलब्ध करायी जाने वाली भौतिक सुविधाओं के हस्तगत किये जाने के विवरण एवं संचालन व्यवस्था आदि का दिशा निर्देशों के अनुसार विस्तृत विवरण के साथ ही संचालन व्यवस्था हेतु प्रस्तावित धनराशि के विवरण पर सक्षम स्तर से हस्ताक्षरोपरान्त उपलब्ध कराया जाना अपरिहार्य होगा जिसके उपरान्त ही संचालन व्यवस्था हेतु धनराशि अवमुक्त किया जायेगा।

(घ). कब्जा प्राप्त किये गये स्थल का फोटोग्राफ भी प्रस्ताव के साथ प्राप्त किया जाना व्यवहारिक दृष्टि से उपयोगी है। जिसे शहर मिशन प्रबंधन इकाई, नगर पालिका परिषद द्वारा तत्काल उपलब्ध कराया जायेगा।

उक्त शर्तो के अनुपालन किये जाने की शर्त के साथ राज्य परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा लोनी निकाय गाजियाबाद हेतु प्रस्तावित प्रस्ताव पर विचार कर स्वीकृत प्रदान की गयी।

3.6.9 मंझनपुर–कौशाम्बी

3.6.9.1 नगर पंचायत कौशाम्बी हेतु प्रस्तावित आश्रय नये निर्माण के सम्बन्ध में नगरीय निकाय द्वारा प्रस्तुतीकरण में अवगत कराया गया कि नगरीय निकाय की जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या 16457 है।

3.6.9.2 अवगत कराया गया कि 50 शहरी बेघरों हेतु उच्चीकृत परियोजना लागत रू0 159.16 लाख है, जिसमें निर्माण कार्य हेतु रू0 129.19 तथा 5 वर्षों के संचालन व्यवस्था हेतु रू0 29.97 लाख प्रस्तावित किया गया है।

3.6.9.3 अवगत कराया गया कि नगरीय निकाय एक प्रगतिशील निकाय है जहां नित्य काफी संख्या में आस–पास के लोग रोजगार आदि हेतु आते है तथा छोटी निकाय होने के कारण आश्रय की कोई सुचारू व्यवस्था न होने के कारण आश्रय लेने में कठिनाई होती है।

3.6.1 प्रस्तावित आश्रय शहर के मुख्य चौराहे के पास निर्माण किया जाना प्रस्तावित है, जिसके समीप ही लेबर अड्डा एवं शहर का मुख्य मार्केट होने के कारण प्रस्तावित स्थल के आस–पास काफी संख्या में रिक्शा चालक एवं श्रमिक रात में इधर–उधर आश्रय लेते हैं।

3.6.2 परीक्षण समिति द्वारा अवगत कराया गया कि योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित प्रस्ताव में प्रति शहरी बेघर हेतु क्षेत्रफल का मानक पूर्ण है। प्राप्त इस्टीमेट पी0डब्लू0डी0 दर अनुसूची (एस.ओ.आर.), (डी.एस.आर.) एवं नॉन शेड्यूल्ड आइटम में बाजार दरों के आधार पर गठित किया गया है, जिसमें वित्तीय नियमों का पालन कार्यदायी संस्था द्वारा किया जाना अपरिहार्य होगा।

3.6.3 शहरी बेघरों के आश्रय हेतु प्राप्त उक्त प्रस्ताव में तकनीकी (Estimate) प्राक्कलन लेआउट के साथ प्रस्तावित आश्रय हेतु शहर की प्रोफाइल, विवरण, लोकेशन का डिजाइन, लिंकेजेज विद इनटाइटिलमेंटस एवं आश्रय में उपलब्ध करायी जाने वाली सेवाओं का विवरण का उल्लेख किया गया है।

3.6.4 प्रस्ताव में योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार सुचारू रूप से संचालन रणनीति एवं व्यवस्था, आश्रय में रखे जाने वाले अभिलेखों का विवरण, आश्रय में रहने वालों हेतु नियमावली तथा अनुश्रवण एवं प्रबंधन व्यवस्था (आश्रय हेतु शेल्टर प्रबन्धन समिति के गठन एवं उत्तरदायित्व आदि) का उल्लेख नहीं है। उक्त के साथ ही प्रस्ताव में निर्मित किये जाने वाले भवन में उपलब्ध करायी जाने वाली भौतिक सुविधाओं के हस्तगत किये जाने के विवरण एवं संचालन व्यवस्था आदि का उल्लेख नहीं किया गया है।

3.6.5 प्रस्ताव में प्रस्तावित स्थल के आवंटन के सम्बन्ध में प्रस्ताव में प्रोजेक्ट समरी के बिन्दु सं0–3.4 पर उल्लेख है कि स्वामित्व का पत्र संलग्न है परन्तु प्रस्ताव में कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है। कब्जा प्राप्त स्थल का फोटोग्राफ संलग्न नहीं किया गया है। निर्माण कार्य की विस्तृत कार्ययोजना एवं बार चार्ट भी प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया है, जो कि लगाया जाना आवश्यक है।

3.6.6 प्रस्ताव में निर्मित किये जाने वाले शेल्टर होम के 5 वर्षों उपरान्त नगरीय निकाय द्वारा अपने संसाधनों से संचालन किये जाने का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है जो डी0पी0आर0 में लगाया जाना अपरिहार्य है।

3.6.7 प्रस्ताव में संचालन हेतु प्रस्तावित धनराशि रू0 29.97 लाख के विवरण सक्षम स्तर से हस्ताक्षरित नहीं है।

3.6.8 राज्य परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा आपसी विचार विमर्श उपरान्त नगरीय निकाय कौशाम्बी से प्राप्त 01 नये शेल्टर होम के निर्माण, एवं 5 वर्षों के संचालन हेतु निम्नलिखित शर्तों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की गयी:–

(क). निर्माण कार्य हेतु निर्माण लागत धनराशि रू0 129.19 लाख योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार तीन किश्तों (40%, 40% एवं 20%) में अवमुक्त किये जाने पर विचार कर निर्णय हेतु संस्तुति इस आधार पर की जाती है कि प्रथम किश्त अवमुक्त के 15 दिवसों के अन्दर

निर्माण की समय सारणी एवं विस्तृत कार्य योजना बार चार्ट सहित कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 को नगर निकाय/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई के माध्यम से राज्य शहरी आजीविका मिशन निदेशालय, सूडा उ0प्र0 को उपलब्ध कराना अपरिहार्य होगा। द्वितीय किश्त संतोषजनक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति के साथ ही 70% उपभोग की गयी धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने पर की जायेगी।

(ख). संचालन व्यवस्था हेतु धनराशि शेल्टर होम का निर्माण पूर्ण होकर हस्तगत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के उपरान्त अवमुक्त किया जायेगा।

(ग). शेल्टर होम निर्माण कार्य पूर्ण होने से पूर्व नगर निकाय/शहर मिशन प्रबंधन इकाई को, उक्त प्रस्ताव के परिपेक्ष्य में सुचारू रूप से संचालन रणनीति एवं व्यवस्था, आश्रय में रखे जाने वाले अभिलेखों का विवरण, आश्रय में रहने वालों हेतु नियमावली तथा अनुश्रवण एवं प्रबंधन व्यवस्था (आश्रय हेतु शेल्टर प्रबन्धन समिति के गठन एवं उत्तरदायित्व आदि) के साथ ही प्रस्ताव में निर्मित किये जाने वाले भवन एवं उक्त मे उपलब्ध करायी जाने वाली भौतिक सुविधाओं के हस्तगत किये जाने के विवरण एवं संचालन व्यवस्था आदि का दिशा निर्देशों के अनुसार विस्तृत विवरण के साथ ही संचालन व्यवस्था हेतु प्रस्तावित धनराशि के विवरण पर सक्षम स्तर से हस्ताक्षरोपरान्त उपलब्ध कराया जाना अपरिहार्य होगा जिसके उपरान्त ही संचालन व्यवस्था हेतु धनराशि अवमुक्त किया जायेगा।

(घ) कब्जा प्राप्त किये गये स्थल का फोटोग्राफ भी प्रस्ताव के साथ प्राप्त किया जाना व्यवहारिक दृष्टि से उपयोगी है। जिसे शहर मिशन प्रबंधन इकाई/नगर पालिका परिषद द्वारा तत्काल उपलब्ध कराया जायेगा।

(ङ) नगर निकाय द्वारा प्रस्तावित आश्रय हेतु उपलब्ध करायी गयी भूमि के आवंटन के अभिलेख के सम्बन्ध में स्पष्ट प्रमाण पत्र तत्काल उपलब्ध कराना अपरिहार्य होगा।

(च) नगर निकाय द्वारा प्रस्तावित आश्रय निर्माण के 5 वर्षो उपरान्त अपने संसाधनों से संचालन किये जाने के सम्बन्ध में स्पष्ट प्रमाण पत्र तत्काल उपलब्ध कराना अपरिहार्य होगा।

उक्त शर्तों के अनुपालन किये जाने की शर्त के साथ राज्य परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा मंझनपुर निकाय कौशाम्बी हेतु प्रस्तावित प्रस्ताव पर विचार कर स्वीकृत प्रदान की गयी।

3.7.10 दादरी-- गौतमबुद्ध नगर

3.7.10.1 नगर पालिका परिषद दादरी गौतमबुद्ध नगर हेतु प्रस्तावित आश्रय निर्माण के सम्बन्ध में निकाय प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुतीकरण में अवगत कराया गया कि नगरीय निकाय की जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या 91189 है। दादरी निकाय राष्ट्रीय राजधानी के समीप नोयडा की निकाय है, जहां काफी संख्या में मजदूरों, कामगारों आदि का आना जाना लगा रहता है।

3.7.10.2 अवगत कराया गया कि 100 शहरी बेघरों हेतु उच्चीकृत परियोजना लागत रू0 257.25 लाख है, जिसमें निर्माण कार्य हेतु रू0 227.31 तथा 5 वर्षों के संचालन व्यवस्था हेतु रू0 29.94 लाख प्रस्तावित किया गया है।

3.7.10.3 अवगत कराया गया कि निकाय से काफी संख्या में नोयडा तथा राजधानी में कार्य करने वाले मजदूर आदि निवास हेतु आते हैं, तथा आस–पास के लोग भी रोजगार हेतु आते हैं, जिन्हें आश्रय की समस्या होती है।

3.7.10.4 परीक्षण समिति द्वारा अवगत कराया गया कि योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित प्रस्ताव में प्रति शहरी बेघर हेतु क्षेत्रफल का मानक पूर्ण है। प्राप्त इस्टीमेट पी0डब्लू0डी0 दर अनुसूची (एस.ओ.आर.), (डी.एस.आर.) एवं नॉन शेड्यूल्ड आइटम में बाजार दरों के आधार पर गठित किया गया है, जिसमें वित्तीय नियमों का पालन कार्यदायी संस्था द्वारा किया जाना अपरिहार्य होगा।

3.7.10.5 शहरी बेघरों के आश्रय हेतु प्राप्त उक्त प्रस्ताव में तकनीकी (Estimate) प्राक्कलन लेआउट के साथ प्रस्तावित आश्रय हेतु शहर की प्रोफाइल, विवरण, लोकेशन का डिजाइन, लिंकेजेज विद इनटाइटिलमेंटस एवं आश्रय में उपलब्ध करायी जाने वाली सेवाओं के विवरण का उल्लेख किया गया है।

3.7.10.6 प्रस्ताव में योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार सुचारू रूप से संचालन रणनीति एवं व्यवस्था, आश्रय में रखे जाने वाले अभिलेखों का विवरण, आश्रय में रहने वालों हेतु नियमावली तथा अनुश्रवण एवं प्रबंधन व्यवस्था (आश्रय हेतु शेल्टर प्रबन्धन समिति के गठन एवं उत्तरदायित्व आदि) का उल्लेख नहीं है। उक्त के साथ ही प्रस्ताव में निर्मित किये जाने वाले भवन में उपलब्ध करायी जाने वाली भौतिक सुविधाओं के हस्तगत किये जाने के विवरण एवं संचालन व्यवस्था आदि का उल्लेख नहीं किया गया है।

3.7.10.7 प्रस्ताव में प्रस्तावित स्थल के आवंटन के सम्बन्ध में अधिशासी अधिकारी के पत्र संख्या 836/सी0पी0ओ0/आ0गृ0/2014–15 दिनांक 24.02.2015 द्वारा उल्लेख किया गया है कि "शहरी बेघरों के लिए आश्रय योजनान्तर्गत" निकाय द्वारा निःशुल्क भूमि उपलब्ध करायी गयी है। उक्त भूमि पर आश्रयगृह का निर्माण सूडा/डूडा द्वारा कराया जा रहा है। आश्रय गृह के निर्माण के 05 वर्षों उपरान्त निर्मित आश्रय का रख रखाव एवं संचालन नगर निकाय दादरी द्वारा अपने संसाधनों से किया जायेगा।

3.7.10.8 कब्जा प्राप्त स्थल का फोटोग्राफ प्रस्ताव संलग्न किया गया है। निर्माण कार्य का वार चार्ट भी प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत किया गया है।

3.7.10.9 प्रस्ताव में संचालन हेतु प्रस्तावित धनराशि रू0 29.97 लाख के विवरण सक्षम स्तर से हस्ताक्षरित नहीं है।

3.7.10.10 राज्य परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा आपसी विचार विमर्श उपरान्त नगरीय निकाय–दादरी गौतमबुद्ध नगर से प्राप्त 01 नये शेल्टर होम के निर्माण, एवं 5 वर्षों के संचालन हेतु निम्नलिखित शर्तों के अनुसार स्वीकृत प्रदान की गयी:--

(क). निर्माण कार्य हेतु निर्माण लागत धनराशि रू0 227.31 लाख योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार तीन किश्तों (40%, 40% एवं 20%) में अवमुक्त किये जाने पर विचार कर निर्णय हेतु संस्तुति इस आधार पर की जाती है कि प्रथम किश्त अवमुक्त के 15 दिवसों के अन्दर निर्माण की समय सारणी एवं विस्तृत कार्य योजना वार चार्ट सहित कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 को नगर निकाय/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई के माध्यम से राज्य शहरी

आजीविका मिशन निदेशालय, सूडा उ0प्र0 को उपलब्ध कराना अपरिहार्य होगा। द्वितीय किश्त संतोषजनक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति के साथ ही 70% उपभोग की गयी धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने पर की जायेगी।

(ख). संचालन व्यवस्था हेतु धनराशि शेल्टर होम का निर्माण पूर्ण होकर हस्तगत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के उपरान्त अवमुक्त किया जायेगा।

(ग). शेल्टर होम निर्माण कार्य पूर्ण होने से पूर्व नगर निकाय/शहर मिशन प्रबंधन इकाई को, उक्त प्रस्ताव के परिपेक्ष्य में सुचारू रूप से संचालन रणनीति एवं व्यवस्था, आश्रय में रखे जाने वाले अभिलेखों का विवरण, आश्रय में रहने वालों हेतु नियमावली तथा अनुश्रवण एवं प्रबंधन व्यवस्था (आश्रय हेतु शेल्टर प्रबन्धन समिति के गठन एवं उत्तारदायित्व आदि) के साथ ही प्रस्ताव में निर्मित किये जाने वाले भवन एवं उक्त आश्रय में उपलब्ध करायी जाने वाली भौतिक सुविधाओं के हस्तगत किये जाने के विवरण एवं संचालन व्यवस्था आदि का दिशा निर्देशों के अनुसार विस्तृत विवरण के साथ ही संचालन व्यवस्था हेतु प्रस्तावित धनराशि के विवरण पर सक्षम स्तर से हस्ताक्षरोपरान्त उपलब्ध कराया जाना अपरिहार्य होगा जिसके उपरान्त ही संचालन व्यवस्था हेतु धनराशि अवमुक्त किया जायेगा।

(घ) निर्देश दिये गये कि प्रस्तावित शेल्टर होम के आस–पास कच्ची सड़क पर नगर पालिका परिषद द्वारा इण्टरलॉकिंग टाइल्स के माध्यम से सड़क का निर्माण अपने संसाधनों से कराया जायेगा।

उक्त शर्तो के अनुपालन किये जाने की शर्त के साथ राज्य परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा दादरी–गौतमबुद्ध नगर निकाय हेतु प्रस्तावित प्रस्ताव पर विचार कर स्वीकृत प्रदान की गयी।

3.8.11 बलिया

3.8.11.1 नगर पालिका परिषद बलिया हेतु प्रस्तावित आश्रय निर्माण के सम्बन्ध में नगरीय निकाय प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि नगरीय निकाय की जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या 104424 लाख है।

3.8.11.2 अवगत कराया गया कि 56 शहरी बेघरों हेतु उच्चीकृत परियोजना लागत रू0 187.78 लाख है, जिसमें निर्माण कार्य हेतु रू0 157.78 तथा 5 वर्षों के संचालन व्यवस्था हेतु रू0 30.00 लाख प्रस्तावित किया गया है।

3.8.11.3 अवगत कराया गया कि प्रस्तावित शेल्टर होम बस स्टेशन एवं रेलवे स्टेशन के समीप बनाया जाना है, जहां काफी संख्या में लोगों द्वारा वर्तमान में रात्रि निवास हेतु आश्रय लिया जाता है।

3.8.11.4 शेल्टर होम कन्ज्यूमर कोर्ट भवन के पास निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तुतीकरण में कार्यदायी संस्था प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित शेल्टर G+3 में निर्मित किया जाना है तथा उक्त शेल्टर होम का निर्माण कार्य 09 माह में पूरा किया जायेगा।

3.8.11.5 प्रस्तुतीकरण मे वार चार्ट प्रस्तुत किया गया।

3.8.11.6 परीक्षण समिति द्वारा अवगत कराया गया कि नगरीय निकाय जनपद– बलिया हेतु प्रस्तावित प्रस्ताव में प्रति शहरी बेघर हेतु क्षेत्रफल का मानक पूर्ण है। प्राप्त इस्टीमेट पी0डब्लू0डी0 दर अनुसूची (एस.ओ.आर.), (डी.एस.आर.) एवं नॉन शेड्यूल्ड आइटम में बाजार दरों के आधार पर गठित किया गया है, जिसमें वित्तीय नियमों का पालन कार्यदायी संस्था द्वारा किया जाना अपरिहार्य होगा।

3.8.11.7 शहरी बेघरों के आश्रय हेतु प्राप्त उक्त प्रस्ताव में तकनीकी (Estimate) प्राक्कलन लेआउट के साथ प्रस्तावित आश्रय का डिजाइन एवं निर्मित की जाने वाली भौतिक सुविधाओं के विवरण का उल्लेख किया गया है।

3.8.11.8 उक्त प्रेषित डी0पी0आर0 में योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार सुचारू रूप से संचालन रणनीति एवं व्यवस्था, आश्रय में रखे जाने वाले अभिलेखों का विवरण, आश्रय में रहने वालों हेतु नियमावली, लिंकेजेज विद इंटाइटिलमेंट तथा अनुश्रवण एवं प्रबंधन व्यवस्था (आश्रय हेतु शेल्टर प्रबन्धन समिति के गठन एवं उत्तरदायित्व आदि) का उल्लेख नहीं है। उक्त के साथ ही प्रस्ताव में निर्मित किये जाने वाले भवन में उपलब्ध करायी जाने वाली भौतिक सुविधाओं के हस्तगत किये जाने के विवरण एवं संचालन व्यवस्था आदि का उल्लेख नहीं किया गया है।

3.8.11.9 प्रस्ताव में प्रस्तावित स्थल के आवंटन के सम्बन्ध में भी कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है। जो कि प्रस्ताव के साथ लगाया जाना आवश्यक है। कब्जा प्राप्त स्थल का फोटोग्राफ संलग्न नहीं किया गया है। निर्माण कार्य की विस्तृत कार्ययोजना एवं वार चार्ट भी प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया है।

3.8.11.10 प्रस्ताव में निर्मित किये जाने वाले शेल्टर होम के 5 वर्षों उपरान्त नगरीय निकाय द्वारा अपने संसाधनों से संचालन किये जाने का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है जो डी0पी0आर0 में लगाया जाना अपरिहार्य है।

3.8.11.11 प्रस्ताव में संचालन व्यवस्था हेतु प्रस्तावित धनराशि रू0 29.97 लाख के विवरण सक्षम स्तर से हस्ताक्षरित नहीं है।

3.8.11.12 राज्य परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा आपसी विचार विमर्श उपरान्त नगरीय निकाय बलिया से प्राप्त 01 नये शेल्टर होम के निर्माण, एवं 5 वर्षों के संचालन हेतु निम्नलिखित शर्तों के अनुसार स्वीकृत प्रदान की गयी:–

(क). निर्माण कार्य हेतु निर्माण लागत धनराशि रू0 157.78 लाख योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार तीन किश्तों (40%, 40% एवं 20%) में अवमुक्त किये जाने पर विचार कर निर्णय हेतु संस्तुति इस आधार पर की जाती है कि प्रथम किश्त अवमुक्त के 15 दिवसों के अन्दर निर्माण की समय सारणी एवं विस्तृत कार्य योजना वार चार्ट सहित कार्यदायी संस्था सी0एण्ड

डी0एस0 को नगर निकाय/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई के माध्यम से राज्य शहरी आजीविका मिशन निदेशालय, सूडा उ0प्र0 को उपलब्ध कराना अपरिहार्य होगा। द्वितीय किश्त संतोषजनक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति के साथ ही 70% उपभोग की गयी धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने पर अवमुक्त किया जाना समीचीन होगा।

(ख). संचालन व्यवस्था हेतु धनराशि शेल्टर होम का निर्माण पूर्ण होकर हस्तगत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने पर की जायेगी।

(ग). शेल्टर होम निर्माण कार्य पूर्ण होने से पूर्व नगर निकाय/शहर मिशन प्रबंधन इकाई को, उक्त प्रस्ताव के परिपेक्ष्य में सुचारू रूप से संचालन रणनीति एवं व्यवस्था, आश्रय में रखे जाने वाले अभिलेखों का विवरण, आश्रय में रहने वालों हेतु नियमावली तथा अनुश्रवण लिंकेजेज विद इंटाइटिलमेंटस एवं प्रबंधन व्यवस्था (आश्रय हेतु शेल्टर प्रबन्धन समिति के गठन एवं उत्तारदायित्व आदि) के साथ ही प्रस्ताव में निर्मित किये जाने वाले भवन एवं प्रस्तावित आश्रय में उपलब्ध करायी जाने वाली भौतिक सुविधाओं के हस्तगत किये जाने के विवरण एवं संचालन व्यवस्था आदि का दिशा निर्देशों के अनुसार विस्तृत विवरण के साथ ही संचालन व्यवस्था हेतु प्रस्तावित धनराशि के विवरण पर सक्षम स्तर से हस्ताक्षरोपरान्त उपलब्ध कराया जाना अपरिहार्य होगा जिसके उपरान्त ही संचालन व्यवस्था हेतु धनराशि अवमुक्त किया जायेगा।

(घ) कब्जा प्राप्त किये गये स्थल का फोटोग्राफ भी प्रस्ताव के साथ प्राप्त किया जाना व्यवहारिक दृष्टि से उपयोगी है। जिसे शहर मिशन प्रबंधन इकाई/नगर पालिका परिषद द्वारा तत्काल उपलब्ध कराया जायेगा।

(ङ) नगर निकाय द्वारा प्रस्तावित आश्रय हेतु उपलब्ध करायी गयी भूमि के आवंटन के अभिलेख के सम्बन्ध में स्पष्ट प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना अपरिहार्य होगा।

(च) नगर निकाय द्वारा प्रस्तावित आश्रय निर्माण के 5 वर्षो उपरान्त अपने संसाधनों से संचालन किये जाने के सम्बन्ध में स्पष्ट प्रमाण पत्र तत्काल उपलब्ध कराना अपरिहार्य होगा।

उक्त शर्तों के अनुपालन किये जाने की शर्त के साथ राज्य परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा बलिया निकाय हेतु प्रस्तावित प्रस्ताव पर विचार कर स्वीकृत प्रदान की गयी।

3.9.12 बिजनौर

3.9.12.1 नगर पालिका परिषद बिजनौर हेतु प्रस्तावित आश्रय निर्माण के सम्बन्ध में निकाय प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुतीकरण में अवगत कराया गया कि नगरीय निकाय की जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या 1.15 लाख है।

3.9.12.2 अवगत कराया गया कि 50 शहरी बेघरों हेतु उच्चीकृत परियोजना लागत रू0 145.86 लाख है, जिसमें निर्माण कार्य हेतु रू0 115.92 तथा 5 वर्षों के संचालन व्यवस्था हेतु रू0 29.94 लाख प्रस्तावित किया गया है।

3.9.12.3 अवगत कराया गया कि प्रस्तावित शेल्टर होम बिजनौर स्थित इन्दिरा वाले भवन में अतिरिक्त भूमि पर निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तुतीकरण में अवगत कराया गया कि प्रस्तावित स्थल बस अड्डे से लगभग 100 मीटर मेरठ रोड नुमाइश ग्राउंड के निकट है और रेलवे स्टेशन से लगभग 400 मी0 की दूरी पर है, जहां से यातायात की सुविधा उपलब्ध है तथा योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार उपयुक्त स्थल है।

3.9.12.4 उपरोक्त स्थलों के निकट गरीब बेरोजगार आश्रयहीन व्यक्तियों का रोजी रोटी की तलाश में आना जाना लगा रहता है।

3.9.12.5 शहर में काफी संख्या में रोजगार एवं अन्य कारणों से आस पास के लोग शहर में आते हैं। जिनके आश्रय की समस्या होती है। उक्त समस्या के समाधान हेतु शेल्टर होम का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

3.9.12.6 उक्त स्थलों से प्रस्तावित शेल्टर होम तक पैदल आया जा सकता है। इसके अतिरिक्त हाथ रिक्शा ई0 रिक्शा (बैट्री से संचालित) व आटो तथा बस आदि की भी सुविधा है।

3.9.12.7 प्रस्तावित शेल्टर होम से सब्जी मण्डी व सदर बाजार लगभग 450 मीटर है।

3.9.12.8 प्रस्तावित शेल्टर होम के निकट अस्पताल/मेडिकल स्टोर फल सब्जी जनरल स्टोर आदि स्थित है।

3.9.12.9 परीक्षण समिति द्वारा अवगत कराया गया कि योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित प्रस्ताव में प्रति शहरी बेघर हेतु क्षेत्रफल का मानक पूर्ण है। प्राप्त इस्टीमेट पी0डब्लू0डी0 दर अनुसूची (एस.ओ.आर.), (डी.एस.आर.) एवं नॉन शेड्यूल्ड आइटम में बाजार दरों के आधार पर गठित किया गया है, जिसमें वित्तीय नियमों का पालन कार्यदायी संस्था द्वारा किया जाना अपरिहार्य होगा।

3.9.12.10 शहरी बेघरों के आश्रय हेतु प्राप्त उक्त प्रस्ताव में तकनीकी (Estimate) प्राक्कलन लेआउट के साथ शहर का प्रोफाइल एवं गैप, आश्रय में उपलब्ध करायी जाने वाली सुविधायें एवं सेवायें, डिजाइन एवं लिंकेजेज विद इनटाइटिलमेंटस का उल्लेख किया गया है।

3.9.12.11 प्रस्ताव में उक्त प्रेषित डी0पी0आर0 में योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार सुचारू रूप से संचालन रणनीति एवं व्यवस्था, आश्रय में रहने वालों हेतु नियमावली तथा अनुश्रवण एवं प्रबंधन व्यवस्था (आश्रय हेतु शेल्टर प्रबन्धन समिति के गठन एवं उत्तारदायित्व आदि) का उल्लेख नहीं है। उक्त के साथ ही प्रस्ताव में निर्मित किये जाने वाले भवन में उपलब्ध करायी जाने वाली भौतिक सुविधाओं के हस्तगत किये जाने के विवरण एवं संचालन व्यवस्था आदि का उल्लेख नहीं किया गया है।

3.9.12.12 प्रस्ताव में प्रस्तावित स्थल के आवंटन के सम्बन्ध में अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद के पत्रांक-483/न0पा0प0/14-15 दिनांक 29.09.2014 द्वारा उल्लेख किया गया है कि नगर पालिका पषिद बिजनौर बोर्ड के द्वारा प्रस्ताव संख्या-22 दिनांक 24.09.2014 के अन्तर्गत इन्दिरा बाल भवन में पुराने/क्षतिग्रस्त शौचालय के स्थान पर शेल्टर होम का निर्माण कराया जाना सर्व सम्मति से स्वीकार कर लिया गया है।

3.9.12.13 निर्माण कार्य की विस्तृत कार्ययोजना एवं बार चार्ट भी प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया है।

3.9.12.14 प्रस्ताव में संचालन व्यवस्था हेतु प्रस्तावित धनराशि रू0 29.97 लाख के विवरण सक्षम स्तर से हस्ताक्षरित नहीं है।

3.9.12.15 अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र सं0–मेमो/एस0यू0एच0/2014–15 दिनांक 06.01.2015 के द्वारा 5 वर्ष के उपरान्त संचालन की व्यवस्था के सम्बन्ध में उल्लिखित है कि नगर पालिका परिषद बिजनौर अपने संसाधनों से शेल्टर होम का संचालन करायेगा।

3.9.12.16 राज्य परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा आपसी विचार विमर्श उपरान्त नगरीय निकाय बिजनौर से प्राप्त 01 नये शेल्टर होम के निर्माण, एवं 5 वर्षों के संचालन हेतु निम्नलिखित शर्तों के अनुसार स्वीकृत प्रदान की गयीः–

(क). निर्माण कार्य हेतु निर्माण लागत धनराशि रू0 115.92 लाख योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार तीन किश्तों (40%, 40% एवं 20%) में अवमुक्त किये जाने पर विचार कर निर्णय हेतु संस्तुति इस आधार पर की जाती है कि प्रथम किश्त अवमुक्त के 15 दिवसों के अन्दर निर्माण की समय सारणी एवं विस्तृत कार्य योजना वार चार्ट सहित कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 को नगर निकाय/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई के माध्यम से राज्य शहरी आजीविका मिशन निदेशालय, सूडा उ0प्र0 को उपलब्ध कराना अपरिहार्य होगा। द्वितीय किश्त संतोषजनक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति के साथ ही 70% उपभोग की गयी धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने पर की जायेगी।

(ख). संचालन व्यवस्था हेतु धनराशि शेल्टर होम का निर्माण पूर्ण होकर हस्तगत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के उपरान्त अवमुक्त किया जायेगा।

(ग). शेल्टर होम निर्माण कार्य पूर्ण होने से पूर्व नगर निकाय/शहर मिशन प्रबंधन इकाई को, उक्त प्रस्ताव के परिपेक्ष्य में सुचारू रूप से संचालन रणनीति एवं व्यवस्था, आश्रय में रहने वालों हेतु नियमावली तथा अनुश्रवण एवं प्रबंधन व्यवस्था (आश्रय हेतु शेल्टर प्रबन्धन समिति के उत्तरदायित्व आदि) के साथ ही प्रस्ताव में निर्मित किये जाने वाले भवन एवं प्रस्तावित आश्रय में उपलब्ध करायी जाने वाली भौतिक सुविधाओं के हस्तगत किये जाने के विवरण एवं संचालन व्यवस्था आदि का दिशा निर्देशों के अनुसार विस्तृत विवरण अपरिहार्य होगा जिसके उपरान्त ही संचालन व्यवस्था हेतु धनराशि अवमुक्त किया जायेगा।

उक्त शर्तों के अनुपालन किये जाने की शर्त के साथ राज्य परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा बिजनौर निकाय हेतु प्रस्तावित प्रस्ताव पर विचार कर स्वीकृत प्रदान की गयी।

3.10.13 गाजीपुर

3.10.13.1 नगर पालिका परिषद गाजीपुर हेतु प्रस्तावित आश्रय निर्माण के सम्बन्ध में स्थलीय प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुतीकरण में अवगत कराया गया कि नगरीय निकाय की जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या 1.21 लाख है। प्रस्तावित शेल्टर होम टाउन हॉल, काजी टोला में निर्मित किया जाना है।

3.10.13.2 अवगत कराया गया कि 75 शहरी बेघरों हेतु उच्चीकृत परियोजना लागत रू0 193.27 लाख है, जिसमें निर्माण कार्य हेतु रू0 163.30 तथा 5 वर्षों के संचालन व्यवस्था हेतु रू0 29.97 लाख प्रस्तावित किया गया है।

3.10.13.3 गाजीपुर शहर में जिला मुख्यालय, कमिश्नरी एवं अफीम फैक्ट्री स्थित होने के कारण रोजगार आदि हेतु श्रमिक कामगार एवं अन्य कार्यों हेतु बड़ी संख्या में लोग आस–पास के क्षेत्रों से आते है, जिन्हें आश्रय की समस्या समाधान हेतु कलेक्ट्रेट के समीप शेल्टर होम के निर्माण का प्रस्ताव स्थानीय निकाय द्वारा किया गया है।

3.10.13.4 प्रस्तावित स्थल से आवागमन की सुलभ सुविधा शहर के विभिन्न स्थलों हेतु उपलब्ध है।

3.10.13.5 परीक्षण समिति द्वारा अवगत कराया गया कि योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित प्रस्ताव में प्रति शहरी बेघर हेतु क्षेत्रफल का मानक पूर्ण है। प्राप्त इस्टीमेट पी0डब्लू0डी0 दर अनुसूची (एस.ओ.आर.), (डी.एस.आर.) एवं नॉन शेड्यूल्ड आइटम में बाजार दरों के आधार पर गठित किया गया है, जिसमें वित्तीय नियमों का पालन कार्यदायी संस्था द्वारा किया जाना अपरिहार्य होगा।

3.10.13.6 शहरी बेघरों के आश्रय हेतु प्राप्त उक्त प्रस्ताव में तकनीकी (Estimate) प्राक्कलन लेआउट के साथ शहरी की प्रोफाइल, आश्रय का लोकेशन एवं मैप, आश्रय में उपलब्ध करायी जाने वाली सुविधायें एवं सेवायें, डिजाइन एवं लिंकेजेज विद इनटाइटिलमेंटस का उल्लेख किया गया है।

3.10.13.7 प्रस्ताव में योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार सुचारू रूप से संचालन रणनीति एवं व्यवस्था, आश्रय में रखे जाने वाले अभिलेखों का विवरण, आश्रय में रहने वालों हेतु नियमावली तथा अनुश्रवण एवं प्रबंधन व्यवस्था (आश्रय हेतु शेल्टर प्रबन्धन समिति के गठन एवं उत्तरदायित्व आदि) का उल्लेख नहीं है। उक्त के साथ ही प्रस्ताव में निर्मित किये जाने वाले भवन में उपलब्ध करायी जाने वाली भौतिक सुविधाओं के हस्तगत किये जाने के विवरण एवं संचालन व्यवस्था आदि का उल्लेख नहीं किया गया है।

3.10.13.8 प्रस्ताव में प्रस्तावित स्थल के आवंटन के सम्बन्ध में भी कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है। कब्जा प्राप्त स्थल का फोटोग्राफ संलग्न नहीं किया गया है। निर्माण कार्य की विस्तृत कार्ययोजना एवं वार चार्ट भी प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया है।

3.10.13.9 प्रस्ताव में निर्मित किये जाने वाले शेल्टर होम के 5 वर्षों उपरान्त नगरीय निकाय द्वारा अपने संसाधनों से संचालन किये जाने का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है जो डी0पी0आर0 में लगाया जाना अपरिहार्य है।

3.10.13.10 प्रस्ताव में संचालन व्यवस्था हेतु 5 वर्षों हेतु रू0 29.97 लाख के प्रस्तावित धनराशि विवरण सक्षम स्तर से हस्ताक्षरित नहीं है।

3.10.13.11 राज्य परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा आपसी विचार विमर्श उपरान्त नगरीय निकाय गाजीपुर से प्राप्त 01 नये शेल्टर होम के निर्माण, एवं 5 वर्षो के संचालन हेतु निम्नलिखित शर्तों के अनुसार स्वीकृत प्रदान की गयीः–

(क). निर्माण कार्य हेतु निर्माण लागत धनराशि रू0 163.30 लाख योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार तीन किश्तों (40%, 40% एवं 20%) में अवमुक्त किये जाने पर विचार कर निर्णय हेतु संस्तुति इस आधार पर की जाती है कि प्रथम किश्त अवमुक्त के 15 दिवसों के अन्दर निर्माण की समय सारणी एवं विस्तृत कार्य योजना बार चार्ट सहित कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 को नगर निकाय/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई के माध्यम से राज्य शहरी आजीविका मिशन निदेशालय, सूडा उ0प्र0 को उपलब्ध कराना अपरिहार्य होगा। द्वितीय किश्त संतोषजनक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति के साथ ही 70% उपभोग की गयी धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने पर की जायेगी।

(ख). संचालन व्यवस्था हेतु धनराशि शेल्टर होम का निर्माण पूर्ण होकर हस्तगत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के उपरान्त अवमुक्त किया जायेगा।

(ग). शेल्टर होम निर्माण कार्य पूर्ण होने से पूर्व नगर निकाय/शहर मिशन प्रबंधन इकाई को, उक्त प्रस्ताव के परिपेक्ष्य में संचालन रणनीति एवं व्यवस्था, आश्रय में रखे जाने वाले अभिलेखों का विवरण, आश्रय में रहने वालों हेतु नियमावली तथा अनुश्रवण एवं प्रबंधन व्यवस्था (आश्रय हेतु शेल्टर प्रबन्धन समिति के गठन एवं उत्तरदायित्व आदि) के साथ ही प्रस्ताव में निर्मित किये जाने वाले भवन में उपलब्ध करायी जाने वाली भौतिक सुविधाओं के हस्तगत किये जाने के विवरण एवं संचालन व्यवस्था आदि का दिशा निर्देशों के अनुसार विस्तृत विवरण के साथ ही संचालन व्यवस्था हेतु प्रस्तावित धनराशि के विवरण पर सक्षम स्तर से हस्ताक्षरोपरान्त उपलब्ध कराया जाना अपरिहार्य होगा जिसके उपरान्त ही संचालन व्यवस्था हेतु धनराशि अवमुक्त किया जायेगा।

(घ) कब्जा प्राप्त किये गये स्थल का फोटोग्राफ भी प्रस्ताव के साथ प्राप्त किया जाना व्यवहारिक दृष्टि से उपयोगी है। जिसे नगर निकाय/सी0एम0एम0यू0 द्वारा तत्काल उपलब्ध कराया जायेगा।

(ड़) नगर निकाय द्वारा प्रस्तावित आश्रय निर्माण के 5 वर्षो उपरान्त अपने संसाधनों से संचालन किये जाने के सम्बन्ध में स्पष्ट प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना अपरिहार्य होगा।

(च) नगर निकाय द्वारा प्रस्तावित आश्रय हेतु उपलब्ध करायी गयी भूमि के आवंटन के अभिलेख के सम्बन्ध में स्पष्ट प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना अपरिहार्य होगा।

उक्त शर्तों के अनुपालन किये जाने की शर्त के साथ राज्य परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा गाजीपुर निकाय हेतु प्रस्तावित प्रस्ताव पर विचार कर स्वीकृत प्रदान की गयी।

3.11.14 खलीलाबाद– संत कबीर नगर

3.11.14.1 नगर पालिका परिषद खलीलाबाद–संत कबीर नगर हेतु प्रस्तावित आश्रय निर्माण के सम्बन्ध में नगरीय निकाय प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुतीकरण में अवगत कराया गया कि नगरीय निकाय की जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या 0.48 लाख है।

3.11.14.2 अवगत कराया गया कि 100 शहरी बेघरों हेतु उच्चीकृत परियोजना लागत रू0 258.77 लाख है, जिसमें निर्माण कार्य हेतु रू0 228.77 तथा 5 वर्षो के संचालन व्यवस्था हेतु रू0 30.00 लाख प्रस्तावित किया गया है।

3.11.14.3 अवगत कराया गया कि प्रस्तावित स्थल वार्ड सं0–1 उसका कला, खलीलाबाद नगर के मुख्य भाग में है, जहां से रेलवे स्टेशन 01 किमी0 तथा बस स्टेशन लगभग 02 किमी0 की दूरी पर है। आवागमन की सुविधा उपलब्ध है।

3.11.14.4 नगर में काफी संख्या में रिक्शा चालक एवं अन्य श्रमिक रोजगार हेतु आते हैं तथा नगर की आबादी तेजी से बढ़ रही है, जिसके दृष्टिगत भविष्य को ध्यान में रखते हुए 100 शहरी बेघरों हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

3.11.14.5 प्रस्तुतीकरण में प्रस्तावित शेल्टर होम का निर्माण कार्य 08 माह में पूर्ण किये जाने की समय रेखा प्रस्तुत की गयी।

3.11.14.6 निकाय प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि शेल्टर प्रबंधन समिति का गठन आगामी 02 माहों में कर लिया जायेगा। उक्त गठित की जाने वाली समिति का ढांचा प्रस्तुतीकरण में प्रस्तुत किया गया।

3.11.14.7 परीक्षण समिति द्वारा अवगत कराया गया कि योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित प्रस्ताव में प्रति शहरी बेघर हेतु क्षेत्रफल का मानक पूर्ण है। प्राप्त इस्टीमेट पी0डब्लू0डी0 दर अनुसूची (एस.ओ.आर.), (डी.एस.आर.) एवं नॉन शेड्यूल्ड आइटम में बाजार दरों के आधार पर गठित किया गया है, जिसमें वित्तीय नियमों का पालन कार्यदायी संस्था द्वारा किया जाना अपरिहार्य होगा।

3.11.14.8 शहरी बेघरों के आश्रय हेतु प्राप्त उक्त प्रस्ताव में तकनीकी (Estimate) प्राक्कलन लेआउट के साथ शहर की प्रोफाइल, आश्रय का लोकेशन एवं मैप, आश्रय में उपलब्ध करायी जाने वाली सुविधायें एवं सेवायें, डिजाइन एवं लिंकेजेज विद इनटाइटिलमेंटस के साथ ही निर्माण कार्य हेतु 08 माह की समयावधि का उल्लेख किया गया है।

3.11.14.9 प्रस्ताव में योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार सुचारू रुप से शहर प्रोफाइल, संचालन रणनीति एवं व्यवस्था, आश्रय में रखे जाने वाले अभिलेखों का विवरण, आश्रय में रहने वालों हेतु नियमावली तथा अनुश्रवण एवं प्रबंधन व्यवस्था (आश्रय हेतु शेल्टर प्रबन्धन समिति के गठन एवं उत्तरदायित्व आदि) का उल्लेख नहीं है। उक्त के साथ ही प्रस्ताव में निर्मित किये जाने वाले भवन में उपलब्ध करायी जाने वाली भौतिक सुविधाओं के हस्तगत किये जाने के विवरण एवं संचालन व्यवस्था आदि का उल्लेख नहीं किया गया है।

3.11.14.10 प्रस्ताव में प्रस्तावित स्थल के आवंटन के सम्बन्ध में भी कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है। कब्जा प्राप्त स्थल का फोटोग्राफ संलग्न नहीं किया गया है। निर्माण कार्य की विस्तृत कार्ययोजना एवं वार चार्ट भी प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया है।

3.11.14.11 प्रस्ताव में निर्मित किये जाने वाले शेल्टर होम के 5 वर्षो उपरान्त नगरीय निकाय द्वारा अपने संसाधनों से संचालन किये जाने का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है जो डी0पी0आर0 में लगाया जाना अपरिहार्य है।

3.11.14.12 प्रस्ताव में संचालन व्यवस्था हेतु 5 वर्षों हेतु रू0 29.97 लाख के प्रस्तावित धनराशि विवरण सक्षम स्तर से हस्ताक्षरित नहीं है।

3.11.14.13 राज्य परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा आपसी विचार विमर्श उपरान्त नगरीय निकाय खलीलाबाद–संत कबीर नगर से प्राप्त 01 नये शेल्टर होम के निर्माण, एवं 5 वर्षों के संचालन हेतु निम्नलिखित शर्तों के अनुसार स्वीकृत प्रदान की गयी:–

(क). निर्माण कार्य हेतु निर्माण लागत धनराशि रू0 228.77 लाख योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार तीन किश्तों (40% 40% एवं 20%) में अवमुक्त किये जाने पर विचार कर निर्णय हेतु संस्तुति इस आधार पर की जाती है कि प्रथम किश्त अवमुक्त के 15 दिवसों के अन्दर निर्माण की समय सारणी एवं विस्तृत कार्य योजना बार चार्ट सहित कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 को नगर निकाय/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई के माध्यम से राज्य शहरी आजीविका मिशन निदेशालय, सूडा उ0प्र0 को उपलब्ध कराना अपरिहार्य होगा। द्वितीय किश्त संतोषजनक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति के साथ ही 70% उपभोग की गयी धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने पर अवमुक्त किया जाना समीचीन होगा।

(ख). संचालन व्यवस्था हेतु धनराशि शेल्टर होम का निर्माण पूर्ण होकर हस्तगत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने पर की जायेगी।

(ग). शेल्टर होम निर्माण कार्य पूर्ण होने से पूर्व नगर निकाय/शहर मिशन प्रबंधन इकाई को, उक्त प्रस्ताव के परिपेक्ष्य में संचालन रणनीति एवं व्यवस्था, आश्रय में रखे जाने वाले अभिलेखों का विवरण, आश्रय में रहने वालों हेतु नियमावली तथा अनुश्रवण एवं प्रबंधन व्यवस्था (आश्रय हेतु शेल्टर प्रबन्धन समिति के गठन एवं उत्तारदायित्व आदि) का उल्लेख नहीं है। उक्त के साथ ही प्रस्ताव में निर्मित किये जाने वाले भवन एवं प्रस्तावति आश्रय में उपलब्ध करायी जाने वाली भौतिक सुविधाओं के हस्तगत किये जाने के विवरण एवं संचालन व्यवस्था आदि का दिशा निर्देशों के अनुसार विस्तृत विवरण के साथ ही संचालन व्यवस्था हेतु प्रस्तावित धनराशि के विवरण पर सक्षम स्तर से हस्ताक्षरोपरान्त उपलब्ध कराया जाना अपरिहार्य होगा जिसके उपरान्त ही संचालन व्यवस्था हेतु धनराशि अवमुक्त किया जायेगा।

(घ) कब्जा प्राप्त किये गये स्थल का फोटोग्राफ भी प्रस्ताव के साथ प्राप्त किया जाना व्यवहारिक दृष्टि से उपयोगी है। जिसे नगर निकाय/सी0एम0एम0यू0 द्वारा तत्काल उपलब्ध कराया जायेगा।

(ड़) नगर निकाय द्वारा प्रस्तावित आश्रय निर्माण के 5 वर्षो उपरान्त अपने संसाधनों से संचालन किये जाने के सम्बन्ध में स्पष्ट प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना अपरिहार्य होगा।

(च) नगर निकाय द्वारा प्रस्तावित आश्रय हेतु उपलब्ध करायी गयी भूमि के आवंटन के अभिलेख के सम्बन्ध में स्पष्ट प्रमाण पत्र तत्काल उपलब्ध कराना अपरिहार्य होगा।

उक्त शर्तों के अनुपालन किये जाने की शर्त के साथ राज्य परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा खलीलाबाद–संत कबीर नगर हेतु प्रस्तावित प्रस्ताव पर विचार कर स्वीकृत प्रदान की गयी।

3.12.15 बांदा

3.12.15.1 निकाय प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि नगरीय निकाय की जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या–1.61 लाख है तथा शहर में जिला मुख्यालय एवं मण्डलीय कमिश्नरी कार्यालय स्थित जहां पर आस–पास के जनपदों एवं विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों से काफी संख्या में लोग रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा आदि विभिन्न कार्यों हेतु आते हैं जिन्हें आश्रय की समस्या का सामना करना पड़ता है।

3.12.15.2 अवगत कराया गया कि 50 शहरी बेघरों हेतु उच्चीकृत परियोजना लागत रू0 223.43 लाख है, जिसमें निर्माण कार्य हेतु रू0 193.49 तथा 5 वर्षों के संचालन व्यवस्था हेतु रू0 29.94 लाख प्रस्तावित किया गया है।

3.12.15.3 अवगत कराया गया प्रस्तावित स्थल मौजा हरदौली में कानपुर रोड से लगभग 500 मीटर की दूरी पर आश्रय योजना के अन्तर्गत शेल्टर होम का निर्माण किया जाना है। प्रस्तावित स्थल बस स्टैण्ड की दूरी 02 किमी0 है रेलवे स्टेशन से 2.50 किमी0 पर तथा जिला चिकित्सालय से 01 किमी0 की दूरी पर है।

3.12.15.4 प्रस्तावित स्थल के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि उक्त स्थल शहरी बेघरों हेतु उपयुक्त स्थल है, जहां शहर के विभिन्न स्थलों के लिए आवागमन की सुविधा उपलब्ध है।

3.12.15.5 परीक्षण समिति द्वारा अवगत कराया गया कि योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित प्रस्ताव में प्रति शहरी बेघर हेतु क्षेत्रफल का मानक पूर्ण है। प्राप्त इस्टीमेट पी0डब्लू0डी0 दर अनुसूची (एस.ओ.आर.), (डी.एस.आर.) एवं नॉन शेड्यूल्ड आइटम में बाजार दरों के आधार पर गठित किया गया है, जिसमें वित्तीय नियमों का पालन कार्यदायी संस्था द्वारा किया जाना अपरिहार्य होगा।

3.12.15.6 शहरी बेघरों के आश्रय हेतु प्राप्त उक्त प्रस्ताव में तकनीकी (Estimate) प्राक्कलन लेआउट के साथ प्रस्तावित आश्रय के प्रस्ताव में आवश्यकता का आंकलन आश्रय में उपलब्ध कराये जाने वाले सुविधायें एवं सेवायें, डिजाइन एवं लिंकेजेज विद इनटाइटिलमेंटस का उल्लेख किया गया है।

3.12.15.7 प्रस्ताव में योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार सुचारू रूप से संचालन रणनीति का विवरण, आश्रय में रखे जाने वाले अभिलेखों का विवरण, आश्रय में रहने वालों हेतु नियमावली तथा अनुश्रवण एवं प्रबंधन व्यवस्था (आश्रय हेतु शेल्टर प्रबन्धन समिति के गठन एवं उत्तरदायित्व आदि) का उल्लेख नहीं है। उक्त के साथ ही प्रस्ताव में निर्मित किये जाने वाले भवन में उपलब्ध करायी जाने वाली भौतिक सुविधाओं के हस्तगत किये जाने के विवरण एवं संचालन व्यवस्था आदि का उल्लेख नहीं किया गया है।

3.12.15.8 प्रस्ताव में संचालन व्यवस्था हेतु 5 वर्षों हेतु रू0 29.97 लाख के प्रस्तावित धनराशि विवरण सक्षम स्तर से हस्ताक्षरित नहीं है।

3.12.15.9 अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद बांदा के पत्रांक 1910/न0पा0प0/2014–15 दिनांक 12.02.2015 के द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र में उल्लिखित है कि गाटा संख्या 984 एवं गाटा संख्या 985 की 2700 वर्गमीटर क्षेत्रफल/भूमि प्राप्त आश्रय योजना हेतु प्राप्त हो गयी है। संचालन व्यवस्था के सम्बन्ध में उक्त प्रमाण पत्र में उल्लिखित है कि आश्रय योजना का संचालन वर्ष तक प्राप्त धनराशि से संचालित किया जायेगा। 5 वर्ष बाद नगर पालिका परिषद बांदा द्वारा अपने निजी संसाधनों द्वारा किया जायेगा।

3.12.15.10 राज्य परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा आपसी विचार विमर्श उपरान्त नगर पालिका परिषद –बांदा से प्राप्त 01 नये शेल्टर होम के निर्माण, एवं 5 वर्षों के संचालन हेतु निम्नलिखित शर्तों के अनुसार स्वीकृत प्रदान की गयी:–

(क). निर्माण कार्य हेतु निर्माण लागत धनराशि रू0 193.49 लाख योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार तीन किश्तों (40%, 40% एवं 20%) में अवमुक्त किये जाने पर विचार कर निर्णय हेतु संस्तुति इस आधार पर की जाती है अन्दर संशोधित निर्माण की समय सारणी एवं विस्तृत

कार्य योजना बार चार्ट सहित कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 को नगर निगम/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई के माध्यम से राज्य शहरी आजीविका मिशन निदेशालय, सूडा उ0प्र0 को उपलब्ध कराना अपरिहार्य होगा। द्वितीय किश्त संतोषजनक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति के साथ ही 70% उपभोग की गयी धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने पर की जायेगी।

(ख). संचालन व्यवस्था हेतु धनराशि शेल्टर होम का निर्माण पूर्ण होकर हस्तागत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के उपरान्त अवमुक्त किया जायेगा।

(ग). शेल्टर होम निर्माण कार्य पूर्ण होने से पूर्व नगर निकाय/शहर मिशन प्रबंधन इकाई को, उक्त प्रस्ताव के परिपेक्ष्य में सुचारु रूप से स्पष्ट संचालन रणनीति का विवरण, आश्रय में रखे जाने वाले अभिलेखों का विवरण, आश्रय में रहने वालों हेतु नियमावली तथा अनुश्रवण एवं प्रबंधन व्यवस्था (आश्रय हेतु शेल्टर प्रबन्धन समिति के गठन एवं उत्तरदायित्व आदि) के साथ ही प्रस्ताव में निर्मित किये जाने वाले भवन में उपलब्ध करायी जाने वाली भौतिक सुविधाओं के हस्तगत किये जाने के विवरण एवं संचालन व्यवस्था आदि का दिशा निर्देशों के अनुसार विस्तृत विवरण एवं संचालन व्यवस्था हेतु प्रस्तावित धनराशि के विवरण पर सक्षम स्तर से हस्ताक्षरोपरान्त उपलब्ध कराया जाना अपरिहार्य होगा.जिसके उपरान्त ही संचालन व्यवस्था हेतु धनराशि अवमुक्त किया जायेगा।

उक्त शर्तों के अनुपालन किये जाने की शर्त के साथ राज्य परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा बांदा निकाय हेतु प्रस्तावित प्रस्ताव पर विचार कर स्वीकृत प्रदान की गयी।

3.13.16 कासगंज

3.13.16.1 नगर पालिका परिषद कासगंज हेतु प्रस्तावित आश्रय निर्माण के सम्बन्ध में निकाय प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुतीकरण में अवगत कराया गया कि जनगणना– 2011 के अनुसार निकाय की जनसंख्या– 1.01 लाख है। निकाय में शहरी बेघरों को आश्रय की समस्या होती है, जिसके दृष्टिगत शेल्टर होम निर्माण का प्रस्ताव किया गया है।

3.13.16.2 अवगत कराया गया कि 50 शहरी बेघरों हेतु उच्चीकृत परियोजना लागत रू0 127.30 लाख है, जिसमें निर्माण कार्य हेतु रू0 97.30 तथा 5 वर्षों के संचालन व्यवस्था हेतु रू0 30.00 लाख प्रस्तावित किया गया है।

3.13.16.3 कासगंज शहर में काफी संख्या में रिक्शा चालक एवं श्रमिक रोजगार हेतु आस–पास के क्षेत्रों से आते हैं, जिन्हें शेल्टर की समस्या होती है। उक्त समस्या समाधान हेतु उन्हें आधारभूत सुविधायुक्त आश्रय सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु कासगंज में 50 शहरी बेघरों हेतु शेल्टर होम निर्मित किये जाने का प्रस्ताव है।

3.13.16.4 प्रस्तावित शेल्टर होम वार्ड संख्या–11 नावेल्टी टॉकीज रोड पर निर्मित किया जाना है, जो बस स्टेशन से 200 मीटर एवं रेलवे स्टेशन से 01 किमी0 की दूरी पर है।

3.13.16.5 प्रस्तावित स्थल से आवागमन की सुविधा शहर के विभिन्न भागों हेतु उपलब्ध है।

3.13.16.6 प्रस्तावित शेल्टर होम में बेडिंग, पेयजल, बिजली, किचेन, शौचालय मनोरंजन हेतु कॉमन रूम, फस्ट एड बॉक्स आदि की सुविधायें एवं सेवायें योजना के दिशा–निर्देशों के अनुरूप उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित हैं।

3.13.16.7 प्रस्तावित शेल्टर होम में आश्रयविहीन लोगों के इन्टाइटिलमेंट लिंकिजेज हेतु समन्वय आधारित सेवायें उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान किया गया है।

3.13.16.8 परीक्षण समिति द्वारा अवगत कराया गया कि योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित प्रस्ताव में प्रति शहरी बेघर हेतु क्षेत्रफल का मानक पूर्ण है। प्राप्त इस्टीमेट पी0डब्लू0डी0 दर अनुसूची (एस.ओ.आर.), (डी.एस.आर.) एवं नॉन शेड्यूल्ड आइटम में बाजार दरों के आधार पर गठित किया गया है, जिसमें वित्तीय नियमों का पालन कार्यदायी संस्था द्वारा किया जाना अपरिहार्य होगा।

3.13.16.9 शहरी बेघरों के आश्रय हेतु प्राप्त उक्त प्रस्ताव में तकनीकी (Estimate) प्राक्कलन लेआउट के साथ प्रस्तावित आश्रय के प्रस्ताव में शहर का प्रोफाइल, लोकेशन, आश्रय में उपलब्ध कराये जाने वाले सुविधायें एवं सेवायें, डिजाइन एवं लिंकेजेज विद इनटाइटिलमेंटस का उल्लेख किया गया है।

3.13.16.10 प्रस्ताव में योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार सुचारू रूप से संचालन रणनीति एवं व्यवस्था, आश्रय में रखे जाने वाले अभिलेखों का विवरण, आश्रय में रहने वालों हेतु नियमावली तथा अनुश्रवण एवं प्रबंधन व्यवस्था (आश्रय हेतु शेल्टर प्रबन्धन समिति के गठन एवं उत्तरदायित्व आदि) का उल्लेख नहीं है। उक्त के साथ ही प्रस्ताव में निर्मित किये जाने वाले भवन में उपलब्ध करायी जाने वाली भौतिक सुविधाओं के हस्तगत किये जाने के विवरण एवं संचालन व्यवस्था आदि का उल्लेख नहीं किया गया है।

3.13.16.11 प्रस्ताव में प्रस्तावित स्थल के आवंटन के सम्बन्ध में भी कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है। निर्माण कार्य की विस्तृत कार्ययोजना एवं बार चार्ट भी प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया है।

3.13.16.12 प्रस्ताव में निर्मित किये जाने वाले शेल्टर होम के 5 वर्षों उपरान्त नगरीय निकाय द्वारा अपने संसाधनों से संचालन किये जाने का स्वयं प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है जो डी0पी0आर0 में लगाया जाना अपरिहार्य है।

3.13.16.13 प्रस्ताव मे संचालन व्यवस्था हेतु 5 वर्षों हेतु रू0 30.00 लाख के प्रस्तावित धनराशि विवरण सक्षम स्तर से हस्ताक्षरित नहीं है।

3.13.16.14 राज्य परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा आपसी विचार विमर्श उपरान्त नगर पालिका परिषद कासगंज से प्राप्त 01 नये शेल्टर होम के निर्माण, एवं 5 वर्षों के संचालन हेतु निम्नलिखित शर्तों के अनुसार स्वीकृत प्रदान की गयीः–

(क). निर्माण कार्य हेतु निर्माण लागत धनराशि रू0 97.30 लाख योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार तीन किश्तों (40%, 40% एवं 20%) में अवमुक्त किये जाने पर विचार कर निर्णय हेतु संस्तुति इस आधार पर की जाती है कि प्रथम किश्त अवमुक्त के 15 दिवसों के अन्दर निर्माण की समय सारणी एवं विस्तृत कार्य योजना वार चार्ट सहित कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 को नगर निगम/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई के माध्यम से राज्य शहरी आजीविका मिशन निदेशालय, सूडा उ0प्र0 को उपलब्ध कराना अपरिहार्य होगा। द्वितीय किश्त संतोषजनक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति के साथ ही 70% उपभोग की गयी धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने पर की जायेगी।

(ख). संचालन व्यवस्था हेतु धनराशि शेल्टर होम का निर्माण पूर्ण होकर हस्तगत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के उपरान्त अवमुक्त किया जायेगा।

(ग). शेल्टर होम निर्माण कार्य पूर्ण होने से पूर्व नगर निकाय/शहर मिशन प्रबंधन इकाई को, उक्त प्रस्ताव के परिपेक्ष्य में संचालन रणनीति का विवरण, आश्रय में रखे जाने वाले अभिलेखों का विवरण, आश्रय में रहने वालों हेतु नियमावली तथा अनुश्रवण एवं प्रबंधन व्यवस्था (आश्रय हेतु शेल्टर प्रबन्धन समिति के गठन एवं उत्तरदायित्व आदि) का विवरण योजना के दिशा–निर्देशों के अनुसार तत्काल राज्य मिशन प्रबंधन इकाई, सूडा को उपलब्ध कराना होगा। उक्त के साथ ही प्रस्ताव में निर्मित किये जाने वाले आश्रय भवन में उपलब्ध करायी जाने वाली भौतिक सुविधाओं के हस्तगत किये जाने के विवरण एवं संचालन व्यवस्था आदि का दिशा निर्देशों के अनुसार विस्तृत विवरण के साथ ही संचालन व्यवस्था हेतु प्रस्तावित धनराशि के विवरण पर सक्षम स्तर से हस्ताक्षरोपरान्त उपलब्ध कराया जाना अपरिहार्य होगा जिसके उपरान्त ही संचालन व्यवस्था हेतु धनराशि अवमुक्त किया जायेगा।

(घ) प्रस्ताव में प्रस्तावित स्थल के आवंटन के सम्बन्ध में भी अभिलेख तत्काल प्रस्तुत किया जाना अपरिहार्य होगा।

(च) नगर निकाय द्वारा प्रस्तावित आश्रय निर्माण के 5 वर्षों उपरान्त अपने संसाधनों से किये जाने का स्पष्ट प्रमाण पत्र तत्काल उपलब्ध कराना अपरिहार्य होगा।

उक्त शर्तों के अनुपालन किये जाने की शर्त के साथ राज्य परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा कासगंज निकाय हेतु प्रस्तावित प्रस्ताव पर विचार कर स्वीकृत प्रदान की गयी।

3.14.17 अकबरपुर (माती)–कानपुर देहात

3.14.17.1 नगर पंचायत अकबरपुर (माती)–कानपुर देहात हेतु प्रस्तावित आश्रय निर्माण के सम्बन्ध में नगरीय निकाय प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुतीकरण में अवगत कराया गया कि शहर की जनसंख्या-- लगभग 20445 है तथा जनपद का क्षेत्रफल अधिक होने तथा दूरदराज की जनसंख्या हेतु अकबरपुर माती में स्थित जिला चिकित्सालय में इलाज के लिए आस–पास के क्षेत्रों से काफी संख्या में लोग आते हैं, जिन्हें आश्रय की समस्या होती है, जिसके फलस्वरूप जिला चिकित्सालय परिसर में निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।

3.14.17.2 अवगत कराया गया कि 50 शहरी बेघरों हेतु उच्चीकृत परियोजना लागत रू0 178.68 लाख है, जिसमें निर्माण कार्य हेतु रू0 148.68 तथा 5 वर्षों के संचालन व्यवस्था हेतु रू0 30.00 लाख प्रस्तावित किया गया है।

3.14.17.3 अवगत कराया गया कि प्रस्तावित शेल्टर होम हेतु जिला चिकित्सालय प्रशासन द्वारा निःशुल्क भूमि उपलब्ध करायी गयी है।

3.14.17.4 प्रस्तावित शेल्टर होम में बेडिंग, पेयजल, बिजली, किचेन, शौचालय मनोरंजन हेतु कॉमन रूम, फस्ट एड बॉक्स आदि की सुविधायें एवं सेवायें योजना के दिशा–निर्देशों के अनुरूप उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित हैं।

3.14.17.5 अगवत कराया गया है कि प्रस्तावित शेल्टर होम में आश्रयविहीन लोगों के इन्टाइटिलमेंट लिंकिजेज हेतु समन्वय आधारित सेवायें उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान किया गया है।

3.14.17.6 परीक्षण समिति द्वारा अवगत कराया गया कि योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित प्रस्ताव में प्रति शहरी बेघर हेतु क्षेत्रफल का मानक पूर्ण है। प्राप्त इस्टीमेट पी0डब्लू0डी0 दर अनुसूची (एस.ओ.आर.), (डी.एस.आर.) एवं नॉन शेड्यूल्ड आइटम में बाजार दरों के आधार पर गठित किया गया है, जिसमें वित्तीय नियमों का पालन कार्यदायी संस्था द्वारा किया जाना अपरिहार्य होगा।

3.14.17.7 शहरी बेघरों के आश्रय हेतु प्राप्त उक्त प्रस्ताव में तकनीकी (Estimate) प्राक्कलन लेआउट के साथ प्रस्तावित आश्रय के प्रस्ताव में शहर का प्रोफाइल, लोकेशन, आश्रय में उपलब्ध कराये जाने वाले सुविधायें एवं सेवायें, डिजाइन एवं लिंकेजेज विद इनटाइटिलमेंटस का उल्लेख किया गया है।

3.14.17.8 प्रस्ताव में योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार सुचारू रूप से संचालन रणनीति का विवरण, आश्रय में रखे जाने वाले अभिलेखों का विवरण, आश्रय में रहने वालों हेतु नियमावली तथा अनुश्रवण एवं प्रबंधन व्यवस्था (आश्रय हेतु शेल्टर प्रबन्धन समिति के गठन एवं उत्तरदायित्व आदि) का उल्लेख नहीं है। उक्त के साथ ही प्रस्ताव में निर्मित किये जाने वाले भवन में उपलब्ध करायी जाने वाली भौतिक सुविधाओं के हस्तागत किये जाने के विवरण एवं संचालन व्यवस्था आदि का उल्लेख नहीं किया गया है।

3.14.17.9 प्रस्ताव में कब्जा प्राप्त स्थल का फोटोग्राफ संलग्न नहीं किया गया है। निर्माण कार्य की विस्तृत कार्ययोजना एवं बार चार्ट भी प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया है।

3.14.17.10 प्रस्ताव में निर्मित किये जाने वाले शेल्टर होम के 5 वर्षों उपरान्त नगरीय निकाय द्वारा अपने संसाधनों से संचालन किये जाने का स्पष्ट प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है जो डी0पी0आर0 में लगाया जाना अपरिहार्य है। प्रस्ताव में सी0पी0ओ0/अधिशासी अधिकारी के पत्र सं0– 490/NULM/SUH/2014–15 दिनांक–17.12.14 में उल्लिखित है, निर्मित होने वाले शेल्टर होम का रखरखाव एवं संचालन पांच वर्षों के बाद, शासन–सूडा से प्राप्त निर्देशानुसार तथा एन0यू0एल0एम0 की गाईड लाइन के दिशा

निर्देशों के अनुरूप नगर पंचायत अकबरपुर, कानपुर देहात द्वारा अपने संसाधनों से किया जायेगा। इस सम्बन्ध में निकाय द्वारा 5 वर्षों उपरान्त शेल्टर होम के संचालन अपने संसाधनों से कराये जाने का स्पष्ट प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा।

3.14.17.11 प्रस्ताव में संचालन व्यवस्था हेतु 5 वर्षों हेतु रू0 30.00 लाख के प्रस्तावित धनराशि विवरण सक्षम स्तर से हस्ताक्षरित नहीं है।

3.14.17.12 प्रस्तावित शेल्टर होम के संयुक्त जिला चिकित्सालय अकबरपुर में निर्माण के सम्बन्ध में मुख्य चिकित्साधिकारी कानपुर देहात के पत्र सं0–का0दे0/एनयूएलएम/रैन बसेरा/2014 दिनांक 17.11.2014 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि रैन बसेरा के निर्माण तथा 5 वर्षों तक रख रखाव हेतु जनपद के संयुक्त जिला चिकित्सालय अकबरपुर में निर्माणाधीन ट्रामा सेन्टर के बगल में 3250 वर्गफीट निःशुल्क भूमि उपलब्ध है। उक्त कार्य हेतु 3250 वर्गफीट निःशुल्क भूमि का प्रस्ताव डा0 एस0पी0 त्रिपाठी मुख्य चिकित्सा अधिक्षक संयुक्त जिला चिकित्सालय अकबरपुर कानपुर देहात द्वारा दे दिया गया है। आश्रय का संचालन केवल 5 वर्षो तक न होकर आगे भी निकाय द्वारा कराये जाने के सम्बन्ध में अस्पताल प्रशासन को स्पष्ट किया जाना समीचीन होगा।

3.14.17.13 **राज्य परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा आपसी विचार विमर्श उपरान्त नगर निकाय अकबरपुर–माती, कानपुर देहात से प्राप्त 01 नये शैल्टर होम के निर्माण, एवं 5 वर्षों के संचालन हेतु निम्नलिखित शर्तों के अनुसार स्वीकृत प्रदान की गयीः–**

(क). निर्माण कार्य हेतु निर्माण लागत धनराशि रू0 148.68 लाख योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार तीन किश्तों (40%, 40% एवं 20%) में अवमुक्त किये जाने पर विचार कर निर्णय हेतु संस्तुतिं इस आधार पर की जाती है कि प्रथम किश्त अवमुक्त के 15 दिवसों के अन्दर निर्माण की समय सारणी एवं विस्तृत कार्य योजना बार चार्ट सहित कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 को नगर निकाय/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई के माध्यम से राज्य शहरी आजीविका मिशन निदेशालय, सूडा उ0प्र0 को उपलब्ध कराना अपरिहार्य होगा। द्वितीय किश्त संतोषजनक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति के साथ ही 70% उपभोग की गयी धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने पर की जायेगी।

(ख). संचालन व्यवस्था हेतु धनराशि शेल्टर होम का निर्माण पूर्ण होकर हस्तगत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के उपरान्त अवमुक्त किया जायेगा।

(ग). शेल्टर होम निर्माण कार्य पूर्ण होने से पूर्व नगर निकाय/शहर मिशन प्रबंधन इकाई को, उक्त प्रस्ताव के परिपेक्ष्य में संचालन रणनीति एवं व्यवस्था, आश्रय में रखे जाने वाले अभिलेखों का विवरण, आश्रय में रहने वालों हेतु नियमावली तथा अनुश्रवण एवं प्रबंधन व्यवस्था (आश्रय हेतु शेल्टर प्रबन्धन समिति के गठन एवं उत्तरदायित्व आदि) के साथ ही प्रस्ताव में निर्मित किये जाने वाले भवन एवं प्रस्तावित आश्रय में उपलब्ध करायी जाने वाली भौतिक सुविधाओं के हस्तगत किये जाने के विवरण का दिशा निर्देशों के अनुसार विस्तृत विवरण के साथ ही संचालन व्यवस्था हेतु प्रस्तावित धनराशि के विवरण पर सक्षम स्तर से हस्ताक्षरोपरान्त उपलब्ध कराया जाना अपरिहार्य होगा जिसके उपरान्त ही संचालन व्यवस्था हेतु धनराशि अवमुक्त किया जायेगा।

(घ) कब्जा प्राप्त किये गये स्थल का फोटोग्राफ भी प्रस्ताव के साथ प्राप्त किया जाना व्यवहारिक दृष्टि से उपयोगी है। जिसे शहर मिशन प्रबंधन इकाई/नगर पालिका परिषद द्वारा तत्काल उपलब्ध कराया जायेगा।

(ङ) अस्पताल प्रशासन को स्पष्ट किया जाना होगा कि आश्रय का संचालन केवल 5 वर्षो तक न होकर आगे भी निकाय द्वारा निरंतर कराया जायेगा। उक्त स्पष्टता सी०एम०एम०यू० द्वारा करके एस०एम०एम०यू० को अनुपालन आख्या प्रेषित की जायेगी।

(च) नगर निकाय द्वारा प्रस्तावित आश्रय निर्माण के 5 वर्षों उपरान्त अपने संसाधनो से किये जाने का स्पष्ट प्रमाण पत्र तत्काल उपलब्ध कराना अपरिहार्य होगा।

उक्त शर्तों के अनुपालन किये जाने की शर्त के साथ राज्य परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा अकबरपुर (माती) कानपुर देहात के परियोजना की स्वीकृति पर विचार कर स्वीकृत प्रदान की गयी।

3.15 कानपुर नगर

3.15.1 नगर निगम कानपुर नगर हेतु प्रस्तावित आश्रय निर्माण के सम्बन्ध में नगर निकाय प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुतीकरण में अवगत कराया गया कि जनगणना 2011 के अनुसार कानपुर शहर की जनसंख्या 2768057 लाख है।

3.15.2 कानपुर नगर के लाला लाजपत राय अस्पताल प्रांगण, पहाड़पुर एवं शिवली रोड तीनों नये निर्माण के प्रस्तावों का प्रस्तुतीकरण निकाय प्रतिनिधि द्वारा करते हुए अवगत कराया गया कि जनगणना 2011 के अनुसार कानपुर नगर में 17,887 शहरी बेघर है। नगर निगम द्वारा वर्तमान में 27 शेल्टर होम का संचालन किया जा रहा है। जिसमें मानकों के अनुरूप 897 लोगों के रहने की व्यवस्था है। जबकि शहर में शहरी बेघरों को समुचित मात्रा में आश्रय व्यवस्था करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी प्रयास के क्रम में 03 नये 60–60 शहरी बेघरों हेतु क्षमता वाले आश्रय गृह का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।

3.15.3 प्रस्तुतीकरण में अवगत कराया गया कि तीनों प्रस्ताव में योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रति अन्तःवासी हेतु 50 वर्गफिट स्थान के मानक के अनुरूप डी0पी0आर0 तैयार की गयी है।

3.15.4 प्रस्तुतीकरण में अवगत कराया गया कि अपग्रेड किये जाने वाले तीनों शेल्टर होम में सभी श्रेणी के पुरूषों, महिलाओं, वृद्ध तथा विकलांगों तथा फैमिली आश्रय की अलग–अलग व्यवस्था की गई है। अपग्रेडेशन हेतु, प्रस्तावित दोनों तलों पर मानकों के अनुरूप पर्याप्त संख्या में शौचालय, बाथरूम का प्राविधान प्रस्तावित किया गया है। उक्त के साथ ही स्टोर रूम, किचेन, लाइब्रेरी का भी प्राविधान प्रस्तावित है।

3.15.5 अवगत कराया गया कि प्रस्तावित सभी आश्रयों में स्वच्छ पेयजल, बिजली, फस्ट एण्ड वाक्स, लाइब्रेरी, खुली जगह, शिशु एवं मातृत्व कल्याण की सेवाओं के साथ ही अन्य इनटाइटिलमेंटस के लिंकेजेज हेतु विभिन्न विभागों से समन्वय कर उपलब्ध कराया जायेगा।

3.15.6 प्रस्तावित शेल्टर होम में आश्रयविहीन लोगों के इन्टाइटिलमेंट लिंकिजेज हेतु समन्वय आधारित सेवायें उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान किया गया है।

3.15.18 शिवली रोड

3.15.18.1 निकाय प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित शेल्टर होम लाला लाजपत राय, हमीरपुर रोड माड़ी के निकट निर्मित किया जाना प्रस्तावित है।

3.15.18.2 अवगत कराया गया कि 60 शहरी बेघरों हेतु नया निर्माण परियोजना लागत रू0 172.20 लाख है, जिसमें निर्माण कार्य हेतु रू0 142.20 तथा 5 वर्षों के संचालन व्यवस्था हेतु रू0 30.00 लाख प्रस्तावित किया गया है।

3.15.18.3 प्रस्तावित स्थल के रेलवे स्टेशन एवं आस–पास के रोड के किनारे एवं दुकानों के चबूतरों पर लोग आश्रय लेते हैं।

3.15.18.4 निकाय प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित शेल्टर कल्यानपुर रेलवे स्टेशन के निकट जी0टी0 रोड, फर्रुखाबाद पर प्रस्तावित है। यह कानपुर नगर का मुख्य व्यवसायिक क्षेत्र है, जहां काफी संख्या में श्रमिक रिक्शा चालक आदि कार्य करते हैं, जिन्हें आश्रय की समस्या होती है।

3.15.18.5 प्रस्तावित शेल्टर होम में बेडिंग, पेयजल, बिजली, किचेन, शौचालय मनोरंजन हेतु कॉमन रूम, फस्ट एड बॉक्स आदि की सुविधायें एवं सेवायें योजना के दिशा–निर्देशों के अनुरूप उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित हैं।

3.15.18.6 प्रस्तावित शेल्टर होम में आश्रयविहीन लोगों के इन्टाइटिलमेंट लिंकिजेज हेतु समन्वय आधारित सेवायें उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान किया गया है।

3.15.18.7 परीक्षण समिति द्वारा अवगत कराया गया कि योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित प्रस्ताव में प्रति शहरी बेघर हेतु क्षेत्रफल का मानक पूर्ण है। प्राप्त इस्टीमेट पी0डब्लू0डी0 दर अनुसूची (एस.ओ.आर.), (डी.एस.आर.) एवं नॉन शेड्यूल्ड आइटम में बाजार दरों के आधार पर गठित किया गया है, जिसमें वित्तीय नियमों का पालन कार्यदायी संस्था द्वारा किया जाना अपरिहार्य होगा।

3.15.18.8 शहरी बेघरों के आश्रय हेतु प्राप्त उक्त प्रस्ताव में तकनीकी (Estimate) प्राक्कलन लेआउट के साथ प्रस्तावित आश्रय के प्रस्ताव में शहर का प्रोफाइल, लोकेशन, आश्रय में उपलब्ध कराये जाने वाले सुविधायें एवं सेवायें, डिजाइन एवं लिंकेजेज विद इनटाइटिलमेंटस का उल्लेख किया गया है।

3.15.18.9 प्रस्ताव में योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार सुचारू रूप से संचालन रणनीति का विवरण, आश्रय में रखे जाने वाले अभिलेखों का विवरण, आश्रय में रहने वालों हेतु नियमावली तथा अनुश्रवण एवं प्रबंधन व्यवस्था (आश्रय हेतु शेल्टर प्रबन्धन समिति के गठन एवं उत्तरदायित्व आदि) का उल्लेख नहीं है। उक्त के साथ ही प्रस्ताव में निर्मित किये जाने वाले भवन में उपलब्ध करायी जाने वाली भौतिक सुविधाओं के हस्तागत किये जाने के विवरण एवं संचालन व्यवस्था आदि का उल्लेख नहीं किया गया है।

3.15.18.10 प्रस्ताव में प्रस्तावित स्थल के आवंटन के सम्बन्ध में भी कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है। कब्जा प्राप्त स्थल का फोटोग्राफ संलग्न नहीं किया गया है। निर्माण कार्य की विस्तृत कार्ययोजना एवं वार चार्ट भी प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया है।

3.15.18.11 प्रस्ताव में निर्मित किये जाने वाले शेल्टर होम के 5 वर्षों उपरान्त नगर निगम द्वारा अपने संसाधनों से संचालन किये जाने का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है जो डी0पी0आर0 में लगाया जाना अपरिहार्य है।

3.15.18.12 प्रस्ताव में 5 वर्षों तक संचालन व्यवस्था हेतु रू0 29.97 लाख के प्रस्तावित धनराशि विवरण सक्षम स्तर से हस्ताक्षरित नहीं है।

3.15.18.13 **राज्य परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा आपसी विचार विमर्श उपरान्त नगर निगम कानपुर के शिवली रोड से प्राप्त 01 नये शेल्टर होम के निर्माण, एवं 5 वर्षो के संचालन हेतु निम्नलिखित शर्तों के अनुसार स्वीकृत प्रदान की गयीः–**

(क). निर्माण कार्य हेतु निर्माण लागत धनराशि रू0 142.20 लाख योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार तीन किश्तों (40%, 40% एवं 20%) में अवमुक्त किये जाने पर विचार कर निर्णय हेतु संस्तुति इस आधार पर की जाती है कि प्रथम किश्त अवमुक्त के 15 दिवसों के अन्दर निर्माण की समय सारणी एवं विस्तृत कार्य योजना वार चार्ट सहित कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 को नगर निगम/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई के माध्यम से राज्य शहरी आजीविका मिशन निदेशालय, सूडा उ0प्र0 को उपलब्ध कराना अपरिहार्य होगा। द्वितीय किश्त संतोषजनक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति के साथ ही 70% उपभोग की गयी धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने पर अवमुक्त किया जाना समीचीन होगा।

(ख). संचालन व्यवस्था हेतु धनराशि शेल्टर होम का निर्माण पूर्ण होकर हस्तगत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के उपरान्त अवमुक्त किया जाना समीचीन होगा।

(ग). शेल्टर होम निर्माण कार्य पूर्ण होने से पूर्व नगर निगम/शहर मिशन प्रबंधन इकाई को, उक्त प्रस्ताव के परिपेक्ष्य में संचालन रणनीति एवं व्यवस्था, आश्रय में रखे जाने वाले अभिलेखों का विवरण, आश्रय में रहने वालों हेतु नियमावली तथा अनुश्रवण एवं प्रबंधन

व्यवस्था (आश्रय हेतु शेल्टर प्रबन्धन समिति के गठन एवं उत्तरदायित्व आदि) के साथ ही प्रस्ताव में निर्मित किये जाने वाले भवन एवं प्रस्तावित आश्रय में उपलब्ध करायी जाने वाली भौतिक सुविधाओं के हस्तगत किये जाने के विवरण एवं संचालन व्यवस्था आदि का दिशा निर्देशों के अनुसार विस्तृत विवरण के साथ ही संचालन व्यवस्था हेतु प्रस्तावित धनराशि के विवरण पर सक्षम स्तर से हस्ताक्षरोपरान्त उपलब्ध कराया जाना अपरिहार्य होगा जिसके उपरान्त ही संचालन व्यवस्था हेतु धनराशि अवमुक्त किया जाना समीचीन होगा।

(घ) कब्जा प्राप्त किये गये स्थल का फोटोग्राफ भी प्रस्ताव के साथ प्राप्त किया जाना व्यवहारिक दृष्टि से उपयोगी है। जिसे नगर निगम शहर मिशन प्रबंधन इकाई द्वारा तत्काल उपलब्ध कराया जाना समीचीन होगा"।

(ङ) नगर निगम शहर मिशन प्रबंधन इकाई द्वारा प्रस्तावित आश्रय निर्माण के 5 वर्षो उपरान्त अपने संसाधनों से संचालन किये जाने के सम्बन्ध में स्पष्ट प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना अपरिहार्य होगा।

(च) नगर निगम शहर मिशन प्रबंधन इकाई द्वारा प्रस्तावित आश्रय हेतु उपलब्ध करायी गयी भूमि के आवंटन के अभिलेख के सम्बन्ध में स्पष्ट प्रमाण पत्र तत्काल उपलब्ध कराना अपरिहार्य होगा।

उक्त शर्तो के अनुपालन किये जाने की शर्त के साथ राज्य परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा कानपुर नगर हेतु शिवली रोड पर नये आश्रय निर्माण की परियोजना की स्वीकृति पर विचार कर स्वीकृत प्रदान की गयी।

3.15.19 **पहाड़पुर**

3.15.19.1 नगर निगम कानपुर–पहाड़पुर हेतु प्रस्तावित आश्रय निर्माण के सम्बन्ध में निकाय प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुतीकरण में अवगत कराया गया कि कानपुर–पहाड़पुर हेतु प्रस्तावित शेल्टर होम पुरानी चुंगी के नजदीक हमीरपुर रोड पर निर्मित किया जाना प्रस्तावित है।

अवगत कराया गया कि 60 शहरी बेघरों हेतु नया निर्माण परियोजना लागत रू0 135.17 लाख है, जिसमें निर्माण कार्य हेतु रू0 105.17 तथा 5 वर्षों के संचालन व्यवस्था हेतु रू0 30.00 लाख प्रस्तावित किया गया है।

3.15.19.2 प्रस्तावित खण्ड के आस–पास काफी संख्या में ट्रक मरम्मत आदि के लिए मशहूर स्थान है, जहां काफी संख्या में ट्रक ड्राइवर श्रमिक आदि रात्रि निवास करते हैं। जिन्हें आश्रय निर्माण उपरान्त सुलभ सुविधा उपलब्ध कराया जाना सम्भव होगा।

3.15.19.3 अवगत कराया गया कि प्रस्तावित स्थल के अस्पताल के समीप होने के दृष्टिगति काफी संख्या में लोग इलाज हेतु आस–पास के क्षेत्रों से आते हैं। जिन्हें प्रस्तावित शेल्टर होम के निर्माण से आश्रय की सुविधा दिया जाना सम्भव हो सकेगा।

3.15.19.4 प्रस्तावित शेल्टर होम में बेडिंग, पेयजल, बिजली, किचेन, शौचालय मनोरंजन हेतु कॉमन रूम, फस्ट एड बॉक्स आदि की सुविधायें एवं सेवायें योजना के दिशा–निर्देशों के अनुरूप उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित हैं।

3.15.19.5 अगवत कराया गया कि प्रस्तावित शेल्टर होम में आश्रयविहीन लोगों के इन्टाइटिलमेंट लिंकिजेज हेतु समन्वय आधारित सेवायें उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान किया गया है।

3.15.19.6 परीक्षण समिति द्वारा अवगत कराया गया कि योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित प्रस्ताव में प्रति शहरी बेघर हेतु क्षेत्रफल का मानक पूर्ण है। प्राप्त इस्टीमेट

पी0डब्लू0डी0 दर अनुसूची (एस.ओ.आर.), (डी.एस.आर.) एवं नॉन शेड्यूल्ड आइटम में बाजार दरों के आधार पर गठित किया गया है, जिसमें वित्तीय नियमों का पालन कार्यदायी संस्था द्वारा किया जाना अपरिहार्य होगा।

3.15.19.7 शहरी बेघरों के आश्रय हेतु प्राप्त उक्त प्रस्ताव में तकनीकी (Estimate) प्राक्कलन लेआउट के साथ प्रस्तावित आश्रय के प्रस्ताव में शहर का प्रोफाइल, लोकेशन, आश्रय मे उपलब्ध कराये जाने वाले सुविधायें एवं सेवायें, डिजाइन एवं लिंकेजेज विद इनटाइटिलमेंटस का उल्लेख किया गया है।

3.15.19.8 प्रस्ताव में योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार सुचारू रूप से संचालन रणनीति विवरण एवं व्यवस्था, आश्रय में रखे जाने वाले अभिलेखों का विवरण, आश्रय में रहने वालों हेतु नियमावली तथा अनुश्रवण एवं प्रबंधन व्यवस्था (आश्रय हेतु शेल्टर प्रबन्धन समिति के गठन एवं उत्तरदायित्व आदि) का उल्लेख नहीं है। उक्त के साथ ही प्रस्ताव में निर्मित किये जाने वाले भवन मे उपलब्ध करायी जाने वाली भौतिक सुविधाओं के हस्तगत किये जाने के विवरण एवं संचालन व्यवस्था आदि का उल्लेख नहीं किया गया है।

3.15.19.9 प्रस्ताव में प्रस्तावित स्थल के आवंटन के सम्बन्ध में भी कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है। कब्जा प्राप्त स्थल का फोटोग्राफ संलग्न नहीं किया गया है। निर्माण कार्य की विस्तृत कार्ययोजना एवं बार चार्ट भी प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया है।

3.15.19.10 प्रस्ताव में निर्मित किये जाने वाले शेल्टर होम के 5*वर्षों उपरान्त नगर निगम द्वारा अपने संसाधनों से संचालन किये जाने का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है जो डी0पी0आर0 में लगाया जाना अपरिहार्य है।

3.15.19.11 प्रस्ताव में 5 वर्षों तक संचालन व्यवस्था हेतु रू0 29.97 लाख के प्रस्तावित धनराशि विवरण सक्षम स्तर से हस्ताक्षरित नहीं है।

3.15.19.12 **राज्य परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा आपसी विचार विमर्श उपरान्त नगर निगम कानपुर के पहाड़पुर से प्राप्त 01 नये शेल्टर होम के निर्माण, एवं 5 वर्षों के संचालन हेतु निम्नलिखित शर्तों के अनुसार स्वीकृत प्रदान की गयी:–**

(क). निर्माण कार्य हेतु निर्माण लागत धनराशि रू0 105.17 लाख योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार तीन किश्तों (40%, 40% एवं 20%) में अवमुक्त किये जाने पर विचार कर निर्णय हेतु संस्तुति इस आधार पर की जाती है कि प्रथम किश्त अवमुक्त के 15 दिवसों के अन्दर निर्माण की समय सारणी एवं विस्तृत कार्य योजना बार चार्ट सहित कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 को नगर निगम/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई के माध्यम से राज्य शहरी आजीविका मिशन निदेशालय, सूडा उ0प्र0 को उपलब्ध कराना अपरिहार्य होगा। द्वितीय किश्त संतोषजनक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति के साथ ही 70% उपभोग की गयी धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने पर की जायेगी।

(ख). संचालन व्यवस्था हेतु धनराशि शेल्टर होम का निर्माण पूर्ण होकर हस्तगत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के उपरान्त अवमुक्त किया जायेगा।

(ग). शेल्टर होम निर्माण कार्य पूर्ण होने से पूर्व नगर निगम/शहर मिशन प्रबंधन इकाई को, उक्त प्रस्ताव के परिपेक्ष्य में सुचारू रूप से संचालन रणनीति विवरण एवं व्यवस्था, आश्रय में रखे जाने वाले अभिलेखों का विवरण, आश्रय में रहने वालों हेतु नियमावली तथा अनुश्रवण एवं प्रबंधन व्यवस्था (आश्रय हेतु शेल्टर प्रबन्धन समिति के गठन एवं उत्तरदायित्व आदि) के साथ ही प्रस्ताव में निर्मित किये जाने वाले भवन एवं प्रस्तावित आश्रय में उपलब्ध करायी जाने वाली भौतिक सुविधाओं के हस्तगत किये जाने के विवरण एवं संचालन व्यवस्था आदि का दिशा निर्देशों के अनुसार विस्तृत विवरण के साथ ही

संचालन व्यवस्था हेतु प्रस्तावित धनराशि के विवरण पर सक्षम स्तर से हस्ताक्षरोपरान्त उपलब्ध कराया जाना अपरिहार्य होगा। जिसके उपरान्त ही संचालन व्यवस्था हेतु धनराशि अवमुक्त किया जायेगा।

(घ) कब्जा प्राप्त किये गये स्थल का फोटोग्राफ भी प्रस्ताव के साथ प्राप्त किया जाना व्यवहारिक दृष्टि से उपयोगी है। जिसे नगर निगम शहर मिशन प्रबंधन इकाई द्वारा तत्काल उपलब्ध कराया जायेगा।

(ङ) नगर निगम शहर मिशन प्रबंधन इकाई द्वारा प्रस्तावित आश्रय निर्माण के 5 वर्षों उपरान्त अपने संसाधनों से संचालन किये जाने के सम्बन्ध में स्पष्ट प्रमाण पत्र उपलब्ध

(च) नगर निगम शहर मिशन प्रबंधन इकाई द्वारा प्रस्तावित आश्रय हेतु उपलब्ध करायी गयी भूमि के आवंटन के अभिलेख के सम्बन्ध में स्पष्ट प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना अपरिहार्य होगा।

उक्त शर्तों के अनुपालन किये जाने की शर्त के साथ परियोजना की स्वीकृति पर विचार कर स्वीकृत प्रदान की गयी।

3.15.20 कानपुर – लाला लाजपत राय, अस्पताल कैम्पस

3.15.20.1 प्रस्तावित आश्रय निर्माण के सम्बन्ध में प्रस्तुतीकरण में अवगत कराया गया कि मेडिकल कालेज प्रांगण लाला लाजपत राय अस्पताल में प्रस्तावित है।

3.15.20.2 अवगत कराया गया कि 60 शहरी बेघरों हेतु नया निर्माण परियोजना लागत रू0 172.64 लाख है, जिसमें निर्माण कार्य हेतु रू0 142.64 तथा 5 वर्षों के संचालन व्यवस्था हेतु रू0 30.00 लाख प्रस्तावित किया गया है।

3.15.20.3 मेडिकल कालेज प्रांगण में आने वाले मरीजों के तीमरदारों को आश्रय की समस्या होती है तथा मेडिकल कालेज के आस–पास लघु रोजगार करने वाले लोग, श्रमिक, रिक्शा चालक आदि को आश्रय की समस्या होती है।

3.15.20.4 अवगत कराया गया कि शहर में शहरी बेघरों हेतु आश्रय की समस्या को कम करने के दृष्टिगत 60 शहरी बेघरों हेतु शेल्टर होम के निर्माण का प्रस्ताव है।

3.15.20.5 परीक्षण समिति द्वारा अवगत कराया गया कि योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित प्रस्ताव में प्रति शहरी बेघर हेतु क्षेत्रफल का मानक पूर्ण है। प्राप्त इस्टीमेट पी0डब्लू0डी0 दर अनुसूची (एस.ओ.आर.), (डी.एस.आर.) एवं नॉन शेड्यूल्ड आइटम में बाजार दरों के आधार पर गठित किया गया है, जिसमें वित्तीय नियमों का पालन कार्यदायी संस्था द्वारा किया जाना अपरिहार्य होगा।

3.15.20.6 शहरी बेघरों के आश्रय हेतु प्राप्त उक्त प्रस्ताव में तकनीकी (Estimate) प्रावकलन लेआउट के साथ प्रस्तावित आश्रय के प्रस्ताव में शहर का प्रोफाइल, लोकेशन, आश्रय में उपलब्ध कराये जाने वाले सुविधायें एवं सेवायें, डिजाइन एवं लिंकेजेज विद इनटाइटिलमेंटस का उल्लेख किया गया है।

3.15.20.7 प्रस्ताव में निर्माण कार्य की अवधि, संचालन रणनीति एवं व्यवस्था, आश्रय में रखे जाने वाले अभिलेखों का विवरण, आश्रय में रहने वालों हेतु नियमावली तथा अनुश्रवण एवं प्रबंधन व्यवस्था का दिशा निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में उल्लेख नहीं है।

3.15.20.8 प्रस्ताव में योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार सुचारू रूप से शहर प्रोफाइल, संचालन रणनीति एवं व्यवस्था, आश्रय में रखे जाने वाले अभिलेखों का विवरण, आश्रय में रहने वालों हेतु नियमावली तथा अनुश्रवण एवं प्रबंधन व्यवस्था (आश्रय हेतु शेल्टर प्रबन्धन समिति के गठन एवं उत्तरदायित्व आदि) का उल्लेख नहीं है। उक्त के साथ ही प्रस्ताव में निर्मित

किये जाने वाले भवन में उपलब्ध करायी जाने वाली भौतिक सुविधाओं के हस्तगत किये जाने के विवरण एवं संचालन व्यवस्था आदि का उल्लेख नहीं किया गया है।

3.15.20.9 प्रस्ताव में निर्मित किये जाने वाले शेल्टर होम के 5 वर्षों उपरान्त नगर निगम द्वारा अपने संसाधनों से संचालन किये जाने का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है जो डी0पी0आर0 में लगाया जाना अपरिहार्य है।

3.15.20.10 प्रस्ताव में 5 वर्षों तक संचालन व्यवस्था हेतु रू0 29.97 लाख के प्रस्तावित धनराशि विवरण सक्षम स्तर से हस्ताक्षरित नहीं है।

3.15.20.11 प्रस्तावित शेल्टर होम की भूमि आवंटन के सम्बन्ध में प्रधानाचार्य मेडिकल कॉलेज के पत्रांक–5466/रैनबसेरा/प्र0/ला0ला0रा0/2014 दिनांक 18.11.2014 के दौरान अवगत कराया गया है कि लाला लाजपत राय के वार्ड सं0–10 और 12 के बीच में खाली जमीन उपलब्ध है जिसपर निर्माण कार्य किया जा सकता है।

3.15.20.12 प्रस्ताव में प्रस्तावित स्थल के आवंटन के सम्बन्ध में भी कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है। निर्माण कार्य की विस्तृत कार्ययोजना एवं बार चार्ट प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया है।

3.15.20.13 **राज्य परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा आपसी विचार विमर्श उपरान्त नगर निगम कानपुर–लाला लाजपत राय, अस्पताल कैम्पस से प्राप्त 01 नये शेल्टर होम के निर्माण, एवं 5 वर्षों के संचालन हेतु निम्नलिखित शर्तों के अनुसार स्वीकृत प्रदान की गयी:–**

(क). निर्माण कार्य हेतु निर्माण लागत धनराशि रू0 142.64 लाख योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार तीन किश्तों (40%, 40% एवं 20%) में अवमुक्त किये जाने पर विचार कर निर्णय हेतु संस्तुति इस आधार पर की जाती है कि प्रथम किश्त अवमुक्त के 15 दिवसों के अन्दर निर्माण की समय सारणी एवं विस्तृत कार्य योजना बार चार्ट सहित कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 को नगर निगम/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई के माध्यम से राज्य शहरी आजीविका मिशन निदेशालय, सूडा उ0प्र0 को उपलब्ध कराना अपरिहार्य होगा। द्वितीय किश्त संतोषजनक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति के साथ ही 70% उपभोग की गयी धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने पर की जायेगी।

(ख). संचालन व्यवस्था हेतु धनराशि शेल्टर होम का निर्माण पूर्ण होकर हस्तगत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के उपरान्त अवमुक्त किया जायेगा।

(ग). शेल्टर होम निर्माण कार्य पूर्ण होने से पूर्व नगर निगम/शहर मिशन प्रबंधन इकाई को, उक्त प्रस्ताव के परिपेक्ष्य में संचालन रणनीति एवं व्यवस्था, आश्रय में रखे जाने वाले अभिलेखों का विवरण, आश्रय में रहने वालों हेतु नियमावली तथा अनुश्रवण एवं प्रबंधन व्यवस्था (आश्रय हेतु शेल्टर प्रबन्धन समिति के गठन एवं उत्तरदायित्व आदि) के साथ ही प्रस्ताव में निर्मित किये जाने वाले भवन एवं प्रस्तावित आश्रय में उपलब्ध करायी जाने वाली भौतिक सुविधाओं के हस्तागत किये जाने के विवरण एवं संचालन व्यवस्था आदि का दिशा निर्देशों के अनुसार विस्तृत विवरण के साथ ही संचालन व्यवस्था हेतु प्रस्तावित धनराशि के विवरण पर सक्षम स्तर से हस्ताक्षरोपरान्त उपलब्ध कराया जाना अपरिहार्य होगा जिसके उपरान्त ही संचालन व्यवस्था हेतु धनराशि अवमुक्त किया जायेगा।

(घ) कब्जा प्राप्त किये गये स्थल का फोटोग्राफ भी प्रस्ताव के साथ प्राप्त किया जाना व्यवहारिक दृष्टि से उपयोगी है। जिसे नगर निगम द्वारा तत्काल उपलब्ध कराया जायेगा।

(ड) नगर निगम द्वारा प्रस्तावित आश्रय निर्माण के 5 वर्षों उपरान्त अपने संसाधनों से संचालन किये जाने के सम्बन्ध में स्पष्ट प्रमाण पत्र तत्काल नगर निगम/शहर मिशन प्रबंधन इकाई द्वारा उपलब्ध कराना अपरिहार्य होगा।

(च) नगर निगम द्वारा प्रस्तावित आश्रय हेतु उपलब्ध करायी गयी भूमि के आवंटन के अभिलेख के सम्बन्ध में स्पष्ट प्रमाण पत्र तत्काल नगर निगम/शहर मिशन प्रबंधन इकाई द्वारा उपलब्ध कराना अपरिहार्य होगा।

उक्त शर्तों के अनुपालन किये जाने की शर्त के साथ राज्य परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा लाला लाजपत राय-, अस्पताल कैम्पस, कानपुर नगर हेतु प्रस्तावित परियोजना की स्वीकृति पर विचार कर स्वीकृत प्रदान की गयी।

3.16.21 हाथरस

3.16.21.1 अवगत कराया गया कि प्रस्तावित शेल्टर होम आगरा अलीगढ़ रोड पर लेबर कालोनी में निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। उक्त स्थल से 1.5 किमी0 की दूरी पर काटन मिल है, जहां काफी संख्या में श्रमिक कार्य करते हैं।

3.16.21.2 अवगत कराया गया कि 100 शहरी बेघरों हेतु नया निर्माण परियोजना लागत रू0 194.76 लाख है, जिसमें निर्माण कार्य हेतु रू0 164.76 तथा 5 वर्षों के संचालन व्यवस्था हेतु रू0 30.00 लाख प्रस्तावित किया गया है।

3.16.21.3 हाथरस में वर्तमान में कोई शेल्टर होम नहीं है, जिससे शहरी गरीबों को आश्रय की समस्या होती है।

3.16.21.4 नगर पालिका परिषद हाथरस हेतु प्रस्तावित आश्रय निर्माण के सम्बन्ध में नगर निकाय प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुतीकरण में अवगत कराया गया कि हाथरस में 100 शहरी बेघरों हेतु शेल्टर होम निर्मित किये जाने का प्रस्ताव है। निकाय की जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या 1.43 लाख है।

3.16.21.5 निकाय प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित शेल्टर होम बस स्टेशन से 02 किमी0 एवं रेलवे स्टेशन से 2.5 किमी0 तथा अस्पताल से 01 किमी0 की दूरी पर निर्मित किया जाना है। प्रस्तावित स्थल से सभी स्थानों हेतु आवागमन की सुविधा उपलब्ध है।

3.16.21.6 प्रस्तावित शेल्टर होम में बेडिंग, पेयजल, बिजली, किचेन, शौचालय मनोरंजन हेतु कॉमन रूम, फस्ट एड बॉक्स आदि की सुविधायें एवं सेवायें योजना के दिशा–निर्देशों के अनुरूप उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित हैं।

3.16.21.7 प्रस्तावित शेल्टर होम में आश्रयविहीन लोगों के इन्टाइटिलमेंट लिंकिजेज हेतु समन्वय आधारित सेवायें उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान किया गया है।

3.16.21.8 परीक्षण समिति द्वारा अवगत कराया गया कि योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित प्रस्ताव में प्रति शहरी बेघर हेतु क्षेत्रफल का मानक पूर्ण है। प्राप्त इस्टीमेट पी0डब्लू0डी0 दर अनुसूची (एस.ओ.आर.), (डी.एस.आर.) एवं नॉन शेड्यूल्ड आइटम में बाजार दरों के आधार पर गठित किया गया है, जिसमें वित्तीय नियमों का पालन कार्यदायी संस्था द्वारा किया जाना अपरिहार्य होगा।

3.16.21.9 शहरी बेघरों के आश्रय हेतु प्राप्त उक्त प्रस्ताव में तकनीकी (Estimate) प्राक्कलन लेआउट के साथ प्रस्तावित आश्रय के प्रस्ताव में शहर का प्रोफाइल, लोकेशन, आश्रय में उपलब्ध कराये जाने वाले सुविधायें एवं सेवायें, डिजाइन एवं लिंकेजेज विद इनटाइटिलमेंटस का उल्लेख किया गया है।

3.16.21.10 प्रस्ताव में योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार सुचारु रूप से संचालन विवरण एवं व्यवस्था, आश्रय में रखे जाने वाले अभिलेखों का विवरण, आश्रय में रहने वालों हेतु नियमावली तथा अनुश्रवण एवं प्रबंधन व्यवस्था (आश्रय हेतु शेल्टर प्रबन्धन समिति के गठन एवं उत्तरदायित्व आदि) का उल्लेख नहीं है। उक्त के साथ ही प्रस्ताव में निर्मित किये जाने वाले भवन में उपलब्ध करायी जाने वाली भौतिक सुविधाओं के हस्तगत किये जाने के विवरण एवं संचालन व्यवस्था आदि का उल्लेख नहीं किया गया है।

3.16.21.11 प्रस्ताव में प्रस्तावित स्थल के आवंटन के सम्बन्ध में अधिशासी अधिकारी एवं अध्यक्ष नगर पालिका परिषद द्वारा हस्ताक्षरित पत्र संख्या– 802 तह0अनु0/2014–15 दिनांक– 29.12.2014 के द्वारा अवगत कराया गया है कि नगर पालिका परिषद हाथरस में शेल्टर होम बनाने के लिए लेबर कालोनी (पानी की टंकी के पास) भूमि तथा ढकपुरा रोड पर रेलवे फाटक के पास भूमि को शेल्टर होम के निर्माण हेतु चेंज किया गया है। शासनादेश सं0–465/09–08–20 नगर विकास अनुभाग–8 दिनांक 24.02.01 के पैरा 6 के बिन्दु संख्या–6 के अन्तर्गत आवासीय योजना हेतु भूमि निःशुल्क सूडा को सूडा के आवासीय योजना हेतु

हस्तांतरित की जायेगी, जिसके क्रम में उक्त दोनों चयनित भूमि डूडा हाथरस को शेल्टर होम एवं आवासीय योजना हेतु हस्तांतरित की जाती है।

3.16.21.12 कब्जा प्राप्त स्थल का फोटोग्राफ संलग्न नहीं किया गया है। निर्माण कार्य की विस्तृत कार्ययोजना एवं वार चार्ट भी प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया है।

3.16.21.13 प्रस्ताव में निर्मित किये जाने वाले शेल्टर होम के 5 वर्षों उपरान्त नगरीय निकाय द्वारा अपने संसाधनों से संचालन किये जाने का स्वयं प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है जो डी0पी0आर0 में लगाया जाना अपरिहार्य है।

3.16.21.14 प्रस्ताव में संचालन व्यवस्था हेतु 5 वर्षो हेतु रू0 30.00 लाख के प्रस्तावित धनराशि विवरण सक्षम स्तर से हस्ताक्षरित नहीं है।

3.16.21.15 राज्य परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा आपसी विचार विमर्श उपरान्त नगर पालिका परिषद हाथरस से प्राप्त 01 नये शेल्टर होम के निर्माण, एवं 5 वर्षो के संचालन हेतु निम्नलिखित शर्तों के अनुसार स्वीकृत प्रदान की गयी:—

(क). निर्माण कार्य हेतु निर्माण लागत धनराशि रू0 164.76 लाख योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार तीन किश्तों (40%, 40% एवं 20%) में अवमुक्त किये जाने पर विचार कर निर्णय हेतु संस्तुति इस आधार पर की जाती है कि प्रथम किश्त अवमुक्त के 15 दिवसों के अन्दर निर्माण की समय सारणी एवं विस्तृत कार्य योजना वार चार्ट सहित कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 को नगर निकाय/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई के माध्यम से राज्य शहरी आजीविका मिशन निदेशालय, सूडा उ0प्र0 को उपलब्ध कराना अपरिहार्य होगा। द्वितीय किश्त संतोषजनक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति के साथ ही 70% उपभोग की गयी धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने पर की जायेगी।

(ख). संचालन व्यवस्था हेतु धनराशि शेल्टर होम का निर्माण पूर्ण होकर हस्तागत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के उपरान्त अवमुक्त किया जायेगा।

(ग). शेल्टर होम निर्माण कार्य पूर्ण होने से पूर्व नगर निकाय/शहर मिशन प्रबंधन इकाई को, उक्त प्रस्ताव के परिपेक्ष्य में सुचारू रूप से संचालन विवरण एवं व्यवस्था, आश्रय में रखे जाने वाले अभिलेखों का विवरण, आश्रय में रहने वालों हेतु नियमावली तथा अनुश्रवण एवं प्रबंधन व्यवस्था (आश्रय हेतु शेल्टर प्रबन्धन समिति के गठन एवं उत्तरदायित्व आदि) के साथ ही प्रस्ताव में निर्मित किये जाने वाले भवन एवं प्रस्तावित आश्रय में उपलब्ध करायी जाने वाली भौतिक सुविधाओं के हस्तगत किये जाने के विवरण एवं संचालन व्यवस्था आदि का दिशा निर्देशों के अनुसार विस्तृत विवरण के साथ ही संचालन व्यवस्था हेतु प्रस्तावित धनराशि के विवरण पर सक्षम स्तर से हस्ताक्षरोपरान्त उपलब्ध कराया जाना अपरिहार्य होगा जिसके उपरान्त ही संचालन व्यवस्था हेतु धनराशि अवमुक्त किया जायेगा।

(घ) कब्जा प्राप्त किये गये स्थल का फोटोग्राफ भी प्रस्ताव के साथ प्राप्त किया जाना व्यवहारिक दृष्टि से उपयोगी है। जिसे नगर पालिका परिषद द्वारा तत्काल उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा''।

(ड़) नगर निकाय द्वारा प्रस्तावित आश्रय निर्माण के 5 वर्षो उपरान्त अपने संसाधनों से संचालन किये जाने के सम्बन्ध में स्पष्ट प्रमाण पत्र तत्काल नगर निगम/शहर मिशन प्रबंधन इकाई द्वारा उपलब्ध कराना अपरिहार्य होगा।

उक्त शर्तों के अनुपालन किये जाने की शर्त के साथ राज्य परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा हाथरस की परियोजना की स्वीकृति पर विचार कर स्वीकृत प्रदान की गयी।

3.17.22 रॉबर्ट्सगंज–सोनभद्र

3.17.22.1 नगर पालिका परिषद रॉबर्ट्सगंज–सोनभद्र हेतु प्रस्तावित आश्रय निर्माण के सम्बन्ध में नगरीय निकाय प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुतीकरण में अवगत कराया गया कि रॉबर्ट्सगंज–सोनभद्र में वर्तमान में कोई भी शेल्टर होम नहीं है जबकि काफी संख्या में श्रमिक रिक्शा चालक आदि को आश्रय की आवश्यकता पड़ती है। निकाय की जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या 0.37 लाख है।

3.17.22.2 अवगत कराया गया कि 50 शहरी बेघरों हेतु नया निर्माण परियोजना लागत रू0 137.38 लाख है, जिसमें निर्माण कार्य हेतु रू0 108.16 तथा 5 वर्षों के संचालन व्यवस्था हेतु रू0 29.22 लाख प्रस्तावित किया गया है।

3.17.22.3 अवगत कराया गया कि शहरी बेघरों को आश्रय सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु सोनभद्र में 50 शहरी बेघरों हेतु शेल्टर होम निर्मित किये जाने का प्रस्ताव है।

3.17.22.4 निकाय प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित शेल्टर होम बस स्टेशन से 500 मीटर एवं रेलवे स्टेशन से 15 किमी0 की दूरी पर निर्मित किया जाना है। प्रस्तावित स्थल से सभी स्थानों हेतु आवागमन की सुविधा उपलब्ध है। प्रस्तुतीकरण में प्रस्तावित शेल्टर होम का निर्माण 09 माह में किये जाने का बार चार्ट प्रस्तुत किया गया।

3.17.22.5 प्रस्तावित शेल्टर होम में बेडिंग, पेयजल, बिजली, किचेन, शौचालय मनोरंजन हेतु कॉमन रूम, फस्ट एड बॉक्स आदि की सुविधायें एवं सेवायें योजना के दिशा–निर्देशों के अनुरूप उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित हैं।

3.17.22.6 प्रस्तावित शेल्टर होम में आश्रयविहीन लोगों के इन्टाइटिलमेंट लिंकिजेज हेतु समन्वय आधारित सेवायें उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान किया गया है।

3.17.22.7 परीक्षण समिति द्वारा अवगत कराया गया कि योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार सुचारू रूप से संचालन रणनीति एवं व्यवस्था, आश्रय में रखे जाने वाले अभिलेखों का विवरण, आश्रय में रहने वालों हेतु नियमावली तथा अनुश्रवण एवं प्रबंधन व्यवस्था (आश्रय हेतु शेल्टर प्रबन्धन समिति के गठन एवं उत्तरदायित्व आदि) का उल्लेख नहीं है। उक्त के साथ ही प्रस्ताव में निर्मित किये जाने वाले भवन में उपलब्ध करायी जाने वाली भौतिक सुविधाओं के हस्तगत किये जाने के विवरण एवं संचालन व्यवस्था आदि का उल्लेख नहीं किया गया है।

3.17.22.8 प्रस्ताव में प्रस्तावित स्थल के आवंटन के सम्बन्ध में भी कोई अभिलेखीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, जो प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत किया जाना अपरिहार्य है। कब्जा प्राप्त स्थल का फोटोग्राफ संलग्न नहीं किया गया है। निर्माण कार्य की विस्तृत कार्ययोजना एवं बार चार्ट भी प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया है।

3.17.22.9 प्रस्ताव में निर्मित किये जाने वाले शेल्टर होम के 5 वर्षों उपरान्त नगरीय निकाय द्वारा अपने संसाधनों से संचालन किये जाने का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है जो डी0पी0आर0 में लगाया जाना अपरिहार्य है।

3.17.22.10 संचालन व्यवस्था हेतु प्रस्तावित व्यय विवरण सक्षम स्तर से हस्ताक्षरित नहीं है।

3.17.22.11 राज्य परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा आपसी विचार विमर्श उपरान्त नगर पालिका परिषद रॉबर्ट्सगंज–सोनभद्र से प्राप्त 01 नये शेल्टर होम के निर्माण, एवं 5 वर्षों के संचालन हेतु निम्नलिखित शर्तों के अनुसार स्वीकृत प्रदान की गयी:–

(क). निर्माण कार्य हेतु निर्माण लागत धनराशि रू0 108.16 लाख योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार तीन किश्तों (40%, 40% एवं 20%) में अवमुक्त किये जाने पर विचार कर निर्णय हेतु संस्तुति इस आधार पर की जाती है कि प्रथम किश्त अवमुक्त के 15 दिवसों के

अन्दर निर्माण की समय सारणी एवं विस्तृत कार्य योजना वार चार्ट सहित कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 को नगर निकाय/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई के माध्यम से राज्य शहरी आजीविका मिशन निदेशालय, सूडा उ0प्र0 को उपलब्ध कराना अपरिहार्य होगा। द्वितीय किश्त संतोषजनक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति के साथ ही 70% उपभोग की गयी धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने पर की जायेगी।

(ख). संचालन व्यवस्था हेतु धनराशि शेल्टर होम का निर्माण पूर्ण होकर हस्तगत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के उपरान्त अवमुक्त किया जायेगा।

(ग). शेल्टर होम निर्माण कार्य पूर्ण होने से पूर्व नगर निकाय/शहर मिशन प्रबंधन इकाई को, उक्त प्रस्ताव के परिपेक्ष्य में सुचारू रूप से संचालन विवरण एवं व्यवस्था, आश्रय में रखे जाने वाले अभिलेखों का विवरण, आश्रय में रहने वालों हेतु नियमावली तथा अनुश्रवण एवं प्रबंधन व्यवस्था (आश्रय हेतु शेल्टर प्रबन्धन समिति के गठन एवं उत्तरदायित्व आदि) के साथ ही प्रस्ताव में निर्मित किये जाने वाले भवन में उपलब्ध करायी जाने वाली भौतिक सुविधाओं के हस्तगत किये जाने के विवरण एवं संचालन व्यवस्था आदि का दिशा निर्देशों के अनुसार विस्तृत विवरण के साथ ही संचालन व्यवस्था हेतु प्रस्तावित धनराशि के विवरण पर सक्षम स्तर से हस्ताक्षरोपरान्त उपलब्ध कराया जाना अपरिहार्य होगा जिसके उपरान्त ही संचालन व्यवस्था हेतु धनराशि अवमुक्त किया जायेगा।

(घ) कब्जा प्राप्त किये गये स्थल का फोटोग्राफ भी प्रस्ताव के साथ प्राप्त किया जाना व्यवहारिक दृष्टि से उपयोगी है। जिसे नगर निकाय/सी0एम0एम0यू0 द्वारा तत्काल उपलब्ध कराया जायेगा।

(ङ) नगर निकाय द्वारा प्रस्तावित आश्रय निर्माण के 5 वर्षो उपरान्त अपने संसाधनों से संचालन किये जाने के सम्बन्ध में स्पष्ट प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना अपरिहार्य होगा।

(च) नगर निकाय द्वारा प्रस्तावित आश्रय हेतु उपलब्ध करायी गयी भूमि के आवंटन के अभिलेख के सम्बन्ध में स्पष्ट प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना अपरिहार्य होगा।

उक्त शर्तों के अनुपालन किये जाने की शर्त के साथ राज्य परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा रॉबर्टसगंज–सोनभद्र में प्रस्तावित परियोजना की स्वीकृति पर विचार कर स्वीकृत प्रदान की गयी।

एजेण्डा बिन्दु संख्या–3

आगरा

1. नगर आयुक्त प्रतिनिधि द्वारा आगरा शहर के लोहामण्डी जोनल कार्यालय हेतु विगत दिनांक 16.10.2014 को स्वीकृति दो परियोजनाओं में से अपग्रेड/उच्चीकृत किये जाने वाली परियोजना लागत रू0 60.50 लाख (निर्माण लागत 30.60 लाख तथा 5 वर्षों हेतु संचालन व्यवस्था रू0 29.94 लाख) के निरस्तीकरण का अनुरोध किया गया।

2. उक्त निरस्तीकरण के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि उच्चीकृत हेतु स्वीकृत परियोजना पूर्व निर्मित भवन के ऊपर तल पर निर्माण कर की जानी थी, जिसके क्रम राज्य परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा स्वीकृत शशर्त प्रदान की गयी थी कि "उच्चीकृत किये जाने वाले भवन की नींव एवं दीवार के सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता नगर निगम आगरा से प्रमाण पत्र लिया जाये कि पूर्व निर्मित भवन ऊपरी तल के निर्माण के लोड हेतु उप्युक्त है"। इस सम्बन्ध में उक्त भवन का तकनीकी परीक्षण कराया गया जिसमें पूर्व निर्मित भवन ऊपरी तल के निर्माण हेतु उप्युक्त नहीं पाया गया। उक्त आश्रय की अनुपालन आख्या भी प्रस्तुत की गई है।

3. परीक्षण समिति द्वारा अवगत कराया गया कि आगरा हेतु स्वीकृत परियोजनान्तर्गत समिति द्वारा लगाई गई शर्तों के स्पष्ट अनुपालन प्राप्त होने के कारण अभी तक कोई धनराशि अवमुक्त नहीं की गई है।

4. **राज्य परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा आपसी विचार विमर्श उपरान्त विगत 16.10.2014 को स्वीकृत उच्चीकरण की परियोजना लागत रू0 60.50 लाख की नगर निगम के अनुरोध एवं प्रस्तुत किये गये प्रस्तुतीकरण के आलोक में निरस्तीकरण किये जाने का निर्णय लिया गया।**

3.18.23.1 आगरा शहर हेतु विगत दिनांक 16.10.2014 को 75 शहरी बेघरों हेतु नये निर्माण की स्वीकृत परियोजना लागत रू0 124.36 लाख निर्माण लागत रू0 94.42 लाख तथा 5 वर्षों हेतु संचालन व्यवस्था रू0 29.94 लाख के संशोधन के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि पूर्व में उक्त परियोजना का गठन नगर निगम द्वारा किया गया था परन्तु बाद में योजनान्तर्गत कार्यदायी संस्था (सी0एण्ड डी0एस0) को शासन द्वारा नामित किये जाने के दृष्टिगत कार्यदायी संस्था (सी0एण्ड डी0एस0) द्वारा पूर्व स्वीकृत के आलोक में योजना के दिशा–निर्देशों के अनुसार संशोधित किया गया है।

3.18.23.2 अवगत कराया गया कि पूर्व स्वीकृत परियोजना में नगर निगम द्वारा परियोजना का गठन एवं निर्माण किये जाने के दृष्टिगत सेन्टेज आदि को नियमानुसार सम्मिलित नहीं किया गया था, जिसे सी0एण्ड डी0एस0 द्वारा संशोधन में सम्मिलित किया गया है तथा पूर्व की शर्तों के अनुपालन में डिजाइन में भी यथावश्यक संशोधन योजना के दिशा–निर्देशों के क्रम में किया गया है।

3.18.23.3 नगर निगम आगरा के जोनल कार्यालय हेतु पूर्व स्वीकृत 75 शहरी बेघरों के संशोधित प्रस्ताव के सम्बन्ध में निकाय प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुतीकरण में अवगत कराया गया कि आगरा में वर्तमान में 15 स्थाई शेल्टर होम संचालित है।

3.18.23.4 अवगत कराया गया कि 50 शहरी बेघरों हेतु नया निर्माण परियोजना लागत रू0 135.16 लाख है, जिसमें निर्माण कार्य हेतु रू0 105.19 तथा 5 वर्षों के संचालन व्यवस्था हेतु रू0 29.97 लाख प्रस्तावित किया गया है।

3.18.23.5 आगरा ताज नगरी के नाम से पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, तथा प्रदेश का मुख्य पर्यटन स्थल है, साथ ही आगरा चर्म उद्योग हेतु भी विख्यात है, जिसके दृष्टिगत काफी संख्या में आस–पास एवं प्रदेश के अन्य स्थानों से लोग रोजगार आदि हेतु आते हैं, जिन्हें आश्रय की

समस्या होती है। वर्तमान में आश्रय की उपलब्ध सुविधा मानकों के अनुसार 414 लोगों के लिए है, जबकि शहरी बेघरों की संख्या काफी अधिक है।

3.18.23.6 निकाय प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित शेल्टर होम राजामण्डी एवं रेलवे स्टेशन से थोड़ी दूरी पर निर्मित किया जाना है। प्रस्तावित स्थल से सभी स्थानों हेतु आवागमन की सुविधा उपलब्ध है। स्थल लोहामण्डी एंव राजाण्डी मार्केट के समीप है जो शहरी बेघरों हेतु उप्युक्त है।

3.18.23.7 प्रस्तावित शेल्टर होम में बेडिंग, पेयजल, बिजली, किचेन, शौचालय मनोरंजन हेतु कॉमन रूम, फस्ट एड बॉक्स आदि की सुविधायें एवं सेवायें योजना के दिशा–निर्देशों के अनुरूप उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित हैं।

3.18.23.8 प्रस्तावित शेल्टर होम में आश्रयविहीन लोगों के इन्टाइटिलमेंट लिंकिजेज हेतु समन्वय आधारित सेवायें उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान किया गया है।

3.18.23.9 परीक्षण समिति द्वारा अवगत कराया गया कि योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार सुचारू रूप से संचालन विवरण एवं प्रबन्धन व्यवस्थाएं आश्रय में रखे जाने वाले अभिलेख, आश्रय में रहने वालों हेतु नियमावली तथा अनुश्रवण एवं प्रबंधन व्यवस्था (आश्रय हेतु शेल्टर प्रबन्धन समिति के गठन एवं उत्तरदायित्व आदि) का उल्लेख नहीं है। उक्त के साथ ही प्रस्ताव में निर्मित किये जाने वाले भवन में उपलब्ध करायी जाने वाली भौतिक सुविधाओं के हस्तगत किये जाने के विवरण एवं संचालन व्यवस्था आदि का उल्लेख नहीं किया गया है।

3.18.23.10 प्रस्ताव में निर्माण कार्य की विस्तृत कार्ययोजना एवं वार चार्ट प्रस्तुत नहीं किया गया है।

3.18.23.11 प्रस्ताव में संचालन हेतु प्रस्तावित धनराशि के विवरण सक्षम स्तर से हस्ताक्षरित नहीं है।

3.18.23.12 प्रस्ताव में प्रस्तावित स्थल के आवंटन के सम्बन्ध में भी कोई अभिलेखीय प्रकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है, जो प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत किया जाना अपरिहार्य है। कब्जा प्राप्त स्थल का फोटोग्राफ संलग्न नहीं किया गया है। निर्माण कार्य की विस्तृत कार्ययोजना एवं वार चार्ट भी प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया है।

3.18.23.13 प्रस्ताव में निर्मित किये जाने वाले शेल्टर होम के 5 वर्षो उपरान्त नगरीय निकाय द्वारा अपने संसाधनों से संचालन किये जाने का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है जो डी0पी0आर0 में लगाया जाना अपरिहार्य है।

3.18.23.14 **राज्य परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा आपसी विचार विमर्श उपरान्त नगर निगम आगरा हेतु पूर्व में स्वीकृत 75 शहरी बेघरों हेतु परियोजना लागत रू0 124.31 लाख को निरस्त कर प्रस्तुत संशोधित परियोजना लागत रू0 135.16 लाख के निर्माण, एवं 5 वर्षो के संचालन हेतु निम्नलिखित शर्तों के अनुसार स्वीकृत प्रदान की गयी:–**

(क). निर्माण कार्य हेतु निर्माण लागत धनराशि रू0 105.19 लाख योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार तीन किश्तों (40%, 40% एवं 20%) में अवमुक्त किये जाने पर विचार कर निर्णय हेतु संस्तुति इस आधार पर की जाती है कि प्रथम किश्त अवमुक्त के 15 दिवसों के अन्दर निर्माण की समय सारणी एवं विस्तृत कार्य योजना वार चार्ट सहित कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 को नगर निगम/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई के माध्यम से राज्य शहरी आजीविका मिशन निदेशालय, सूडा उ0प्र0 को उपलब्ध कराना अपरिहार्य होगा। द्वितीय किश्त संतोषजनक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति के साथ ही 70% उपभोग की गयी धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने पर अवमुक्त किया जाना समीचीन होगा।

(ख) संचालन व्यवस्था हेतु धनराशि शेल्टर होम का निर्माण पूर्ण होकर हस्तगत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के उपरान्त अवमुक्त किया जाना समीचीन होगा।

(ग) शेल्टर होम निर्माण कार्य पूर्ण होने से पूर्व नगर निगम/शहर मिशन प्रबंधन इकाई को, उक्त प्रस्ताव के परिपेक्ष्य में आश्रय में रहने वालों हेतु नियमावली, रखे जाने वाले अभिलेख तथा अनुश्रवण एवं प्रबंधन व्यवस्था (आश्रय हेतु शेल्टर प्रबन्धन समिति के गठन एवं उत्तरदायित्व आदि) का विवरण के साथ ही प्रस्ताव में निर्मित किये जाने वाले भवन एवं उपलब्ध करायी जाने वाली भौतिक सुविधाओं के हस्तगत किये जाने का दिशा निर्देशों के अनुसार विवरण एवं संचालन व्यवस्था हेतु प्रस्तावित धनराशि के विवरण पर सक्षम स्तर से हस्ताक्षरोपरान्त उपलब्ध कराया जाना अपरिहार्य होगा जिसके उपरान्त ही संचालन व्यवस्था हेतु धनराशि अवमुक्त किया जाना समीचीन होगा।

(घ) कब्जा प्राप्त किये गये स्थल का फोटोग्राफ भी प्रस्ताव के साथ प्राप्त किया जाना व्यवहारिक दृष्टि से उपयोगी है। जिसे नगर निकाय/सी0एम0एम0यू0 द्वारा तत्काल उपलब्ध कराया जाना समीचीन होगा"।

(ड़) नगर निकाय द्वारा प्रस्तावित आश्रय निर्माण के 5 वर्षों उपरान्त अपने संसाधनों से संचालन किये जाने के सम्बन्ध में स्पष्ट प्रमाण पत्र तत्काल उपलब्ध कराना अपरिहार्य होगा।

(च) नगर निकाय द्वारा प्रस्तावित आश्रय हेतु उपलब्ध करायी गयी भूमि के आवंटन के अभिलेख के सम्बन्ध में स्पष्ट प्रमाण पत्र तत्काल उपलब्ध कराना अपरिहार्य होगा।

उक्त शर्तों के अनुपालन किये जाने की शर्त के साथ राज्य परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा जोनल कार्यालय लोहामण्डी आगरा के संशोधित परियोजना की स्वीकृति पर विचार कर स्वीकृत प्रदान की गयी।

एजेन्डा बिन्दु संख्या–4

उक्त एजेन्डा बिन्दु के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि आश्रय योजना के दिशा–निर्देशों के अनुसार निर्मित किये जाने वाले शेल्टर्स के संचालन व्यवस्था हेतु राज्य परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा 5 वर्षों हेतु अधिकतम रू0 30.00 लाख की स्वीकृति इस शर्त के साथ दी गयी है कि संचालन व्यवस्था हेतु धनराशि शेल्टर का निर्माण कार्य पूरा होने के उपरान्त हस्तगत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने एवं संचालन व्यवस्था की सभी औपचारिताओं के पूर्ण करने के उपरान्त की जायेगी।

संचालन व्यवस्था हेतु प्राविधानित धनराशि के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि गाइडलाइन में 50 शहरी बेघरों के आश्रय हेतु रू0 30.00 लाख 05 वर्षों के लिए रू0 06.00 लाख प्रतिवर्ष का उल्लेख है, जिसके दृष्टिगत अधिक क्षमता वाले आश्रयों के संचालन व्यवस्था के सम्बन्ध में भारत सरकार से स्पष्टता का अनुरोध किया गया था। भारत सरकार के स्तर पर विगत 29.12.2014 को आयोजित राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक में प्रदेश की तरफ से 50 शहरी बेघरों के संचालन व्यवस्था हेतु प्रावधानित धनराशि के सम्बन्ध में मांगी गयी स्पष्टता के सम्बन्ध में उक्त बैठक के कार्यवृत्त मे स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि "5 वर्षों के संचालन व्यवस्था हेतु रू0 06.00 लाख 50 शहरी बेघरों की क्षमता वाले शेल्टर्स के लिए है, अधिक क्षमता वाले आश्रय/शेल्टर्स के संचालन व्यवस्था में अनुपातिक रूप से वृद्धि की जा सकती है"।

संचालन व्यवस्था के सम्बन्ध में राज्य परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त 50 शहरी बेघरों से अधिक क्षमता के स्वीकृत सभी परियोजनाओं में अनुपातिक आधार पर वृद्धि हेतु सम्बन्धित निकायों शहर मिशन प्रबंधन इकाई से तत्क्रम में प्रस्ताव प्राप्त कर आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्देश दिये गये।

एजेण्डा बिन्दु संख्या–5 अन्य बिन्दु

एजेन्डा बिन्दु संख्या–5 अन्य बिन्दु में अध्यक्ष महोदय की अनुमति से एजेन्डा निर्गत होने के उपरान्त रामपुर से 70 शहरी बेघरों हेतु परियोजना लागत रू0 187.37 लाख के विचार विमर्श एंव स्वीकृत हेतु प्रस्तुत किया गया, जिसका विवरण निम्नवत है:–

3.19.24 रामपुर

3.19.24.1 रामपुर के प्रस्तावित आश्रय निर्माण के सम्बन्ध में निकाय प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुतीकरण में अवगत कराया गया कि रामपुर में वर्तमान में कोई भी शेल्टर होम नहीं है जबकि काफी संख्या में श्रमिक रिक्शा चालक आदि को आश्रय की आवश्यकता पड़ती है। रामपुर निकाय की जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या 3.25 लाख है।

3.19.24.2 अवगत कराया गया कि प्रस्तावित शेल्टर होम घेरमियां खां मुहल्ले में मुमताज पार्क के पास पूर्व निर्मित सामुदायिक केन्द्र में पुनः निर्माण कर प्रस्तावित है, जिसमें पुराने जर्जर भवन को तोड़कर तथा कुछ पुराने निर्माण पर पुनः निर्माण कर प्रस्तावित किया गया है।

3.19.24.3 प्रस्तावित भवन पूर्व निर्मित दो सामुदायिक केन्द्रों को सम्मिलित किया जाना है।

3.19.24.4 प्रस्तुतीकरण में दोनों सामुदायिक भवनों को जर्जर हालत का प्रस्तुतीकरण भी किया गया।

3.19.24.5 रामपुर के प्रगतिशील नगर होने के कारण दिनों दिन शहरी बेघरों की संख्या बढ़ रही है। रामपुर में मौलाना जौहर विश्वविद्यालय होने के कारण काफी संख्या में देश के विभिन्न भागों से लोगों का शहर में आना जाना रहता है।

3.19.24.6 निकाय प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित शेल्टर होम सदर बस स्टेशन से 01 किमी0 एवं रेलवे स्टेशन से 07 किमी0 की दूरी पर निर्मित किया जाना है। प्रस्तावित स्थल से सभी स्थानों हेतु आवागमन की सुविधा उपलब्ध है।

3.19.24.7 प्रस्तावित शेल्टर होम में बेडिंग, पेयजल, बिजली, किचेन, शौचालय मनोरंजन हेतु कॉमन रूम, फस्ट एड बॉक्स आदि की सुविधायें एवं सेवायें योजना के दिशा–निर्देशों के अनुरूप उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित हैं।

3.19.24.8 प्रस्ताव में योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित प्रस्ताव में प्रति शहरी बेघर हेतु क्षेत्रफल का मानक पूर्ण है। प्राप्त इस्टीमेट पी0डब्लू0डी0 दर अनुसूची (एस.ओ.आर.), (डी. एस.आर.) एवं नॉन शेड्यूल्ड आइटम में बाजार दरों के आधार पर गठित किया गया है, जिसमें वित्तीय नियमों का पालन कार्यदायी संस्था द्वारा किया जाना अपरिहार्य होगा।

3.19.24.9 शहरी बेघरों के आश्रय हेतु प्राप्त उक्त प्रस्ताव में तकनीकी (Estimate) प्राक्लन लेआउट एवं निर्मित की जाने वाली भौतिक सुविधाओं एवं सेवाओं एवं डिजाइन का संक्षिप्त में उल्लेख किया गया है।

3.19.24.10 परीक्षण समिति द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्ताव में योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार सुचारू रूप से संचालन रणनीति एवं व्यवस्था, आश्रय में रखे जाने वाले अभिलेखों का विवरण, आश्रय में रहने वालों हेतु नियमावली आश्रय का लोकेशन विद इन्टाइटेलमेन्ट्स तथा अनुश्रवण एवं प्रबंधन व्यवस्था (आश्रय हेतु शेल्टर प्रबन्धन समिति के गठन एवं उत्तरदायित्व आदि) का उल्लेख नहीं है। उक्त के साथ ही प्रस्ताव में निर्मित किये जाने वाले भवन में उपलब्ध करायी जाने वाली भौतिक सुविधाओं के हस्तगत किये जाने के विवरण एवं संचालन व्यवस्था आदि का उल्लेख नहीं किया गया है।

3.19.24.11 प्रस्ताव में प्रस्तावित स्थल के आवंटन के सम्बन्ध में भी कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है। कब्जा प्राप्त स्थल का फोटोग्राफ संलग्न नहीं किया गया है। निर्माण कार्य की विस्तृत कार्ययोजना एवं बार चार्ट भी प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया है।

3.19.24.12 प्रस्ताव में निर्मित किये जाने वाले शेल्टर होम के 5 वर्षों उपरान्त नगरीय निकाय द्वारा अपने संसाधनों से संचालन किये जाने का स्वयं प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है जो डी0पी0आर0 में लगाया जाना अपरिहार्य है।

3.19.24.13 प्रस्ताव में संचालन व्यवस्था हेतु 5 वर्षों हेतु रू0 29.94 लाख के प्रस्तावित धनराशि विवरण सक्षम स्तर से हस्ताक्षरित नहीं है न ही फार्म जे सिटी प्रोजेक्ट ऑफिसर/अधिशासी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित है।

3.19.24.14 राज्य परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा परीक्षण समिति की टिप्पणी एवं प्रस्तुतीकरण किये गये प्रस्ताव के सम्बन्ध में आपसी विचार विमर्श उपरान्त नगर पालिका परिषद रामपुर से प्राप्त 01 नये शेल्टर होम के निर्माण, एवं 5 वर्षों के संचालन के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया कि प्रस्तावित दोनों सामुदायिक भवनों की अत्यन्त जर्जर स्थिति को देखते हुए तकनीकी दृष्टिकोण से परीक्षणोपरान्त दोनों सामुदायिक केन्द्रों को ढहाकर/गिराकर उक्त स्थल पर 100 शहरी बेघरों हेतु संशोधित प्रस्ताव प्रेषित किया जाय। जर्जर भवन को गिराने के सम्बन्ध में नियमानुसार तत्काल कार्यवाही की जाय तथा संशोधित अपेक्षित प्रस्ताव गाइड लाइन के अनुसार उपरोक्त कमियों के निराकरण के साथ आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

6 आवश्यक निर्देश

राज्य परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा शहर/नगरीय निकायों द्वारा उपरोक्तानुसार स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्नलिखित निर्देश सभी निकायों को दिये गयेः–

6.1 प्रकरण के मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित रिट याचिका (सिविल) संख्या 55/2003 एवं 572/2003 ई0आर0 कुमार व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में की जा रही सघन समीक्षा के दृष्टिगत त्वरित गति से कार्यवाही करते हुए गुणवत्ता आधारित निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।

6.2 कार्यदायी संस्था को निर्धारित समय सीमा में अनुपातिक आधार पर गुणवत्ता आधारित कार्य कराते हुए अपेक्षित उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित निकाय/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई को उपलब्ध कराना अपरिहार्य होगा। शहर मिशन प्रबन्धन इकाई/निकाय को कार्यदायी संस्था से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र तत्काल नियमानुसार निर्धारित प्रारूपों में सी0पी0ओ0/ई0ओ0/नगर आयुक्त/पीडी/डीएम के माध्यम से राज्य मिशन प्रबन्धन इकाई– सूडा उ0प्र0 को उपलब्ध कराना होगा।

6.3 शहर मिशन प्रबन्धन इकाई को उपयोगिता प्रमाण पत्र के प्राप्त होने 15 दिवसों में आगामी किश्त के अवमुक्त की कार्यवाही करना आवश्यक होगा ताकि समय से धनराशि अवमुक्त करके निर्धारित समय में कार्य पूर्ण कराया जा सके।

6.4 निकाय/शहर मिशन प्रबंधन इकाई को उल्लिखित निर्देशों की अनुपालन आख्या प्रत्येक दशा में निर्धारित समय सीमा में राज्य मिशन प्रबन्धन इकाई सूडा उ0प्र0 को उपलब्ध कराना अपरिहार्य है।

6.5 आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय भारत सरकार के प्रतिनिधि हडको द्वारा दिये गये सुझाव के क्रम में निर्देशित किया गया कि निर्माण कार्य की विस्तृत समयसारणी एवं बार चार्ट कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 द्वारा तत्काल उपलब्ध कराया जाय तथा संचालन व्यवस्था हेतु आवश्यक बजट का प्राविधान किया जाय तथा गाइड लाइन में उपलब्ध संसाधन से अधिक व्यय प्रस्तावित करने की दशा में स्पष्ट आधारों के साथ संचालन व्यवस्था हेतु अतिरिक्त धन की व्यवस्था अपने अथवा प्रस्तावित अन्य संसाधनों के माध्यम से कराये जाने का उल्लेख डी0पी0आर0 में किया जाये।

6.6 आश्रय संचालन एवं प्रबन्धन व्यवस्था की कार्यवाही गाइडलाइन के अनुसार आश्रय निर्माण के साथ–साथ करना अपरिहार्य है, ताकि निर्माण कार्य पूर्ण होने से पूर्व संचालन व्यवस्था प्रबन्धन समिति का गठन, उत्तरदायित्व आदि सभी कार्यवाही पूर्ण कर समय से संचालन प्रारम्भ किया जा सके।

6.7 निर्देश दिये गये कि निर्माण कार्य के साथ–साथ निर्मित किये जाने वाले आश्रय एवं प्रस्तावित भौतिक सुविधाओं के हस्तगत किये जाने की कार्यवाही का विवरण तैयार कर तत्काल अनुपालन स्वरूप राज्य मिशन प्रबन्धन इकाई सूडा, उ0प्र0 को उपलब्ध कराया जायेगा।

6.8 प्रत्येक शहर निकाय हेतु स्वीकृति का संक्षिप्त चार्ट इस कार्यवृत्त के साथ संलग्न किया जा रहा है।

6.9 निर्देश दिये गये कि शहरी बेघरों हेतु स्वीकृत सभी परियोजनाओं का अनुमोदन शहर स्तर पर राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत गठित कार्यकारी समिति से अवश्य करा लिया जाये।

6.10 प्रस्तावित शेल्टर होम के निर्माण के प्लान/नक्शों का नियमानुसार सम्बन्धित निकायों/प्राधिकरणों आदि से अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाये।

6.11 निर्माण कार्य स्वीकृतानुसार पूर्ण कराये जाने हेतु निकाय/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई एवं कार्यदायी संस्था के मध्य नियमानुसार अनुबन्ध की कार्यवाही करते हुए तत्काल निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

6.12 परियोजनान्तर्गत किसी भी प्रकार की मूल्यवृद्धि देय नहीं होगी।

6.13 निर्मित किये जाने वाले शेल्टर होम में सभी सुविधायें एवं सेवाएं गाइडलाइन के अनुसार सुनिश्चित किया जाना अपरिहार्य होगा साथ ही समय-समय पर मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश का समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित किया जाना अपरिहार्य होगा।

6.14 निर्देश दिये गये कि प्राप्त इस्टीमेट पी0डब्लू0डी0 दर अनुसूची (एस.ओ.आर.), (डी.एस.आर.) एवं नॉन शेड्यूल्ड आइटम में बाजार दरों के आधार पर गठित किया गया है, जिसमें वित्तीय नियमों का पालन कार्यदायी संस्था द्वारा किया जाना अपरिहार्य होगा।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव/मिशन निदेशक

राज्य शहरी आजीविका मिशन (सूडा)
नवचेतना केन्द्र, लखनऊ

पत्रांक- 5609/241/NULM/तीन/2014-15 (SUH) दिनांक-

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. श्री बी0के0 अग्रवाल, संयुक्त सचिव, आवास एवं शहरी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. निजी सचिव, सचिव नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. निजी सचिव, सचिव नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग उ0प्र0 शासन।
7. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0।
8. राज्य मिशन निदेशक, एस0यू0एल0एम0, सूडा उ0प्र0।
9. निदेशक, सी0एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
10. क्षेत्रीय प्रमुख हडको, लखनऊ।
11. वित्त नियंत्रक, सूडा/राज्य शहरी आजीविका मिशन एस0यू0एल0एम0 को उक्त के आलोक में नियमानुसार धनराशि अवमुक्त करने की कार्यवाही हेतु।
12. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, डूडा- लखनऊ, बागपत, चन्दौली, आजमगढ़, गाजियाबाद, कौशाम्बी, गौतमबुद्धनगर, बलिया, बिजनौर, गाजीपुर, सन्त कबीर नगर, बांदा, कासगंज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, हाथरस, सोनभद्र, आगरा, रामपुर।
13. अपर निदेशक, सूडा, उ0प्र0।
14. संयुक्त निदेशक, सूडा, लखनऊ।
15. नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ, कानपुर नगर, एवं आगरा।
16. परियोजना निदेशक, सूडा, उ0प्र0।
17. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत बागपत, मुगलसराय-चन्दौली, आजमगढ़, लोनी-गाजियाबाद, मंझनपुर-कौशाम्बी,

दादरी–गौतमबुद्धनगर, बलिया, बिजनौर, गाजीपुर, खलीलाबाद–सन्त कबीर नगर, बांदा, कासगंज, अकबरपुर–कानपुर देहात,, हाथरस, सोनभद्र, रामपुर।

18. सिटी प्रोजेक्ट ऑफिसर/शहर मिशन प्रबंधन इकाई– बागपत, मुगलसराय–चन्दौली, आजमगढ़, लोनी–गाजियाबाद, मंझनपुर–कौशाम्बी, दादरी–गौतमबुद्धनगर, बलिया, बिजनौर, गाजीपुर, खलीलाबाद–सन्त कबीर नगर बांदा, कासगंज, अकबरपुर–कानपुर देहात,, हाथरस, रॉबर्ट्सगंज–सोनभद्र, रामपुर।

19. परियोजना अधिकारी, डूडा– लखनऊ, बागपत, चन्दौली, आजमगढ़, गाजियाबाद कौशाम्बी, गौतमबुद्धनगर, बलिया, बिजनौर, गाजीपुर, सन्त कबीर नगर, बांदा, कासगंज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, हाथरस, सोनभद्र, आगरा, रामपुर।

20. सहायक वेबमास्टर को सूडा की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से

3/3/2015

(श्रीप्रकाश सिंह)

मिशन निदेशक

Annexure I

To the Minutes of 6th State Project Sanction Committee meeting dated 12-03-2015 of Shelter for Urban Homeless under NULM.

Rupees. in lac

S. No	Name of the City/ULB	SUH Project Description	Project Construction time	Tentative Construction startup date	Total Project Cost	Central Share (75% of project cost)	State share (25% of project cost)	1st Installment (40% Project cost CS& SS)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Laxman Mela Maidan-Lucknow	A. Implementation of SUH Project under NULM at Lucknow- Laxman Mela Maidan Upgradation of (G+2) with the capacity of 50 person including Bedding, Drinking water, Light, Kitchen, Bathroom and Toilet, Common room for entertainment. First aid, fire fighting, cost of kitchen utensils, furniture, Almirah space for storing belongings for homeless persons and internal infrastructure work in the proposed premises etc including centage, labour cess as per norms.	6 Month	01.05.2015	14.82	11.12	3.71	5.93
		B. Operation & maintenance of shelter home @ Rs 6.00 lac per year for 5 year.			30.00	22.50	7.50	2.40 (40% of Rs 6.00 lac) annual shall be released after receiving of completion certificate of construction work of shelter home.
		Toal (A+B)			44.82	33.62	11.21	5.93

Annexure I

To the Minutes of 6th State Project Sanction Committee meeting dated 12-03-2015 of Shelter for Urban Homeless under NULM.

Rupees. in lac

S. No	Name of the City/ULB	SUH Project Description	Project Construction time	Tentative Construction startup date	Total Project Cost	Central Share (75% of project cost)	State share (25% of project cost)	1st Installment (40% Project cost CS& SS)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Jiamau-Lucknow	A. Implementation of SUH Project under NULM at Lucknow- Jiamau Up gradation of (G+1) with the capacity of 50 persons Dormitories for all type of Homeless women, men, sick, disabled & families including Bedding, Drinking water, Light, Kitchen, Bathroom and Toilet, Common room for entertainment. First aid, fire fighting, cost of kitchen utensils, furniture, Almirah space for storing belongings for homeless persons and internal infrastructure work in the proposed premises etc including centage, labour cess as per norms.	6 Month	01.05.2015	26.17	19.63	6.54	10.47
		B. Operation & maintenance of shelter home @ Rs 6.00 lac per year for 5 year.	-		30.00	22.50	7.50	2.40 (40% of Rs 6.00 lac) annual shall be released after receiving of completion certificate of construction work of shelter home.
		Total (A+B)			**56.17**	**42.13**	**14.04**	**10.47**

Annexure I

To the Minutes of 6th State Project Sanction Committee meeting dated 12-03-2015 of Shelter for Urban Homeless under NULM.

Rupees. in lac

S. No	Name of the City/ULB	SUH Project Description	Project Construction time	Tentative Construction on startup date	Total Project Cost	Central Share (75% of project cost)	State share (25% of project cost)	1st Installment (40% Project cost CS& SS)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Mugalsarai-Chandauli	A. Implementation of SUH Project under NULM at Mugalsarai- Chandauli Construction of New shelter home (G+1) with the capacity of 50 person Dormitories for all type of Homeless (Men, Women, families, disabled and sicks) including Bedding, Light, Kitchen, Bathroom and toilet, Medical facilities, Family room, Handicapped toilet, Fire fighting space for storing belongings for homeless persons and infrastructure work in the proposed premises etc including centage, labour cess as per norms.	8 Month	01.05.2015	130.58	97.94	32.65	52.23
		B. Operation & maintenance of shelter home @ Rs 5.99 lac per year for 5 year.			29.97	22.48	7.49	2.395 (40% Rs 5.99 lac) annual shall be released after receiving of completion certificate of construction work of shelter home.
		Total (A+B)			**160.55**	**120.41**	**40.14**	**52.23**

Annexure I

To the Minutes of 6th State Project Sanction Committee meeting dated 12-03-2015 of Shelter for Urban Homeless under NULM.

Rupees. in lac

S. No	Name of the City/ULB	SUH Project Description	Project Construction time	Tentative Construction startup date	Total Project Cost	Central Share (75% of project cost)	State share (25% of project cost)	1st Installment (40% Project cost CS& SS)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Azamgarh Harara Ki chungi Distt- Azamgarh	A. Implementation of SUH Project under NULM at Azamgarh Construction of New shelter home (G+2) with the capacity of 100 person including dorms. Seperate dormitory for men, women, and provision for families and disabled person too. As well as facilities for bedding, Drinking water, light, kitchen, toilets, common Room, First Aid, Almirah space for storing belongings for homeless persons and infrastructure work in the proposed premises etc including centage, labour cess as per norms.	9 Month	01.05.2015	167.56	125.67	41.89	67.02
		B. Operation & maintenance of shelter home @ Rs 5.99 lac per year for 5 year.			29.94	22.46	7.49	2.395 (40% Rs 5.99 lac) annual shall be released after receiving of completion certificate of construction work of shelter home.
		Total (A+B)			**197.50**	**148.13**	**49.38**	67.02

Annexure I

To the Minutes of 6th State Project Sanction Committee meeting dated 12-03-2015 of Shelter for Urban Homeless under NULM.

Rupees. in lac

S. No	Name of the City/ULB	SUH Project Description	Project Construction time	Tentative Construction startup date	Total Project Cost	Central Share (75% of project cost)	State share (25% of project cost)	1st Installment (40% Project cost CS& SS)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Loni- Ghaziabad	A. Implementation of SUH Project under NULM at Nagar Palika Parishad, Loni-Gaziabad (G+2) with the capacity of 100 person's Dormitories for homeless men, women, families, Disabled sick person facilities and disabled persons including Kitchen with Utensils, Office Space for Care-taker, Toilets & Baths facilities in the ratio 1:6, Drinking water facility, Bedding facility for 100 persons. Almirah space for storing belongings for homeless persons and infrastructure work in the proposed premises etc including centage, labour cess as per norms.	9 Month	01.05.2015	161.57	121.18	40.39	64.63
		B. Operation & maintenance of shelter home @ Rs 5.99 lac per year for 5 year.			29.94	22.46	7.49	2.395 (40% Rs 5.99 lac) annual shall be released after receiving of completion certificate of construction work of shelter home.
		Total (A+B)			**191.51**	**143.63**	**47.88**	**64.63**

Annexure I

To the Minutes of 6th State Project Sanction Committee meeting dated 12-03-2015 of Shelter for Urban Homeless under NULM.

Rupees. in lac

S. No	Name of the City/ULB	SUH Project Description	Project Construction time	Tentative Construction startup date	Total Project Cost	Central Share (75% of project cost)	State share (25% of project cost)	1st Installment (40% Project cost CS& SS)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Manjhanpur-Kaushambi	A. Implementation of SUH Project under NULM at Nagar Panchayat Manjhanpur-Kaushambi Construction of New shelter home (G+1) with the capacity of 50 persons dormitores, for men, women, disabled/sick and families, including Bedding, Drinking water, Light, Kitchen, Bathroom and Toilet, First aid, Fire fighting etc Almirah Space for storing belongings for homeless and instrastructure work in the proposed premises including centage, labour cess as per norms.	8 Month	01.05.2015	129.19	96.89	32.30	51.68
		B. Operation & maintenance of shelter home @ Rs 5.99 lac per year for 5 year.			29.97	22.48	7.49	2.395 (40% Rs 5.99 lac) annual shall be released after receiving of completion certificate of construction work of shelter home.
		Total (A+B)			**159.16**	**119.37**	**39.79**	**51.68**

Annexure I

To the Minutes of 6th State Project Sanction Committee meeting dated 12-03-2015 of Shelter for Urban Homeless under NULM.

Rupees. in lac

S. No	Name of the City/ULB	SUH Project Description	Project Construction time	Tentative Construction startup date	Total Project Cost	Central Share (75% of project cost)	State share (25% of project cost)	1st Installment (40% Project cost CS& SS)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Dadri - Gautam Budh Nagar	A. Implementation of SUH Project under NULM at Nagar Palika Parishad, Dadri Gautam Budh Nagar Construction of New shelter home (G+3) with the capacity of 100 person including Seperate dormitory for men, women, families & sick/disabled persons along with facilities of Bedding, Drinking water, Light, Kitchen, Bathroom, toilets, first Aid Box, fire fighting etc Almirah Space for storing belongings for homeless and instrastructure work in the proposed premises including centage, labour cess as per norms.	9 Month	01.05.2015	227.31	170.48	56.83	90.92
		B. Operation & maintenance of shelter home @ Rs 5.99 lac per year for 5 year.			29.94	22.46	7.49	2.396 (40% Rs 5.99 lac) annual shall be released after receiving of completion certificate of construction work of shelter home.
		Total (A+B)			**257.25**	**192.94**	**64.31**	**90.92**

Annexure I

To the Minutes of 6th State Project Sanction Committee meeting dated 12-03-2015 of Shelter for Urban Homeless under NULM.

Rupees. in lac

S. No	Name of the City/ULB	SUH Project Description	Project Construction time	Tentative Construction startup date	Total Project Cost	Central Share (75% of project cost)	State share (25% of project cost)	1st Installment (40% Project cost CS& SS)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Balia	A. Implementation of SUH Project under NULM at Nagar Palika Parishad, Balia Construction of New shelter home (G+3) with the capacity of 56 person the ground floor proposed dormitory for women handicap and their toilet on this floor. the above floor for dormitory with facilities of Bedding, Drinking water, Light, Kitchen, Bathroom, toilets, first Aid Box, fire fighting infrastructure work in the proposed premises etc. including centage, labour cess as per norms.	9 Month	01.05.2015	157.78	118.34	39.45	63.11
		B. Operation & maintenance of shelter home @ Rs 6.00 lac per year for 5 year.			30.00	22.50	7.50	2.40 (40% Rs 6.00) lac annual shall be released after receiving of completion certificate of construction work of shelter home.
		Total (A+B)			**187.78**	**140.84**	**46.95**	**63.11**

Annexure I

To the Minutes of 6th State Project Sanction Committee meeting dated 12-03-2015 of Shelter for Urban Homeless under NULM.

Rupees. in lac

S. No	Name of the City/ULB	SUH Project Description	Project Construction time	Tentative Construction startup date	Total Project Cost	Central Share (75% of project cost)	State share (25% of project cost)	1st Installment (40% Project cost CS& SS)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Bijnor	A. Implementation of SUH Project under NULM at Bijnor Construction of New shelter home (G+1) with the capacity of 100 person seperate Dormitories for men, women, family and sick/disabled persons including Bedding, Drinking water, Light, Kitchen, Bathroom and Toilet, First aid, Fire fighting, Almirah space for storing belongings for homeless persons and infrastructure work in the proposed premises etc including centage, labour cess as per norms.	9 Month	01.05.2015	115.92	86.94	28.98	46.37
		B. Operation & maintenance of shelter home @ Rs 5.99 lac per year for 5 year.			29.94	22.46	7.49	2.395 (40% Rs 5.99 lac) annual shall be released after receiving of completion certificate of construction work of shelter home.
		Total (A+B)			**145.86**	**109.40**	**36.47**	**46.37**

Annexure I

To the Minutes of 6th State Project Sanction Committee meeting dated 12-03-2015 of Shelter for Urban Homeless under NULM.

Rupees. in lac

S. No	Name of the City/ULB	SUH Project Description	Project Construction time	Tentative Construction startup date	Total Project Cost	Central Share (75% of project cost)	State share (25% of project cost)	1st Installment (40% Project cost CS& SS)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Ghazipur	A. Implementation of SUH Project under NULM at Ghazipur- Construction of New shelter home (G+1) with the capacity of 75 person dormitories for men, women, family and sick/disabled persons including Bedding, Drinking water, Light, Kitchen, Bathroom and Toilet, First aid, Fire fighting, Almirah space for storing belongings for homeless persons and infrastructure work in the proposed premises etc including centage, labour cess as per norms	8 Month	01.05.2015	163.30	122.48	40.83	65.32
		B. Operation & maintenance of shelter home @ Rs 5.99 lac per year for 5 year.			29.97	22.48	7.49	2.397 (40% Rs 5.99 lac) annual shall be released after receiving of completion certificate of construction work of shelter home.
		Total (A+B)			**193.27**	**144.95**	**48.32**	**65.32**

Annexure I

To the Minutes of 6th State Project Sanction Committee meeting dated 12-03-2015 of Shelter for Urban Homeless under NULM.

Rupees. in lac

S. No	Name of the City/ULB	SUH Project Description	Project Construction time	Tentative Construction on startup date	Total Project Cost	Central Share (75% of project cost)	State share (25% of project cost)	1st Installment (40% Project cost CS& SS)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Khalilabad- Sant Kabir Nagar	A. Implementation of SUH Project under NULM at Khalilabad-Sant Kabir Nagar Construction of New shelter home (G+1) with the capacity of 100 person dormitories men, women, family and disabled sick rooms including Bedding, Light, Kitchen, Bathroom and Toilet, Medical/ Counselling room facilities, Family room, Handicapped toilet, Fire fighting, Almirah space for storing belongings for homeless persons and infrastructure work in the proposed premises etc including centage, labour cess as per norms.	8 Month	01.05.2015	228.77	171.58	57.19	91.51
		B. Operation & maintenance of shelter home @ Rs 6.00 lac per year for 5 year.			30.00	22.50	7.50	2.40 (40% Rs 6.00 lac) annual shall be released after receiving of completion certificate of construction work of shelter home.
		Total (A+B)			**258.77**	**194.08**	**64.69**	**91.51**

Annexure I

To the Minutes of 6th State Project Sanction Committee meeting dated 12-03-2015 of Shelter for Urban Homeless under NULM.

Rupees. in lac

S. No	Name of the City/ULB	SUH Project Description	Project Construction time	Tentative Construction startup date	Total Project Cost	Central Share (75% of project cost)	State share (25% of project cost)	1st Installment (40% Project cost CS& SS)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	Banda	A. Implementation of SUH Project under NULM at Banda Construction of New shelter home (Ground floor) with the capacity of 50 person including Well ventilated dormitory for all type of Homeless person (men, women, family and disabled/sick) Water arrangements, Bathing and toilet facilities, Standard lighting for shelter, Adequate fire protection, First aid kit, Pest and Vector control,Provision for Regular cleaning of blankets, mattresses and sheets, and maintenance of other services, Common kitchen/cooking space, necessary utensils for cooking and serving, cooking gas connection, childcare facilities for children, Almirah space for storing belongings for homeless persons and infrastructure work in the proposed premises etc including centage, labour cess as per norms.	6 Month	01.05.2015	193.49	145.12	48.37	77.40
		B. Operation & maintenance of shelter home @ Rs 5.99 lac per year for 5 year.			29.94	22.46	7.49	2.396 (40% Rs 5.99) lac annual shall be released after receiving of completion certificate of construction work of shelter home.
		Total (A+B)			**223.43**	**167.57**	**55.86**	**77.40**

Annexure I

To the Minutes of 6th State Project Sanction Committee meeting dated 12-03-2015 of Shelter for Urban Homeless under NULM.

Rupees. in lac

S. No	Name of the City/ULB	SUH Project Description	Project Construction time	Tentative Construction startup date	Total Project Cost	Central Share (75% of project cost)	State share (25% of project cost)	1st Installment (40% Project cost CS& SS)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	Kasganj	A. Implementation of SUH Project under NULM at Kasganj Construction of New shelter home (G+2) with the capacity of 50 person including dormitories for men, women, families and disabled/sick person along with facilities of Bedding, Light, Kitchen, Bathroom and Toilet, Medical facilities, Family room, Handicapped toilet, Fire fighting, Almirah space for storing belongings for homeless persons and infrastructure work in the proposed premises etc. including centage, labour cess as per norms	9 Month	01.05.2015	97.30	72.98	24.33	38.92
		B. Operation & maintenance of shelter home @ Rs 6.00 lac per year for 5 year.			30.00	22.50	7.50	2.40 (40% Rs 6.00) lac annual shall be released after receiving of completion certificate of construction work of shelter home.
		Total (A+B)			**127.30**	**95.48**	**31.83**	**38.92**

Annexure I

To the Minutes of 6th State Project Sanction Committee meeting dated 12-03-2015 of Shelter for Urban Homeless under NULM.

Rupees. in lac

S. No	Name of the City/ULB	SUH Project Description	Project Construction time	Tentative Construction startup date	Total Project Cost	Central Share (75% of project cost)	State share (25% of project cost)	1st Installment (40% Project cost CS& SS)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	Akbarpur (Mati) Kanpur Dehat (Hospital Campus)	A. Implementation of SUH Project under NULM at Akbarpur (Mati) Kanpur Dehat Construction of New shelter home at distt Hospital Campus (G+2) with the capacity of 60 person seperate Dormitories for men, women, family and disabl/sick person along with the facilities of bedding, Light, Kitchen, Bathroom and Toilet, Medical Counselling room, facilities, toilet, Fire fighting, Almirah space for storing belongings for homeless persons and infrastructure work in the proposed premises etc. including centage, labour cess as per norms	9 Month	01.05.2015	148.68	111.51	37.17	59.47
		B. Operation & maintenance of shelter home @ Rs 6.00 lac per year for 5 year.			30.00	22.50	7.50	2.40 (40% Rs 6.00) lac annual shall be released after receiving of completion certificate of construction work of shelter home.
		Total (A+B)			**178.68**	**134.01**	**44.67**	59.47

Annexure I

To the Minutes of 6th State Project Sanction Committee meeting dated 12-03-2015 of Shelter for Urban Homeless under NULM.

Rupees. in lac

S. No	Name of the City/ULB	SUH Project Description	Project Construction time	Tentative Construction startup date	Total Project Cost	Central Share (75% of project cost)	State share (25% of project cost)	1st Installment (40% Project cost CS& SS)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	Kanpur Nagar-Shivli Road	A. Implementation of SUH Project under NULM at Kanpur Nagar Construction of New shelter home (G+2) with the capacity of 60 person Seperate dormitories for all type of homeless person (men,women, family and sick (disabled) along with facilities of Bedding, Light, Kitchen, Bathroom and Toilets, Medical/ Counselling room, facilities, Fire fighting, Almirah space for storing belongings for homeless persons and infrastructure work in the proposed premises etc including centage, labour cess as per norms.	9 Month	01.05.2015	142.20	106.65	35.55	56.88
		B. Operation & maintenance of shelter home @ Rs 6.00 lac per year for 5 year.			30.00	22.50	7.50	2.40 (40% Rs 6.00) lac annual shall be released after receiving of completion certificate of construction work of shelter home
		Total (A+B)			172.20	129.15	43.05	56.88

Annexure I

To the Minutes of 6th State Project Sanction Committee meeting dated 12-03-2015 of Shelter for Urban Homeless under NULM.

Rupees. in lac

S. No	Name of the City/ULB	SUH Project Description	Project Construction time	Tentative Construction startup date	Total Project Cost	Central Share (75% of project cost)	State share (25% of project cost)	1st Installment (40% Project cost CS& SS)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	Kanpur Nagar-Pahadpur	A. Implementation of SUH Project under NULM at the campus of Lala Lajpat Rai Hospital- Kanpur Nagar Construction of New shelter home (G+2) with the capacity of 60 person dormitories for all type of homeless person (men,women, family and sick/disabled) along with facilities of Bedding, Light, Kitchen, Bathroom and Toilet, Medical Counselling room, facilities, Almirah space for storing belongings for homeless persons and infrastructure work in the proposed premises etc including centage, labour cess as per norms.	9 Month	01.05.2015	105.17	78.88	26.29	42.07
		B. Operation & maintenance of shelter home @ Rs 6.00 lac per year for 5 year.			30.00	22.50	7.50	2.40 (40% Rs 6.00) lac annual shall be released after receiving of completion certificate of construction work of shelter home.
		Total (A+B)			**135.17**	**101.38**	**33.79**	**42.07**

Annexure I

To the Minutes of 6th State Project Sanction Committee meeting dated 12-03-2015 of Shelter for Urban Homeless under NULM.

Rupees. in lac

S. No	Name of the City/ULB	SUH Project Description	Project Construction time	Tentative Construction startup date	Total Project Cost	Central Share (75% of project cost)	State share (25% of project cost)	1st Installment (40% Project cost CS& SS)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	Kanpur Nagar-Lala Lajpat Rai Hospital	A. Implementation of SUH Project under NULM at Kanpur Nagar -Lala Lajpat Rai Construction of New shelter home (G+2) with the capacity of 60 person dormitories for all type of homeless person (men,women, family along with facilities of Bedding, Light, Kitchen, Bathroom and Toilet, Medical facilities, Family room, Handicapped toilet, Fire fighting, Almirah space for storing belongings for homeless persons and infrastructure work in the proposed premises etc including centage, labour cess as per norms.	9 Month	01.05.2015	142.64	106.98	35.66	57.06
		B. Operation & maintenance of shelter home @ Rs 6.00 lac per year for 5 year.			30.00	22.50	7.50	2.40 (40% Rs 6.00) lac annual shall be released after receiving of completion certificate of construction work of shelter home.
		Total (A+B)			172.64	129.48	43.16	57.06

Annexure I

To the Minutes of 6th State Project Sanction Committee meeting dated 12-03-2015 of Shelter for Urban Homeless under NULM.

Rupees. in lac

S. No	Name of the City/ULB	SUH Project Description	Project Construction time	Tentative Construction startup date	Total Project Cost	Central Share (75% of project cost)	State share (25% of project cost)	1st Installment (40% Project cost CS& SS)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	Hathras	A. Implementation of SUH Project under NULM at Hathras Construction of New shelter home (G+1) with the capacity of 100 person including dormitories for men,women, family and sick/Disabled peson along with facilities of Bedding, Light, Kitchen, Bathroom and Toilet, Medical/ Counselling room facilities, Almirah space for storing belongings for homeless persons and infrastructure work in the proposed premises etc including centage, labour cess as per norms.	8 Month	01.05.2015	164.76	123.57	41.19	65.90
		B. Operation & maintenance of shelter home @ Rs 6.00 lac per year for 5 year.			30.00	22.50	7.50	2.40 (40% Rs 6.00) lac annual shall be released after receiving of completion certificate of construction work of shelter home.
		Total (A+B)			**194.76**	**146.07**	**48.69**	**65.90**

Annexure I

To the Minutes of 6th State Project Sanction Committee meeting dated 12-03-2015 of Shelter for Urban Homeless under NULM.

Rupees. in lac

S. No	Name of the City/ULB	SUH Project Description	Project Construction time	Tentative Construction startup date	Total Project Cost	Central Share (75% of project cost)	State share (25% of project cost)	1st Installment (40% Project cost CS& SS)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	Robertsganj-Sonbhadra	A. Implementation of SUH Project under NULM at Robertsganj-Sonbhadra Construction of New shelter home (G+2) with the capacity of 50 person Dormitories for men, women, families and sick/disabled persons including Bedding, Drinking water, Light, Kitchen, Bathroom and toilet, Common room for entertainment, First aid, Fire fighting, Almirah space for storing belongings for homeless persons and infrastructure work in the proposed premises etc including centage, labour cess as per norms.	9 Month	01.05.2015	108.16	81.12	27.04	43.26
		B. Operation & maintenance of shelter home @ Rs 5.99 lac per year for 5 year.			29.22	21.92	7.31	2.34 (40% Rs 5.844) lac annual shall be released after receiving of completion certificate of construction work of shelter home.
		Total (A+B)			**137.38**	**103.04**	**34.35**	**43.26**

Annexure I

To the Minutes of 6th State Project Sanction Committee meeting dated 12-03-2015 of Shelter for Urban Homeless under NULM.

Rupees. in lac

S. No	Name of the City/ULB	SUH Project Description	Project Construction time	Tentative Construction startup date	Total Project Cost	Central Share (75% of project cost)	State share (25% of project cost)	1st Installment (40% Project cost CS& SS)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Agra	A. Implementation of SUH Project under NULM at Agra Construction of New shelter home (G+2) with the capacity of 75 person including dormitories for men, women, family & sick/disabled persons alongwith Lobby & Verandah, Security room, office, kitchen, Bedding, dinning hall at Ground floor, and lobby, Medical Help Room, NGO/chancellor room, at first floor, Almirah space for storing belongings for homeless persons and infrastructure work in the proposed premises etc including centage, labour cess as per norms.	9 Month	01.05.2015	105.19	78.89	26.30	42.08
		B. Operation & maintenance of shelter home @ Rs.5.99 lac per year for 5 year.			29.97	22.48	7.49	2.396 (40% Rs 5.99) lac annual shall be released after receiving of completion certificate of construction work of shelter home.
		Total (A+B)			**135.16**	**101.37**	**33.79**	**42.08**